PERFECT 7

साप्ताहिक

समसामयिकी

अप्रैल-2019 | अंक-5

इन-विट्रो फर्टिलाइज़ेशन

कृत्रिम गर्भाधान की एक सफल तकनीक

- भीमराव अम्बेडकर : एक महान सामाजिक-राजनीतिक सुधारक
- चुनाव आयोग : लोकतंत्र की पवित्रता को बनाये रखने की जिम्मेदारी
- जल संरक्षण शुल्क : जल के अनुचित दोहन से निजात का मार्ग
- बंगाल की खाड़ी : अंतर्राष्ट्रीय संबंध और नीति निर्माण का उभरता क्षेत्र
- आयुष : रोग निदान का एक वैकल्पिक तरीका
- अनियमित यूरिया बाजार : मुद्दे और बाधाएँ

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

FELICITATION PROGRAMME FOR UPSC TOPPERS 2018

ध्येय IAS : एक परिचय

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सीईओ
ध्येय IAS

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक
ध्येय IAS

Perfect 7 : एक परिचय

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

कुरबान अली
मुख्य सम्पादक
ध्येय IAS
(पूर्व संपादक - राज्य सभा टी.वी.)

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षित रूप में आपके सामने लाया जाता है।

गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से अब तक हम लगभग 100 अंक सफलतापूर्वक प्रकाशित कर चुके हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

आशुतोष सिंह
प्रबंध सम्पादक
ध्येय IAS

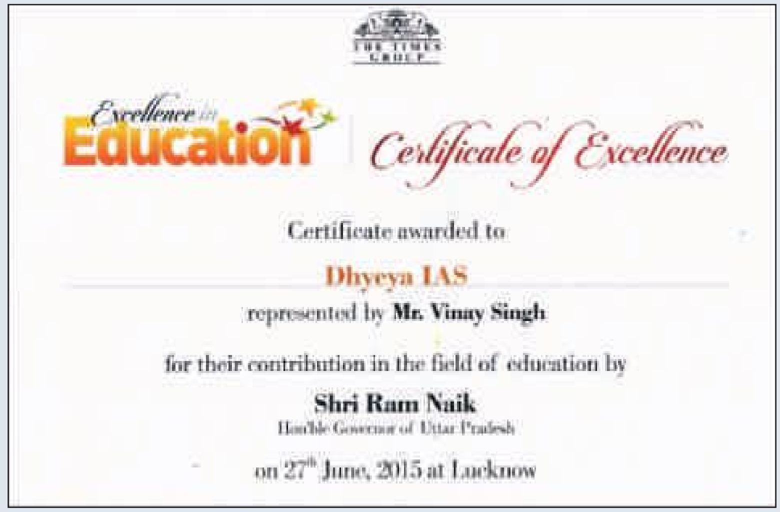

प्रस्तावना

हमने 'Perfect 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'Perfect 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'Perfect 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'Perfect 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है।

अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'Perfect 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक
ध्येय IAS

Perfect 7

साप्ताहिक संस्करण
Perfect 7

ध्येय IAS के द्वारा की गई पहल (सिविल सेवाओं हेतु)

अप्रैल-2019 | अंक-5

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.
विनय कुमार सिंह

प्रबंध निदेशक
क्यू.एच.खान

मुख्य संपादक
कुरबान अली

प्रबंध संपादक
आशुतोष सिंह

संपादक
जीत सिंह, ओमवीर सिंह चौधरी,
रजत झिंगन, शशिधर मिश्रा

संपादकीय सहयोग
प्रो. आर. कुमार, बाघेन्द्र प्रताप सिंह

मुख्य लेखक
अजय सिंह, अहमद अली,
अवनीश पाण्डेय, धर्मेन्द्र मिश्रा, रंजीत सिंह,
रमा शंकर निषाद

लेखक
अशरफ अली, विवेक शुक्ला, स्वाति यादव,
नितेश श्रीवास्तव

मुख्य समीक्षक
अनुज पटेल, प्रेरित कान्त, राजहंस सिंह

त्रुटि सुधारक
संजन गौतम, जीवन ज्योति

विज्ञापन एवं प्रोन्नति
जीवन ज्योति, शिवम सिंह

प्रारूपक
विपिन सिंह, रमेश कुमार,
कृष्णा कुमार, निखिल कुमार, सचिन कुमार

टंकण
कृष्णकान्त मण्डल, तरून कनौजिया

लेख सहयोग
रजनी तिवारी, मृत्युंजय त्रिपाठी, रजनी सिंह,
लोकेश शुक्ला, गौरव श्रीवास्तव, आयुषी जैन,
प्रीति मिश्रा, आदेश, अंकित मिश्रा, प्रभात

संवाददाता
मानषी द्विवेदी, राधिका अग्रवाल, सत्यम,
सौम्या त्रिपाठी, अनुराग सिंह, राशि श्रीवास्तव

कार्यालय सहायक
हरीराम, संदीप, राजू यादव, शुभम,
अरूण त्रिपाठी, चंदन

Content Office

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

विषय सूची

सात महत्वपूर्ण मुद्दे 01-17

- इन-विट्रो फर्टिलाइज़ेशन : कृत्रिम गर्भाधान की एक सफल तकनीक
- भीमराव अम्बेडकर : एक महान सामाजिक-राजनीतिक सुधारक
- चुनाव आयोग : लोकतंत्र की पवित्रता को बनाये रखने की जिम्मेदारी
- जल संरक्षण शुल्क : जल के अनुचित दोहन से निजात का मार्ग
- बंगाल की खाड़ी : अंतर्राष्ट्रीय संबंध और नीति निर्माण का उभरता क्षेत्र
- आयुष : रोग निदान का एक वैकल्पिक तरीका
- भारतीय कृषि और यूरिया : समस्याएँ और समाधान

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर 18-22

सात महत्वपूर्ण खबरें 23-26

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न 27-35

सात महत्वपूर्ण तथ्य 36

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी 37-40

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से 41-44

Our other initiative

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...

Hindi & English
Current Affairs
Monthly
News Paper

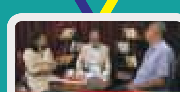

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. इन-विट्रो फर्टिलाइज़ेशन : कृत्रिम गर्भाधान की एक सफल तकनीक

चर्चा का कारण

हाल ही में डबलिन (आयरलैण्ड) से प्रकाशित बिजनेस वायर (Business Wire) नामक पत्रिका ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का वैश्विक बाजार 2026 तक 36.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा।

परिचय

इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन को ही 'आईवीएफ' या कृत्रिम गर्भाधान के नाम से जाना जाता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) तकनीक दरअसल उन महिलाओं के लिए उपयोग में लाई जाती हैं जिनको सामान्य तौर पर माँ बनने में दिक्कतें आ रही हों। दरअसल जिन महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब खराब हो जाती है, वे माँ बनने में अक्षम होती हैं। ऐसे में आईवीएफ तकनीक के माध्यम से उनको माँ बनने में मदद मिलती हैं। इस प्रक्रिया में महिला के अंडाशय से अंडे को अलग कर उसका निषेचन शुक्राणुओं से कराया जाता है जिसके बाद अंडे को महिला के गर्भाशय में रख दिया जाता है। दुनिया के सबसे पहले आईवीएफ शिशु लुइस ब्राउन का जन्म 25 जुलाई, 1978 को ब्रिटेन में हुआ था। भारत की पहली आईवीएफ शिशु का नाम दुर्गा है।

कैसे होता है आईवीएफ

आईवीएफ प्रक्रिया में मानव शरीर के बाहर शुक्राणुओं द्वारा अंड कोशिकाओं का निषेचन कराया जाता है और मरीज को हार्मोन संबंधी इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि उसके शरीर में अंडकोशिकाएँ अधिक से अधिक बन सकें। इसके बाद अंडाणुओं को अंडकोष से निकाल लिया जाता है और नियंत्रित वातावरण में मरीज के साथी के शुक्राणु से उन्हें निषेचित कराया जाता है। इसके बाद सफल गर्भावस्था के मकसद से निषेचित अंडाणु को मरीज के गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है।

दरअसल हार्मोन असंतुलन, नलिकाओं में रूकावट या फिर शुक्राणु न होना व इनकी अपर्याप्त संख्या बांझपन के प्रमुख कारण हैं। आजकल व्यस्त जीवनशैली और काम व तनाव के अधिक होने के कारण भी दम्पत्तियों के लिए इस प्रकार की परेशानियाँ खड़ी हो रही हैं।

आईवीएफ (IVF) कब करवानी चाहिए

निम्न स्थितियों में आईवीएफ (IVF) प्रक्रिया की आवश्यकता हो सकती है-

- महिला बांझपन (जिसका कारण स्पष्ट न हो पा रहा हो) तथा महिला के फैलोपियन ट्यूब में रूकावट हो (फैलोपियन ट्यूब अंडाशय से गर्भाशय को जोड़ती है)।
- प्रजनन दवाएँ या इन्ट्रॉटेराइन इनसेमिनेशन (आईयूआई; Intrauterine Insemination, IUI) जैसी अन्य तकनीक असफल रही हों।
- पुरुष बांझपन की समस्या हो, लेकिन इतनी गंभीर नहीं कि 'इंट्रा-साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन' (Intra- Cytoplasmic Sperm Injection, ICSI) की आवश्यकता हो।
- अगर पति के फ्रोजन (जमे हुए) शुक्राणु इस्तेमाल किये जा रहे हों लेकिन आईयूआई (IUI) तकनीक उपयुक्त नहीं है, तब आईवीएफ की आवश्यकता होती है।
- बच्चे को अपने किसी आनुवंशिक विकार से बचाने के लिए भ्रूण परीक्षण (Embryo Testing) का उपयोग किया जा रहा है।
- उम्र से पहले ही मासिक धर्म चक्र बंद हो जाना (प्री-मैच्योर ओवेरियन फेलियर)।
- यदि किसी कारण से महिला के अंडाशय में अंडे न बन पा रहे हों, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS) की वजह से।
- यदि बहुत ज्यादा उम्र में या राजोनिवृत्ति (Menopause) के बाद (50 साल की उम्र के बाद) गर्भधारण करने का प्रयास किया जा रहा हो। ऐसे में अगर अन्य कोई प्रजनन तकनीक सहायता करने में असफल हो तो इसका प्रयोग किया जा सकता है।

आईवीएफ की सफलता दर

आईवीएफ की सफलता दर विशिष्ट प्रजनन समस्या और उम्र पर निर्भर करती है। उम्र जितनी कम होगी और भ्रूण (Embryo) जितने अधिक स्वस्थ होंगे, गर्भवती होने की संभावना भी उतनी ही अधिक होगी। अगर महिलाएँ पहले गर्भवती हो चुकी हैं या शिशु को जन्म दे चुकी हैं, तो सफलता की संभावना अधिक होती है।

वजन स्वस्थ श्रेणी में आता है और बॉडी मास इंडेक्स (बी.एम.आई.) 18.5-25 के बीच है, तो सफल उपचार की संभावना ज्यादा रहती है। अगर वजन सामान्य से अधिक है या कम है, तो आप उपचार शुरू करने से पहले अपने कद के अनुसार उचित वजन हासिल कर, अपनी सफलता के अवसर बढ़ा सकते हैं।

आई.वी.एफ. के तीसरे प्रयास के बाद भी अगर महिला गर्भवती नहीं होती हैं, तो इस बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर या फर्टिलिटी क्लिनिक से पता करना चाहिए।

आईवीएफ के लिए सरकार के दिशा-निर्देश

- आईवीएफ केंद्र जन्मे या अजन्मे शिशु का लिंग दर्शाता हुआ कोई भी विज्ञापन जारी, प्रकाशित या प्रसारित नहीं कर सकेगा। इस तरह के विज्ञापन इंटरनेट पर भी जारी नहीं किए जा सकेंगे।
- आईवीएफ केंद्रों पर गर्भाधान के लिए आने वाले महिला-पुरुष (दंपत्तियों) से प्रसव की जानकारी लेना अनिवार्य होगा कि गर्भाधान के बाद लड़का हुआ या लड़की।
- कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों पर महिला व पुरुष के जो फॉर्म (ओ, ई और एफ) भरे जाते

हैं, उनकी रिपोर्टिंग पीसी एंड पीएनडीटी के पोर्टल पर भी डालना होगा।

- कृत्रिम गर्भाधान के लिए सेंटर पर आने वाले महिला-पुरुष या दंपत्ति का आधार नंबर लेना भी अनिवार्य होगा। कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया के दौरान जो फाइल तैयार की जाएगी, इसमें आधार नंबर भी दर्ज किया जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर इन्हें खोजा जा सके।

कानूनी प्रावधान

गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत गर्भधारण पूर्व या बाद लिंग चयन और जन्म से पहले कन्या भ्रूण हत्या के लिए लिंग परीक्षण करना, इसके लिए सहयोग देना व विज्ञापन करना कानूनी अपराध है जिसमें 3 से 5 वर्ष तक की जेल व 10 हजार से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत आनुवंशिक सलाह केन्द्रों, आनुवंशिक प्रयोगशालाओं, आनुवंशिक क्लिनिकों, अल्ट्रा साउण्ड क्लिनिकों और इमेजिंग सेन्टरों में जन्म पूर्व निदान तकनीकों का उपयोग केवल निम्नलिखित विकारों की पहचान के लिए ही किया जा सकता है-

- गुणसूत्र संबंधी विकृति।
- आनुवंशिक उपापचय रोग।
- रक्त वर्णिका संबंधी रोग।
- लिंग संबंधी आनुवंशिक रोग।
- जन्मजात विकृतियाँ।

नैतिक पहलू

इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन के दौरान लिंग परीक्षण एक बहुत बड़ी सामाजिक कुरीति है। चिकित्सा-विज्ञान के विशेषज्ञों के अनुसार समाज में औसतन जितने लड़के पैदा होते हैं उतनी ही लड़कियाँ भी जन्म लेती हैं। जन्म के समय औसतन लड़का और लड़की समान शक्तियों के साथ पैदा होते हैं किन्तु सामुदायिक एवं सामाजिक व्यवहार से धीरे-धीरे पुरुषों की शक्ति स्त्रियों की तुलना में प्रभावी हो जाती हैं।

भारत में स्त्रियों की स्थिति प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, बालिकाओं के स्वास्थ्य की स्थिति को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार लिंग भेद के परिणामस्वरूप समाज में लड़के के जन्म को प्रमुखता, बालिका शिशु की भ्रूण अवस्था में ही हत्या, बाल्यावस्था अथवा किशोरावस्था में ही बालिकाओं का विवाह, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत जरूरतों में भेदभाव देखा जाता है। अपने तीव्रतम रूप में लड़के की चाह कन्या की हत्या के रूप में परिणत होती है। देश के विभिन्न भागों में किये गये अध्ययनों में कन्या शिशु हत्या के मामले पाये गये हैं। कन्या भ्रूण हत्याओं को विभिन्न धर्मो में नैतिक एवं धार्मिक दृष्टि से भी अनुचित बताया गया है।

आईवीएफ के पक्ष में तर्क

- इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) महिलाओं को गर्भवती होने में मदद करने के लिए सबसे सामान्य और प्रभावी प्रकार की सहायता प्रजनन तकनीक है।
- इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उन महिलाओं के लिए भी सहायक है जो नियमित सम्भोग के माध्यम से या कृत्रिम गर्भाधान के 12 चक्रों के बाद गर्भवती नहीं हो पायी हैं।
- अन्य तकनीकों जैसे कि प्रजनन दवाओं या अंतगर्भाशयी गर्भाधान (IUI) का उपयोग से भी गर्भवती न हो पायी हों।
- जिन महिलाओं के फैलोपियन ट्यूब अवरुद्ध हो जाते हैं।
- इंट्रासाइटोप्लास्मिक स्पर्म इंजेक्शन (ICSI) के माध्यम से पुरुष बांझपन को दूर करने में मदद करता है।
- एकल जीन विकारों को इन विट्रो भ्रूण पीजीडी परीक्षण के माध्यम से बच्चे को प्रभावित करने से रोकने में मदद करता है।
- गुणसूत्र संबंधी अनियमितताओं का पता लगाया जा सकता है।
- इन विट्रो में विकसित होने वाले भ्रूण के लिंग चयन के माध्यम से जोड़ों को अपने बच्चे का लिंग चुनने की अनुमति देता है।
- दाता अंडे या दाता शुक्राणु के उपयोग के माध्यम से एलजीबीटीक्यू (LGBTQ) समुदाय के लिए परिवार नियोजन का विकल्प प्रदान करता है।
- भ्रूण क्रायोप्रिजर्वेशन के माध्यम से परिवार नियोजन में सहायता करने के लिए दम्पत्तियों को भविष्य में जमे हुए भ्रूण को फ्रीज करने की अनुमति देता है।

आईवीएफ के विपक्ष में तर्क

- आईवीएफ तकनीक बहुत महंगा होता है साथ ही 100 प्रतिशत सफलता नहीं मिली है।
- आईवीएफ चक्रों को अल्ट्रासाउंड इमेजिंग और रक्त परीक्षणों के माध्यम से रोगी को निगरानी हेतु कई बार जाना पड़ता है।
- आईवीएफ प्रजनन दवाएँ अवांछनीय दुष्प्रभाव का कारण बनती हैं।
- आईवीएफ को महँगी प्रजनन दवाओं के इंजेक्शन की आवश्यकता होती है।
- 2016 तक लगभग 6.5 मिलियन बच्चे इन विट्रो निषेचन (IVF) का उपयोग करके पैदा किये जा चुके हैं।

आईवीएफ का मूल्यांकन

भारत का पारंपरिक चिंतन सामान्य गृहस्थों के लिए भी उन यौन क्रियाओं का पक्षधर नहीं रहा है, जिनका मकसद संतान पैदा करना न हो। इसलिए यहां आज ऐसी स्थिति की कल्पना जरा मुश्किल लगती है, जब संतानोत्पत्ति के लिए सेक्स कतई जरूरी न रह जाए। लेकिन इधर ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों और यूरोपियन सोसायटी ऑफ ह्यूमन रीप्रोडक्शन ऐंड एम्ब्रॉयलॉजी के विशेषज्ञों ने दावा किया है कि एक दशक बाद ही यह मुमकिन हो सकता है कि बच्चे पैदा करने के लिए लोग पूरी तरह से कृत्रिम गर्भाधान की तकनीकों, जैसे कि आईवीएफ (इन विट्रो फर्टिलाइजेशन) पर निर्भर हो जाएं और सेक्स सिर्फ आनंद के लिए करें।

आईवीएफ तकनीक से कंप्यूटर नियंत्रित प्रयोगशालाओं में बच्चे पैदा कराने की तकनीक न केवल संतानोत्पत्ति की प्राकृतिक दर के मुकाबले कई गुना बेहतर रिजल्ट दे सकती है, बल्कि इससे उन दंपत्तियों को भी सहूलियत हो सकती है, जिनके पास या तो इस काम के लिए समय का अभाव है या जो शारीरिक अक्षमता के कारण संतान सुख से वंचित हैं। परंतु यह सिर्फ इसका एक पहलू है।

हालाँकि पश्चिमी देश सेक्स के मामले में जितनी आजादी चाहता है, उतनी ही जोरदार बहस वहां मानव क्लोनिंग और आईवीएफ जैसी तकनीकों के इस्तेमाल की नैतिकता को लेकर भी चल रही है।

आईवीएफ (IVF) तकनीक की चुनौतियाँ

- **ओवरियन हाइपरसिमुलेशन सिंड्रोमः** ये समस्या 10% महिलाओं में पैदा होती है। यह तब होता है जब अंडाशय में फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ज्यादा दिया जाता है। सामान्यतः लक्षण हल्के ही होते हैं और महिला का इलाज आसानी से हो जाता है। फिर भी, कुछ महिलाओं में कुछ गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं जिससे उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है।

- **ऐंठन और असहजता:** अंडे की पुनर्प्राप्ति के समय और बाद में, महिलाओं में ऐठन और असहजता की समस्या होती है। फिर भी, ये लक्षण एक या दो दिनों में ठीक हो जाते हैं। कुछ खास स्थितियों में, डॉक्टर को आंत, मूत्राशय या रुधिर कोशिका में छेद करना पड़ता है। भ्रूण स्थानांतरण के समय भी ऐठन होती हैं। कुछ महिलाओं में इसके स्थानांतरण के बाद ब्लीडिंग या स्पोटिंग भी होती है।
- **पेल्विक इन्फेक्शन:** यह इन्फेक्शन बहुत दुर्लभ है, लेकिन जब ऐसा होता है तो उन्हें दवाएँ नस में दी जाती हैं। अंडाशय, गर्भाशय और फैलोपियन को ऑपरेशन से निकाल दिया जाता है।
- **मल्टीपल प्रेग्नेंसी:** चूंकि आईवीएफ ट्रीटमेंट में कई भ्रूण स्थानांतरित किए जाते हैं, इसलिए मल्टीपल प्रेग्नेंसी का खतरा बढ़ जाता है, ये जुड़वाँ, ट्रिपल या इससे अधिक भी हो सकते हैं। यह माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक है। इससे बच्चे में कम वजन और मानसिक रूप से कमजोरी भी हो सकती है।
- **जन्म दोष:** हालांकि यह मुश्किल है लेकिन, कुछ अध्ययनों से पता चला है कि आईवीएफ और आईसीएसआई जैसे ट्रीटमेंट में खासतौर पर लड़के में सेक्सुअल दोष होता है, फिर भी, यह 1 प्रतिशत से भी कम होता है। आईवीएफ ट्रीटमेंट में समयपूर्व प्रसव या डिलीवरी होती है, चाहे कितने भी बच्चे हों।
- **गर्भपात:** गर्भपात का खतरा आईवीएफ ट्रीटमेंट में उतना ही है जितना कि सामान्य प्रसव में। युवा महिलाएँ जो 20 की उम्र में हैं उनमें इसका खतरा 15 प्रतिशत रहता है। यदि महिला की उम्र 40 साल से ज्यादा होती है तो गर्भपात का खतरा 50 प्रतिशत बढ़ जाता है।
- **आस्थानिक (एक्टोपिक) प्रेग्नेंसी:** एक्टोपिक शब्द का मतलब है 'गलत स्थान पर' और यह ऐसी गर्भावस्था होती है जो गर्भाशय के बाहर विकसित होती है। यह आमतौर पर किसी एक फैलोपियन ट्यूब में विकसित होना शुरू हो जाता है। एक्टोपिक गर्भावस्था फैलोपियन ट्यूब में क्षति की वजह से होती है। एक्टोपिक प्रेग्नेंसी का खतरा 2 से 4 प्रतिशत रहता है। यदि ऐसा होता है तो प्रेग्नेंसी कठिन होती है।

आगे की राह

- इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है ताकि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ एवं सुरक्षित रह सकें।
- भ्रूण के लिए प्रोटीनयुक्त आहार अनिवार्य होता है। यदि संभव हो तो गर्भवती महिला को पर्याप्त मात्रा में दूध, अंडे, मछली, पॉल्ट्री उत्पाद और मांस का सेवन करना चाहिए। यदि वह शाकाहारी हो तो उसे विभिन्न अनाजों तथा दालों का प्रयोग करना चाहिए।
- शिशु की हड्डियों और दाँतों की वृद्धि के लिए कैल्सियम आवश्यक है। दूध कैल्सियम का अति उत्तम स्रोत है। रागी और बाजरे में भी कैल्सियम पाया जाता है।
- बहुत सी महिलाएँ गर्भवती होने पर कड़ी मेहनत या पहले से भी अधिक काम करना जारी रखती हैं। अत्यधिक शारीरिक श्रम के वजह से गर्भपात, अपरिपक्व प्रसूति या कम वजन वाले शिशु (विशेष रूप से जबकि महिला पर्याप्त भोजन न कर रही हो) पैदा होने की संभावना रहती है। अतः गर्भवती महिला को यथासंभव भरपूर विश्राम करना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी-विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव।

■

2. भीमराव अम्बेडकर : एक महान सामाजिक-राजनीतिक सुधारक

चर्चा का कारण

हाल ही में पूरे देश में संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 128वीं जयंती मनायी गयी।

परिचय

भारत के संविधान निर्माता, चिंतक और समाज सुधारक डॉ. भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल, 1891 को हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई रामजी सकपाल था। वे अपने माता-पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक बुराइयों जैसे- छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष में लगा दिया। इस दौरान बाबा साहेब गरीब, दलितों और शोषितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे।

भीमराव अम्बेडकर की वर्तमान में प्रासंगिकता

राजनीतिक क्षेत्र: डॉ. भीमराव अम्बेडकर भारत के आधुनिक निर्माताओं में से एक माने जाते हैं। उनके विचार व सिद्धांत भारतीय राजनीति के लिए हमेशा से प्रासंगिक रहे हैं। दरअसल वे एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के हिमायती थे, जिसमें राज्य सभी को समान राजनीतिक अवसर दे तथा धर्म, जाति, रंग तथा लिंग आदि के आधार पर भेदभाव न किया जाए। उनका यह राजनीतिक दर्शन व्यक्ति और समाज के परस्पर संबंधों पर बल देता है।

उनका यह दृढ़ विश्वास था कि जब तक आर्थिक और सामाजिक विषमता समाप्त नहीं होगी, तब तक जनतंत्र की स्थापना अपने वास्तविक स्वरूप को ग्रहण नहीं कर सकेगी। दरअसल सामाजिक चेतना के अभाव में जनतंत्र आत्मविहीन हो जाता है। ऐसे में जब तक सामाजिक जनतंत्र स्थापित नहीं होता है, तब तक सामाजिक चेतना का विकास भी संभव नहीं हो पाता है।

इस प्रकार डॉ. अम्बेडकर जनतंत्र को एक जीवन पद्धति के रूप में भी स्वीकार करते हैं, वे व्यक्ति की श्रेष्ठता पर बल देते हुए सत्ता के परिवर्तन को साधन मानते हैं। वे कहते थे कि कुछ संवैधानिक अधिकार देने मात्र से जनतंत्र की नींव पक्की नहीं होती। उनकी जनतांत्रिक व्यवस्था की कल्पना में 'नैतिकता' और 'सामाजिकता' दो प्रमुख मूल्य रहे हैं जिनकी प्रासंगिकता वर्तमान समय में बढ़ जाती है। दरअसल आज राजनीति में खींचा-तानी इतनी बढ़ गई है कि राजनैतिक नैतिकता के मूल्य गायब से हो गए हैं। हर राजनीतिक दल वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए राजनीतिक नैतिकता एवं सामाजिकता की दुहाई देते हैं, लेकिन सत्ता प्राप्ति के पश्चात इन सिद्धांतों को अमल में नहीं लाते हैं।

समानता को लेकर विचार: डॉ. अम्बेडकर समानता को लेकर काफी प्रतिबद्ध थे। उनका मानना था कि समानता का अधिकार धर्म और जाति से ऊपर होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना किसी

भी समाज की प्रथम और अंतिम नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर समाज इस दायित्व का निर्वहन नहीं कर सके तो उसे बदल देना चाहिए। वे मानते थे कि समाज में यह बदलाव सहज नहीं होता है, इसके लिए कई पद्धतियों को अपनाना पड़ता है। आज जब विश्व एक तरफ आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ विश्व में असमानता की घटनाएँ भी देखने को मिल रही हैं। इसमें कोई दो राय नही है कि असमानता प्राकृतिक है, जिसके चलते व्यक्ति रंग, रूप, लम्बाई तथा बुद्धिमता आदि में एक-दूसरे से भिन्न होता है। लेकिन समस्या मानव द्वारा बनायी गई असमानता से है, जिसके तहत एक वर्ग, रंग व जाति का व्यक्ति अपने आप को अन्य से श्रेष्ठ समझ संसाधनों पर अपना अधिकार जमाता है। यूएनओ द्वारा इस संदर्भ में प्रति वर्ष नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, जो आज भी समाज में व्याप्त असमानता को प्रकट करता है। भारत में इस स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार का प्रावधान करते हुए समान अवसरों की बात कही गई है। यह समानता सभी को समान अवसर उपलब्ध करा सकें, इसके लिए शोषित, दबे-कुचलों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। इस प्रकार अम्बेडकर के समानता के विचार न सिर्फ उन्हें भारत के संदर्भ में, बल्कि विश्व के संदर्भ में भी प्रासंगिक बनाते हैं।

आर्थिक क्षेत्र: दरअसल आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था में गरीबी, बेरोजगारी, आय एवं संपत्ति में व्यापक असमानता, अशिक्षा और अकुशल श्रम इत्यादि समस्याएँ व्याप्त हैं। अर्थव्यवस्था को लेकर डॉ. अम्बेडकर के महत्वपूर्ण विचार को निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है-

The problem of the rupee : 15 origin and its solution नामक अपनी रचना में डॉ. अम्बेडकर ने 1800 से 1893 के दौरान, विनिमय के माध्यम के रूप में भारतीय मुद्रा (रुपये) के विकास का परीक्षण किया और उपयुक्त मौद्रिक व्यवस्था के चयन की समस्या की भी व्याख्या की। आज के समय में जब भारतीय अर्थव्यवस्था मुद्रा के अवमूल्यन और मुद्रास्फीति की समस्या से दो-चार हो रही है तो ऐसे में उनके शोध के परिणाम न सिर्फ समस्याओं को समझने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं बल्कि वह इसके समाधान को लेकर आगे का मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं।

अम्बेडकर ने 1918 में प्रकाशित अपने लेख भारत में छोटी जोत और उनके उपचार (Small Holdings in India and their Remedies) में भारतीय कृषि तंत्र का स्पष्ट अवलोकन किया। उन्होंने भारतीय कृषि तंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण करके कुछ महत्वपूर्ण परिणाम निकाले, जिनकी प्रासंगिकता आज तक बनी हुई है। उनका मानना था कि यदि कृषि को अन्य आर्थिक उद्यमों के समान माना जाए तो बड़ी और छोटी जोतों का भेद समाप्त हो जाएगा, जिससे कृषि क्षेत्र में खुशहाली आएगी। उनके एक अन्य शोध ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास (The Evolution of Provincial Finance in British India) की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। उन्होंने इस शोध में देश के विकास के लिए एक सहज कर प्रणाली पर बल दिया। इसके लिए उन्होंने तत्कालीन सरकारी राजकोषीय व्यवस्था को स्वतंत्रत कर देने का विचार दिया। भारत में आर्थिक नियोजन तथा समकालीन आर्थिक मुद्दे व दीर्घकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जिन संस्थानों को स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित किया गया उनकी स्थापना में डॉ. अम्बेडकर का अहम योगदान रहा।

सामाजिक क्षेत्र: अम्बेडकर का सम्पूर्ण जीवन भारतीय समाज में सुधार के लिए समर्पित था। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रन्थों का विशद अध्ययन कर यह बताने की चेष्टा भी की कि भारतीय समाज में वर्ण-व्यवस्था, जाति-प्रथा तथा अस्पृश्यता का प्रचलन समाज में कालान्तर में आई विकृतियों के कारण उत्पन्न हुई है, न कि यह यहाँ के समाज में प्रारम्भ से ही विद्यमान थी।

सामाजिक क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए प्रयास किसी भी दृष्टिकोण से आधुनिक भारत के निर्माण में भुलाये नहीं जा सकते जिसकी प्रासंगिकता आज तक जीवंत है। सामाजिक क्षेत्र में उनके विचारों की प्रासंगिकता को निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है-

- अम्बेडकर ने वर्ण व्यवस्था को अवैज्ञानिक, अत्याचारपूर्ण, संकीर्ण तथा गरिमाहीन बताते हुए इसकी कटु आलोचना की थी।
- अम्बेडकर का मत था कि समूह तथा कमजोर वर्गों में जितना उग्र संघर्ष भारत में है, वैसा विश्व के किसी अन्य देशों में नहीं है।
- इस व्यवस्था में कार्यकुशलता की हानि होती है, क्योंकि जातीय आधार पर व्यक्तियों के कार्यों का पूर्व में ही निर्धारण हो जाता है।
- अन्तर्जातीय विवाह इस व्यवस्था में निषेध होते हैं।
- सामाजिक विद्वेष और घृणा के प्रसार से इस व्यवस्था को बल मिलता है।

उल्लेखनीय है कि इन भेदभावों के खिलाफ उन्होंने व्यापक आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों और जुलूसों के द्वारा, पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी लोगों के लिये खुलवाने के साथ ही उन्होंने अछूतों को भी मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिये भी संघर्ष किया।

महिलाओं से संबंधित विचार: डॉ. अम्बेडकर भारतीय समाज में स्त्रियों की हीन दशा को लेकर काफी चिंतित थे। उनका मानना था कि स्त्रियों के सम्मानपूर्वक तथा स्वतंत्र जीवन के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। अम्बेडकर ने हमेशा स्त्री-पुरुष समानता का व्यापक समर्थन किया। यही कारण है कि उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम विधिमंत्री रहते हुए 'हिंदू कोड बिल' संसद में प्रस्तुत किया और हिन्दू स्त्रियों के लिए न्याय सम्मत व्यवस्था बनाने के लिए इस विधेयक में उन्होंने व्यापक प्रावधान रखे। उल्लेखनीय है कि संसद में अपने हिन्दू कोड बिल मसौदे को रोके जाने पर उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इस मसौदे में उत्तराधिकार, विवाह और अर्थव्यवस्था के कानूनों में लैंगिक समानता की बात कही गई थी। दरअसल स्वतंत्रता के इतने वर्ष बीत जाने के पश्चात व्यावहारिक धरातल पर इन अधिकारों को लागू नहीं किया जा सका है, वहीं आज भी महिलाएँ उत्पीड़न, लैंगिक भेदभाव हिंसा, समान कार्य के लिए असमान वेतन, दहेज उत्पीड़न और संपत्ति के अधिकार ना मिलने जैसी समस्याओं से जूझ रही हैं।

इस संदर्भ में ध्यान देने वाली बात है कि हाल ही में समान नागरिक संहिता का प्रश्न पुनः उठाया गया है। उसका व्यापक पैमाने पर विरोध किया गया, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने समान नागरिक संहिता का प्रबल समर्थन किया था।

शिक्षा संबंधित विचार: अम्बेडकर शिक्षा के महत्व से भली-भाँति परिचित थे। दरअसल अछूत समझी जाने वाली जाति में जन्म लेने के चलते उन्हें अपने स्कूली जीवन में अनेक अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ा था। उनका विश्वास था कि शिक्षा ही व्यक्ति में यह समझ विकसित करती है कि वह अन्य से अलग नहीं है, उसके भी समान अधिकार हैं। उन्होंने एक ऐसे राज्य के निर्माण की बात रखी, जहाँ सम्पूर्ण समाज शिक्षित हो। वे मानते थे कि शिक्षा ही व्यक्ति को अंधविश्वास, झूठ और आडम्बर से दूर करती है। शिक्षा का उद्देश्य लोगों में नैतिकता व जनकल्याण की भावना विकसित करने का होना चाहिए। शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए

जो विकास के साथ-साथ चरित्र निर्माण में भी योगदान दे सके।

उल्लेखनीय है कि डॉ. अम्बेडकर के शिक्षा संबंधित यह विचार आज शिक्षा प्रणाली के आदर्श रूप माने जाते हैं। उन्हीं के विचारों का प्रभाव है कि आज संविधान में शिक्षा के प्रसार में जातिगत, भौगोलिक व आर्थिक असमानताएँ बाधक न बन सके, इसके लिए मूलअधिकार के अनुच्छेद 21-A के तहत शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है, जो उनकी प्रासंगिकता को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रमाणित करती है।

अधिकारों को लेकर विचार: डॉ. अम्बेडकर अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों पर बल देते थे। उनका मानना था कि व्यक्ति को न सिर्फ अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए जागरूक होना चाहिए, अपितु उसके लिए प्रयत्नशील भी होना चाहिए, लेकिन हमें इस सत्य को नहीं भूलना चाहिए कि इन अधिकारों के साथ-साथ हमारा देश के प्रति कुछ कर्त्तव्य भी है। अधिकारों को लेकर उनके यह विचार वर्तमान समय में और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दरअसल वर्तमान विश्व में सरकारें अपने नागरिकों को विकास के समान अवसर प्राप्त करने के लिए कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करती हैं, हालाँकि मौलिक अधिकारों के साथ-साथ मौलिक कर्त्तव्यों की भी बात की जाती है।

श्रमिक वर्ग के लिए कार्य: बाबा साहेब सिर्फ अछूतों, महिलाओं के अधिकार के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज के पुनर्निर्माण के लिए भी प्रयासरत रहे। उन्होंने मजदूर वर्ग के कल्याण के लिए उल्लेखनीय कार्य किये। पहले मजदूरों से प्रतिदिन 12-14 घंटों तक काम लिया जाता था। इनके प्रयासों से प्रतिदिन आठ घंटे काम करने का नियम पारित हुआ।

इसके अलावा उनके प्रयासों से मजदूरों के लिए इंडियन ट्रेड यूनियन अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा मुआवजा आदि से भी सुधार हुए। उल्लेखनीय है कि उन्होंने मजदूरों को राजनीति में सक्रिय भागीदारी करने के लिए प्रेरित किया। वर्तमान के लगभग ज्यादातर श्रम कानून बाबा साहेब के ही बनाए हुए हैं, जो उनके विचारो को जीवंतता प्रदान करते हैं।

भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के विचारों में मतभेद

महात्मा गांधी और बाबा साहेब आंबेडकर के अनेक मुद्दों पर एक जैसे विचार रहे, लेकिन इसके बावजूद उनके विचारों में मतभेद भी रहे, जिसका जिक्र निम्न बिदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है-

- ग्रामीण भारत, जातिप्रथा और छुआ-छूत के मुद्दों पर डॉ. अम्बेडकर और गांधी जी के विचार एक दूसरे के विरोधी बने रहे। हालांकि दोनों की कोशिश देश को सामाजिक न्याय और एकता प्रदान करने की थी और दोनों ने इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के अलग-अलग मार्ग भी बतलाए।
- गांधी जी के मुताबिक यदि जाति व्यवस्था से छुआ-छूत जैसे अभिशाप को बाहर कर दिया जाए तो पूरी व्यवस्था समाज के हित में काम कर सकती है। इसकी तार्किक अवधारणा के लिए गांधी ने गाँव को एक पूर्ण समाज बोलते हुए विकास और उन्नति के केन्द्र में रखा।
- गांधी के विपरीत अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट करने का मत सामने रखा। अम्बेडकर के मुताबिक जब तक समाज में जाति व्यवस्था मौजूद रहेगी तब तक छुआ-छूत जैसे अभिशाप नए-नए रूप में समाज में पनपते रहेंगे।
- गांधी जी ने पूर्ण विकास के लिए लोगों को गाँव का रुख करने की वकालत की। गांधी के मुताबिक देश की इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट सिर्फ इंडस्ट्री या फैक्ट्री के जरिए नहीं भरा जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि औद्योगिक विकास को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के केन्द्र में रखते हुए विकसित किया जाए।
- डॉ. अम्बेडकर का विश्वास था कि बौद्ध धर्म सामाजिक असमानता को समाप्त कर भ्रातृत्व की भावना विकसित करता है। यही कारण था कि अम्बेडकर ने स्वयं अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। इस संदर्भ में अम्बेडकर के विचार महात्मा गांधी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। महात्मा गांधी का यह दृढ़ विश्वास था कि धर्म परिवर्तन करने मात्र से दलित वर्गों की स्थिति में वास्तविक सुधार होगा ही, इसकी कोई निश्चितता नहीं है।

आगे की राह

इस प्रकार निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि अम्बेडकर के सामाजिक चिन्तन में अस्पृश्यों, दलितों तथा शोषित वर्गों के उत्थान के लिए काफी संभावना झलकती है। वे उनके उत्थान के माध्यम से एक ऐसा आदर्श समाज स्थापित करना चाहते थे, जिसमें समानता, स्वतंत्रता तथा भ्रातृत्व के तत्व समाज के आधारभूत सिद्धांत हों।

अगर इनके विचारों को अमल में लायें तो समाज की ज्यादातर समस्याएँ जैसे वर्ण, जाति, लिंग, आर्थिक, राजनैतिक व धार्मिक सभी पहलुओं पर पैनी नजर रखी जा सकती है। साथ ही न्यू इंडिया के लिए एक नया मॉडल व डिजाइन भी तैयार किया जा सकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

- सामाजिक सशक्तीकरण, सम्प्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्म-निरपेक्षता।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-4

- भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान।

■

3. चुनाव आयोग : लोकतंत्र की पवित्रता को बनाये रखने की जिम्मेदारी

चर्चा का कारण

हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के वैल्लोर लोकसभा क्षेत्र में मतदान रद्द करने के चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा है। ध्यातव्य है कि वैल्लोर से भारी संख्या में कैश बरामद हुआ था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजी, राष्ट्रपति ने उनकी इस सिफारिश को मंजूर कर लिया, जिसके बाद यह फैसला लिया गया।

परिचय

भारत में निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जो भारत के संविधान में उल्लिखित नियमों और विनियमों के अनुसार भारत में चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। इसे 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था। इसलिए यह कहा जा सकता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग लोकतंत्र का निर्वहन और सफल संचालन सुनिश्चित करता है।

प्रारंभ में निर्वाचन आयोग में केवल एक

मुख्य चुनाव आयुक्त था। वर्तमान में, इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्त शामिल हैं। पहली बार 16 अक्टूबर 1989 को दो अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति की गयी थी लेकिन उनका कार्यकाल बहुत कम 1 जनवरी 1990 तक ही रहा। इसके बाद इसे फिर से एक सदस्यीय आयोग बना दिया गया। परन्तु बाद में फिर से 1 अक्टूबर 1993 को आयोग में दो अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई और यह फिर से तीन सदस्यीय आयोग बन गया।

आयुक्तों की नियुक्ति और कार्यकाल

राष्ट्रपति के पास मुख्य चुनाव आयुक्त और उनकी सलाह पर अन्य चुनाव आयुक्तों का चयन करने की शक्ति है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के समान वेतन और भत्ते उपलब्ध होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के बिना अन्य आयुक्तों को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता।

अर्द्ध-न्यायिक कार्य

- अनुच्छेद 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में निर्वाचन आयोग से परामर्श करता है।
- अनुच्छेद 192 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल के सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में राज्यों के राज्यपाल निर्वाचन आयोग से परामर्श करते हैं।
- आयोग के पास ऐसे उम्मीदवार को प्रतिबंधित करने की शक्ति है, जो तय समय के भीतर और कानून के अनुसार निर्धारित तरीके से अपने चुनाव खर्चों का लेखा-जोखा आयोग के सामने पेश करने में विफल रहा है।

भारतीय निर्वाचन आयोग की भूमिका

वर्तमान में बदलती परिस्थितियों के परिदृश्य में भारतीय चुनाव आयोग की भूमिका प्रभावी हुई है। कुछ वर्षों में विधायिका एवं कार्यपालिका का ह्रास हुआ, तो दूसरी ओर चुनाव आयोग एवं न्यायपालिका की भूमिका में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। चूंकि चुनाव आयोग आचार संहिता को लागू करता है, इसी संज्ञान को ध्यान में रखते हुए इसे राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की निगरानी और उल्लंघन के मामले में उचित कार्यवाही करने का अधिकार दिया गया है।

चुनाव आयोग के कार्य और शक्तियाँ

भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं-

- यह राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए प्रत्येक चुनाव से पहले आदर्श आचार-संहिता जारी करता है ताकि लोकतंत्र की शोभा बनी रहे।
- यह राजनीतिक दलों को नियंत्रित करता है और चुनाव लड़ने योग्य पार्टियों को पंजीकृत करता है।
- यह सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवार के प्रचार खर्च की अनुमति सीमा को प्रकाशित करता है और इसकी निगरानी भी करता है।
- सभी राजनीतिक दल नियमित रूप से अपनी ऑडिटेड वित्तीय रिपोर्ट चुनाव आयोग को पेश करते हैं।
- आयोग चुनाव के बाद सदस्यों की अयोग्यता के लिए सिफारिश कर सकता है, अगर उसे लगता है कि उन्होंने कुछ दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है।

मुख्य चुनाव आयुक्त बनाम चुनाव आयुक्त

निर्वाचन आयोग एक सामूहिक संस्था है। इस प्रकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त व दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियाँ होती हैं तथा उनके वेतन, भत्ते व दूसरे अनुलाभ भी एक समान होते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की प्राथमिकता केवल इतनी है कि वह निर्वाचन आयोग की बैठक की अध्यक्षता करता है। जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त व दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच विचार में मतभेद होता है तो आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय करता है। निर्वाचन आयुक्तों को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसीलिए वैधानिक रूप में निर्वाचन आयुक्तों को हटाने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है एवं मुख्य निर्वाचन आयुक्त स्वत: संज्ञान की कार्यवाही करते हुए निर्वाचन आयुक्तों को नहीं हटा सकते।

चुनाव आयोग के समक्ष चुनौतियाँ

- संविधान ने चुनाव आयोग के सदस्यों के लिए किसी भी प्रकार की योग्यता (विधिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक अथवा न्यायिक) का निर्धारण नहीं किया है।
- चुनाव आयोग के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य शक्ति विभाजन के संबंध में कोई स्पष्टता नहीं है। इसके अलावा संविधान ने सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्त को सरकार द्वारा किसी और नियुक्ति से वंचित नहीं किया है।
- धारा 29(A), जो निर्वाचन आयोग में राजनीतिक दलों के पंजीकरण से संबंधित है। यह चुनाव आयोग को राजनीतिक दल के पंजीकरण को रद्द करने की शक्ति प्रदान नहीं करता है। चुनाव आयोग के पास विनियामक शक्तियों की कमी के कारण राजनीतिक दलों की संख्या में भारी वृद्धि हो रही है। वर्तमान में कुल पंजीकृत राजनीतिक दलों में से कई राजनीतिक दल चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावा कुछ राजनैतिक दल चुनाव प्रणाली और सार्वजनिक धन में बोझ बनते हैं।
- धारा 33(7) जो किसी उम्मीदवार को एक ही समय में दो सीटों से चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान करती है। इससे अतिरिक्त सीट रिक्त हो जाने पर उप-चुनाव आयोजित करने हेतु सार्वजनिक धन पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ता है। यह उन भावी नेताओं के साथ अन्यायपूर्ण है, जिन्हें बड़े नेताओं के लिए अपनी सीट छोड़नी पड़ती है। नेताओं के द्वारा इसका उपयोग उनके निम्नस्तरीय राजनीतिक प्रदर्शन के चलते, उनकी विफलता के विरुद्ध सुरक्षा उपाय के रूप में किया जाता है।
- धारा 123(3) चुनाव में मत पाने के लिए भ्रष्ट आचरण का पालन करने से संबंधित है। भारत में चुनावों के दौरान धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर वोट माँगे जाते हैं, जिसे कई बार रोक पाने में चुनाव आयोग विफल हो जाता है।
- चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, गोवा और सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों के लोकसभा प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए अधिकतम 70 लाख रुपय खर्च कर सकते हैं लेकिन कानून सम्मत खर्च और वास्तविक खर्चों के बीच काफी अंतर पाया जाता है। लोक सभा प्रत्याशियों द्वारा करोड़ों रुपये खर्च किये जाते है। इन खर्चों का वास्तविक ब्यौरा चुनाव आयोग के समक्ष नहीं मिल पाता है।
- अपराधी व अमीर लोग जनता में पैठ बनाने के लिए राजनीति में प्रवेश करते हैं और पुरजोर कोशिश करते हैं कि उनके खिलाफ

मामलों को समाप्त कर दिया जाए या उन पर कार्यवाही न की जाए। इसमें उनकी मदद कुछ राजनीतिक दल भी करते हैं, जो धन प्राप्ति के लिए इन्हें चुनाव मैदान में उतारते हैं और बदले में इन्हें राजनीतिक संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करते हैं। इससे अपराधियों का राजनीतिकरण बढ़ता जा रहा है, इन पर रोक लगाने में चुनाव आयोग को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

- चुनाव आयोग किसी व्यक्ति को आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अगर दोषी पाता है तो वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के महत्वपूर्ण संरक्षक के रूप में उस व्यक्ति के खिलाफ आंशिक कार्यवाही कर सकता है हालाँकि प्रत्यक्ष रूप से संविधान ने चुनाव आयोग को उच्चतम न्यायालय के समान अवमानना की शक्ति नहीं प्रदान की है जिससे कई बार दोषी व्यक्ति को कड़ी सजा नहीं प्राप्त हो पाती है।

चुनावी प्रक्रिया संबंधी सुधार के प्रयास

- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) ने अपनी चौथी रिपोर्ट 'शासन में नैतिकता' में कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक कॉलेजियम की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- यद्यपि न्यायालय ने स्वीकार किया कि अब तक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति निष्पक्ष और राजनीतिक रूप से तटस्थ रही है, परंतु फिर भी विधि में शून्यता को शीघ्र ही भरा जाना चाहिए।
- वर्तमान में केवल एक सदस्य को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। इसमें संशोधन कर तीनों सदस्यों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।
- वरिष्ठ चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर स्पष्टः पदोन्नत करने संबंधी प्रावधानों को कानून में जोड़ा जाना चाहिए। इससे उनमें सुरक्षा की भावना उत्पन्न की जा सकेगी एवं उन्हें कार्यकारी हस्तक्षेप से पृथक रखा जा सकेगा।
- उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय के अनुसार उसने केन्द्र सरकार को नियमों तथा उम्मीदवारों द्वारा दाखिल किए जाने वाले फॉर्म और नामांकन पत्रों में संशोधन करने के लिए कहा है, ताकि उनके साथ-साथ उनके पति/पत्नी तथा आश्रितों की आय के स्त्रोतों को भी इसमें शामिल किया जा सके।
- उच्चतम न्यायालय ने 2013 के पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ वाद में नोटा (None of the above) के प्रावधान का मार्ग प्रशस्त किया। 2014 में चुनाव आयोग ने एक परिपत्र जारी करते हुए कहा कि नोटा के प्रावधान को राज्यसभा चुनावों में भी शामिल किया जाएगा। इससे प्रतीकात्मक असंतोष के प्रकटीकरण में सहायता प्राप्त होगी इसके साथ ही यह राजनीति के अपराधीकरण को कम करने तथा सहभागी लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में भी सहायक होगा।
- टोटलाइजर मशीनों के माध्यम से उम्मीदवार को अलग-अलग मतदान-केन्द्रों पर प्राप्त मतों को प्रकट किए बिना, इवीएम (EVMs) के समूह के समेकित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप चुनाव से पूर्व तथा पश्चात् मतदाताओं पर होने वाले अत्याचार और उत्पीड़न की धमकी को रोका जा सकता है।
- वीवीपीएटी (VVPAT) मशीनों का प्रयोग आरंभ किया गया है, जिसके द्वारा पेपर ऑडिट के माध्यम से इवीएम परिणामों की जाँच की जा सकती है। इससे स्वदेश-निर्मित मशीनों की जवाबदेहिता का एक और स्तर सुनिश्चित होगा।
- हाल ही में, चुनाव आयोग ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि चुनावी कानून के तहत नियम बनाने की शक्ति उन्हें दी जानी चाहिए, जो अभी केन्द्र के पास है। वर्तमान में, केन्द्र सरकार, चुनाव आयोग से परामर्श करने के बाद लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम पर कानून बनाती है लेकिन केन्द्र सरकार, चुनाव आयोग का परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है।
- वर्षों से चुनावी सुधारों के अंतर्गत मुख्य मुद्दा वित्तीय जबावदेही बना हुआ है। इस क्षेत्र में भी सुधार हुए है, राजनीतिक दलों को नकद दान दी जाने वाली राशि पर अधिकतम सीमा को कम किया गया है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 सी (1)(ए) के तहत 20,000 रुपये से घटाकर 2000 रुपये तक के चुनावी बॉन्ड की शुरूआत की गयी है।
- आरटीआई के तहत राजनीतिक दलों द्वारा अपने आइटी (IT) रिट्र्नस (Returns) को सार्वजनिक करने से भी चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जा सकता है।

आगे की राह

वर्षों से चुनाव आयोग ने लोकतंत्र को मजबूत करने और चुनाव की निष्पक्षता बढ़ाने के लिए कई प्रशंसनीय चुनावी सुधार किए हैं। ये सुधार काफी पर्याप्त और सराहनीय हैं। निस्संदेह, चुनाव आयोग के तत्वावधान में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव आयोजित कराए गए हैं। हालाँकि हमारी प्रणाली अभी भी कई दोषों से ग्रस्त है। वोट पाने के लिए राजनीतिक दल बेईमानी और भ्रष्टाचार आचरण का सहारा लेते हैं।

इस तरह की विकृतियाँ असामाजिक तत्वों को चुनावी मैदान में उतरने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, समस्या कानूनों की कमी की नहीं हैं, बल्कि उनके सख्त कार्यान्वयन की कमी की है। इन अनुचित प्रवृत्तियों पर लगाम लगाने के लिए, चुनाव आयोग के हाथों को मजबूत करने, इसे और अधिक कानूनी और संस्थागत अधिकार देने की आवश्यकता है। चुनाव आयोग को अपराध करने वाले राजनीतिक नेताओं और चुनावी कानूनों का उल्लंघन करने वाले नेताओं को दंडित करने की शक्तियाँ सौंपी जानी चाहिए।

चुनाव आयोग स्वतंत्र ओर निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसने हमेशा बेहतर प्रणालियों को तैयार किया है और भारतीय चुनावों की उच्च प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए लगातार नई उन्नत वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग किया है। हालाँकि, सुधारों की सफलता बहुत हद तक राजनीतिक दलों की इच्छा पर निर्भर करेगी कि वे ऐसे सुधारों का पालन करें और उन्हें लागू करें। स्वतंत्र मीडिया और प्रबुद्ध जनमत को सुधारों के माध्यम से आगे बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व।

■

4. जल संरक्षण शुल्क : जल के अनुचित दोहन से निजात का मार्ग

चर्चा का कारण

हाल ही में केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन आने वाले केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण ने जल संरक्षण (वाटर कंजर्वेशन) के संबंध में दिशा-निर्देश तैयार कर अधिसूचना जारी कर दी है, जो 1 जून 2019 से लागू हो जाएगी। नए दिशानिर्देश में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण योजनाओं के लिए कोष जुटाने के उद्देश्य से भू-जल के इस्तेमाल पर जल संरक्षण शुल्क लगाया जाए।

परिचय

भू-जल से तात्पर्य उस जल से है जो चट्टानों और मिट्टी से रिस जाता है और भूमि के नीचे जमा हो जाता है। जिन चट्टानों में भूजल जमा होता है, उन्हें जलभृत (Aquifer) कहा जाता है। सामान्य तौर पर जलभृत, बजरी, रेत, बलुआ पत्थर या चूना पत्थर से बने होते हैं। इन चट्टानों से पानी नीचे बह जाता हैं क्योंकि चट्टानों के बीच में ऐसी बड़ी और परस्पर जुड़ी हुई जगहें होती हैं, जो चट्टानों को पारगम्य (प्रवेश के योग्य) बना देती हैं। जलभृतों में जिन जगहों पर पानी भरता है, वे संतृप्त जोन (सैचुरेटेड जोन) कहलाते हैं। सतह में जिस गहराई पर पानी मिलता है, वह जल स्तर (वॉटर लेबल) कहलाता है।

प्रमुख दिशा-निर्देश

जल संरक्षण शुल्क, भू-जल उपयोगकर्त्ताओं द्वारा उपयोग किये गये भू-जल की मात्रा के आधार पर लगाया जाएगा। वर्तमान समय में भारत में बढ़ते भूमिगत जल के उपयोग के आधार पर नए दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिनमें मुख्य बिन्दु शामिल हैं-

- 1 इंच से अधिक व्यास वाली पाइप का उपयोग करने पर (भू-जल प्राप्त करने हेतु) जल संरक्षण शुल्क देना होगा।
- प्राधिकरण ने इस नियम से घरेलू जल उपयोग और किसानों को छूट दी है, हालाँकि सभी प्रकार के उद्योगों, खनन और ढाँचागत परियोजनाओं के लिए भू-जल निकालने को सीजीडब्ल्यूए से एनओसी लेनी होगी। एनओसी सिर्फ पाँच साल के लिये वैध होगी।
- प्राधिकरण ने राज्य सरकार को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अतिरिक्त शर्तें लगाने की छूट दी है, जिसकी समीक्षा प्राधिकरण खुद करेगा।
- भू-जल निकासी के आधार पर सरकार के पास भू-जल ब्लॉक की एक सूची होती है, जिसे मूल्यांकन ब्लॉक कहा जाता है।
- जो लोग पानी निकालने के लिये विद्युत का उपयोग नहीं करते हैं, उन्हें एनओसी (Non-objection certification) और जल संरक्षण शुल्क से मुक्त रखा गया है।
- सरकारी जलापूर्ति एजेंसियों ने सशस्त्र सेनाओं, रक्षा और अर्द्धसैनिक बलों के प्रतिष्ठानों के लिए रणनीतिक और सामरिक बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को छूट प्रदान की गई है।
- आवासीय परियोजनाओं के लिये जल संरक्षण शुल्क की सीमा 1 से 2 रुपये प्रति घन मीटर है, परन्तु आवासीय निकायों को जल संरक्षण शुल्क के अलावा एनओसी के लिये भी आवेदन करने की आवश्यकता है।
- एक कम्पनी को एक दिन में 5000 क्यूबिक मीटर या उससे अधिक जल निकालने पर उसे 'अत्यधिक शोषित' ब्लॉक में शामिल किया जाएगा, लेकिन 'सुरक्षित ब्लॉक' में एक दिन में 20 घन मीटर जल निकालने पर एक कम्पनी को प्रति घन मीटर पर 3 रुपए खर्च करने पड़ेंगे।

इन दिशा-निर्देशों को लागू करने से होने वाले लाभ

- जल संरक्षण शुल्क के माध्यम से जो औद्योगिक इकाईयाँ पानी का दुरुपयोग करती हैं, उन्हें हतोत्साहित किया जा सकेगा।
- इस शुल्क से उन क्षेत्रों को भी सुरक्षित किया जा सकेगा, जहाँ जमीन से अत्यधिक मात्रा में पानी निकाला जा चुका है और सूखा प्रभावित क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में नये उद्योगों को लगाने से रोका जा सकेगा।
- जल संरक्षण शुल्क श्रेणी, उद्योग के प्रकार तथा भूमि से जल निकालने की मात्रा के आधार पर लगाया जाएगा, जिसके फलस्वरूप भूमिगत जल के दुरूपयोग को रोका जा सकेगा।
- प्रदूषण फैलाने तथा जल को दूषित करने वाले उद्योगों पर कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।
- उद्योगों से निकलने वाला जल, जिसका पुनर्चक्रण हो चुका है और शोधित सीवेज जल के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जायेगा।
- छत पर वर्षा जल संचय प्रणाली को अनिवार्य रूप से स्थापित करना।
- भू-जल स्तर की निरंतर निगरानी करना और केन्द्रीय भू-जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) को रिपोर्ट सौंपना है साथ ही अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण कर उसका पुनः उपयोग करना।
- डिजिटल प्रवाह मीटरों की पीजो मीटर और डिजिटल स्तर रिकॉर्डरों की अनिवार्यता।
- जल संरक्षण शुल्क लागू होने से भूमिगत जल को दूषित होने से रोकने हेतु अपनाए जाने वाले उपायों को प्रोत्साहित करना।

दिशा-निर्देशों की कमियाँ

इन नये दिशा-निर्देशों में विशेषताओं के साथ-साथ कुछ कमियाँ भी दिखाई पड़ती हैं, जैसे-

- इसमें सिंचाई के पानी को किफायती और जरूरत के अनुसार इस्तेमाल सुनिश्चित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।
- जल संसाधन की स्थिति को लेकर कोई व्यापक नजरिया न होने के कारण यह माना जा सकता है कि नगर निकाय इसके वाणिज्यिक उपयोग को लेकर शिथिलता बरतेंगे।
- गौरतलब है कि भू-जल निकासी का 90 प्रतिशत हिस्सा सिंचाई के काम में प्रयोग किया जाता है। घरेलू क्षेत्र में इसका 5 फीसदी इस्तेमाल किया जाता है लेकिन उसे किसी भी तरह की रोक-टोक से छूट प्रदान की गई है।
- ऐसे में वह 5 फीसदी जल बचता है जिसका इस्तेमाल औद्योगिक इकाइयों द्वारा किया जाता है। इसी पानी का सावधानीपूर्वक इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाए जा सकते हैं, परन्तु कुछ प्रावधानों को शिथिल किया गया है जो पहले से अस्तित्व में है।
- पानी की निकासी को लेकर कोई सीमा तय नहीं किये जाने से यह कदम भी पैसे वाले उपभोक्ताओं द्वारा पानी बर्बाद करने की प्रवृत्ति पर कोई रोक/अंकुश नहीं लगा पाएगा।
- भारत पहले से ही दुनिया में भू-जल के प्रयोग के मामले में शीर्ष पर है। हमारे यहाँ सालाना करीब 253 अरब घन मीटर पानी निकाला जाता है। यह दुनियाभर की वार्षिक जल निकासी के 25 फीसदी के बराबर है।

- कई वाणिज्यिक उपक्रम मसलन पेय पदार्थ और बोतलबंद पेयजल के उद्यम न केवल ढेर सारा पानी लेते हैं, बल्कि बहुत बड़ी मात्रा में पानी बर्बाद भी करते हैं।

विधायी और नीतिगत संरचना

वर्तमान में सुखभोग अधिनियम, 1882 प्रत्येक भू-स्वामी को जमीन के भीतर या उसकी सतह पर मौजूद पानी को अपने दायरे के अंदर जमा करने और निस्तारित करने का अधिकार देता है। इसलिए भू-जल निकासी को विनियमित करना कठिन हो जाता है क्योंकि उस पर उस व्यक्ति का स्वामित्व होता है जो जमीन का मालिक होता है। इससे भू-जल पर भू-स्वामियों का अधिकार हो जाता है। इसके अतिरिक्त कानून अपने दायरे के तहत भूमि से वंचित लोगों को बाहर करता है। संविधान के तहत जल संबंधी मामलों को राज्य सूची में रखा गया है। इसका अर्थ यह है कि इस विषय पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है।

संस्थागत संरचना

केंद्र सरकार के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय ही देश में जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भी भू-जल प्रबंधन से संबंधित कुछ कार्यक्रमों को लागू करता है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय प्रदूषण, विशेष रूप से जल प्रदूषण तथा भूजल संदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए आंशिक रूप से उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त ऐसे चार प्रमुख केंद्रीय संस्थान हैं जो भू-जल से संबंधित समस्याओं को हल करते हैं।

केंद्रीय जल आयोग: देश में राज्य सरकारों के सहयोग से जल संसाधनों के संरक्षण और उपयोग के लिए योजनाओं को प्रारंभ और समन्वित करना और जल की गुणवत्ता का निरीक्षण करना

केंद्रीय भू-जल बोर्ड: भू-जल के सतत उपयोग से संबंधित प्रौद्योगिकी को विकसित और प्रसारित करना, भू-जल संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए नीतियों का निरीक्षण और कार्यान्वयन करना, भू-जल संसाधनों का आकलन करना।

केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण: भू-जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के तहत गठित, कानूनी कार्रवाई का सहारा लिया जा सकता है और आवश्यक विनियामक निर्देश जारी कर सकता है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड: जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का कार्यान्वयन जो कि जल की गुणवत्ता को बरकरार रखने का प्रयास करता है।

भारत में भू-जल की निकासी और उपयोग

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत भू-जल के अत्यधिक उपयोग और संदूषण के संकट की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भू-जल का अत्यधिक उपयोग या अतिदोहन उस परिस्थिति को कहते हैं जब एक समयावधि के बाद जलभृतों की औसत निकासी दर, औसत पुनर्भरण की दर से अधिक होती है।

भारत में भू-जल की अपेक्षा सतही जल की उपलब्धता अधिक है। फिर भी भू-जल की विकेंद्रित उपलब्धता के कारण यह आसानी से प्राप्त किया जा सकता है और भारत की कृषि और पेयजल आपूर्ति में उसकी हिस्सेदारी बहुत बड़ी है। निष्कर्षित भू-जल का 89% हिस्सा सिंचाई क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद घरेलू उपयोग का स्थान आता है जो कि निष्कर्षित भू-जल का 9% है। भू-जल का 2% हिस्सा उद्योगों में उपयोग किया जाता है। शहरों में जल की 50% और गाँवों में जल की 85% घरेलू आवश्यकता भू-जल से पूरी होती है।

भू-जल के माध्यम से सिंचाई: भू-जल का सबसे अधिक उपयोग सिंचाई के लिए होता है। देश में सिंचाई के मुख्य साधनों में नहरें, टैंक और कुएँ तथा ट्यूब वेल हैं। इन सभी जल स्रोतों में भू-जल की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। कुएँ, खास तौर से खुदाई किए गए कुएँ, उथले ट्यूब वेल और गहरे ट्यूब वेल सिंचाई के लिए 61.6% जल उपलब्ध कराते हैं जबकि नहरें 24.5% जल उपलब्ध कराती हैं।

पिछले कुछ वर्षों में सिंचाई के लिए सतही जल के उपयोग में लगातार गिरावट आई है और भूजल उपयोग निरंतर बढ़ा है।

ट्यूब वेलों की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है जिससे संकेत मिलता है कि किसानों द्वारा सिंचाई के लिए ट्यूब वेलों का अधिक प्रयोग किया जा रहा है। हरित क्रांति की शुरूआत ने सिंचाई के लिए भूजल पर निर्भरता बढ़ाई क्योंकि यह स्वयं कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए जल और उर्वरकों जैसे आगतों के अत्यधिक उपयोग पर निर्भर थी। सिंचाई उपकरणों के लिए ऋण और बिजली आपूर्ति के लिए सब्सिडी जैसे प्रोत्साहनों ने स्थिति को बदतर किया। बिजली की दरों में कमी आने से जल उपयोग तेजी से बढ़ा जिसका परिणाम यह हुआ कि जल स्तर गिरता चला गया।

भू-जल संदूषण: भू-जल संदूषण तब होता है जब पानी में प्रदूषकों की उपस्थिति निर्धारित मात्रा से अधिक होती है या कह सकते हैं कि यह मात्रा पेयजल में निर्धारित प्रदूषकों की मात्रा से अधिक होती है। सामान्य तौर पर पाए जाने वाले संदूषकों में आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट और आयरन शामिल हैं जो प्रकृति से भूआनुवंशिक होते हैं। अन्य संदूषणों में बैक्टीरिया, फॉस्फेट और भारी धातुएं आती हैं जिनके कारण घरेलू सीवेज, कृषि कार्य और औद्योगिक अपशिष्ट सहित अन्य मानव गतिविधियाँ हैं। 10 संदूषण के स्रोतों में कचरा भरावों, सैप्टिक टैंकों और लीकेज वाले भूमिगत गैस टैंकों से होने वाला प्रदूषण और उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग शामिल है। इस बात का संकेत मिलता है कि देश के लगभग 60% जिलों में भूमिगत जल को लेकर कोई न कोई समस्या है या तो जल उपलब्ध नहीं है या उसकी गुणवत्ता में कमी है। कहीं-कहीं ये दोनों समस्याएँ एक साथ मौजूद हैं। भू-जल में आर्सेनिक की उच्च मात्रा की मौजूदगी की समीक्षा करने वाली आकलन समिति ने यह पाया कि देश के 10 राज्यों के 68 जिलों में भू-जल में आर्सेनिक की उच्च मात्रा मौजूद है। ये 10 राज्य हैं- हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर और कर्नाटक।

वर्तमान स्थिति चिंताजनक

भारत विश्व में भू-जल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता वाला देश है जो प्रतिवर्ष लगभग 250 क्यूबिक मी. (अमेरिका से दुगुने से भी अधिक) भू-जल का इस्तेमाल करता है। केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण के नवीनतम आँकड़ों के अनुसार वर्ष भर में 447 बिलियन क्यूबिक मीटर (BCM) भू-जल में से 228 बिलियन क्युबिक मीटर भू-जल का प्रयोग सिंचाई में किया जा रहा है, जबकि 25 बिलियन क्यूबिक मीटर भू-जल का प्रयोग घरेलू, पेय और उद्योगों के कार्यों में किया जा रहा है।

देश के 661 जिलों में लगभग 13 मीलियन खोदे गए कुओं और उथले ट्यूबवेल तथा 5 मिलियन मध्यम ट्यूबवेल एवं गहरे ट्यूबवेल मिलकर क्रमशः 38 मिलियन हैक्टेयर और 23 मिलियन हैक्टेयर जमीन की सिंचाई करते हैं।

इसके अलावा वर्ष 2017 में जल संसाधन की स्थायी समिति ने अपनी 23वीं रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला है कि पानी के वाणिज्यिक दोहन के कारण स्थिति और चिंताजनक हो गयी है। समिति ने बताया है कि देश की लगभग 17.14 लाख बस्तियों में 85 प्रतिशत ग्रामीण पेयजल योजनाएँ भू-जल आपूर्ति द्वारा संचालित हैं।

इसके अलावा भू-जल पर आधारित पैकेज्ड जल संयंत्रों को लगभग 7426 लाइसेंस प्रदान किये गये हैं। इनमें से कुछ राज्य (आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु) ऐसे हैं जहाँ भू-जल संकट विद्यमान है। इतना ही नहीं विभिन्न राज्यों में कई बहुराष्ट्रीय पेय और पैकेज्ड पेयजल कंपनियाँ तय सीमा 2.4 लाख लीटर से ज्यादा लगभग 6.5-15 लाख लीटर

तक भू-जल का दोहन करती हैं। विश्लेषकों के अनुसार अधिकांश महानगरीय शहरों में टैंकर माफिया रोजाना 50 लाख लीटर भू-जल अवैध रूप से निकाल रहे हैं।

नासा के अनुसार भारत में भू-जल निष्कर्षण की दर इतनी खतरनाक है कि यह प्रतिवर्ष 0.3 मीटर की दर से घट रहा है। केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के एक ताजा सर्वेक्षण के अनुसार भू-जल के संबंध में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की स्थिति काफी बदतर है।

जल संसाधन की स्थायी समिति ने अपनी 23वीं रिपोर्ट (2017-18) में रेखांकित किया कि 2020 तक दिल्ली, बंगलुरु, हैदराबाद सहित 21 प्रमुख शहरों में 100 मिलियन लोगों को भू-जल उपलब्ध नहीं हो पाएगा अर्थात् इन शहरों में भू-जल लगभग समाप्ति की कगार पर है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट जल प्रबंधन सूचकांक (Water Composite Management Index) में खुलासा किया कि देश के अधिकांश कुओं के जल में लगभग 54 फीसदी की कमी आई है और अधिकांश राज्यों ने भू-जल संसाधनों के संवर्द्धन की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अगर स्थिति यही बनी रही तो 2030 तक देश में जल की माँग आपूर्ति के मुकाबले दोगुनी होने और देश के जीडीपी में 6 प्रतिशत की कमी होने का अनुमान है। इसके अलावा भूजल स्तर गिरने से सिंचाई लागत में वृद्धि होगी जिससे खेती की लागत में बढ़ोत्तरी होगी। इसके अतिरिक्त अन्य चुनौतियाँ आज भी बनी हुई हैं जैसे-

- देश के कुल 6,584 भू-जल ब्लॉक में से 1,034 को पहले ही अत्यधिक दोहन वाला घोषित किया जा चुका है, शेष में से 253 ब्लॉक गम्भीर और 681 ब्लॉक अर्द्धगम्भीर स्थिति में पहुँच चुके हैं।
- करीब 96 ब्लॉकों में तो केवल खारा पानी है जिसका बहुत अधिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
- रीचार्ज के लिए प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरीके इस्तेमाल किये जा सकते हैं। इन हालात में जल संसाधन की अत्यधिक देख-रेख की आवश्यकता है साथ ही वर्षा जल से इसे दोबारा भरने को भी प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।
- सरकार को कृषि क्षेत्र में भू-जल का इस्तेमाल नियंत्रित करने के लिए टपकन सिंचाई (Drip Irrigation) जैसे उपायों को बढ़ाना चाहिये, किन्तु ऐसा नहीं हो पा रहा है।

सरकारी प्रयास

- अटल भू-जल योजना को 5 जून 2018 को लागू किया गया था। इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने 6000 करोड़ रुपये का बजट प्रदान किया है। केंद्र सरकार द्वारा लगातार घटते भूजल के संकट का सामना करने हेतु जल संरक्षण की महत्वाकांक्षी योजना 'अटल भू-जल योजना' (Atal Bhujal Yojana) तैयार की गई है इस योजना का उद्देश्य भूजल का पुनर्भरण करना और कृषि क्षेत्र के लिए पर्याप्त जल भंडारण करना है।
- साथ ही सतही जल निकायों का पुनरुद्धार करना ताकि विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में भू-जल स्तर बढ़ाया जा सके। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रतिवर्ष लगभग 245 बिलियन घन मीटर भू-जल का दोहन किया जाता है जो कि सकल वैश्विक भू-जल दोहन का लगभग 25 प्रतिशत है।
- विगत 4-5 दशकों में भारत में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र अपनी जलापूर्ति के लिए 80 प्रतिशत भू-जल पर निर्भर है।

आगे की राह

वर्तमान समय में भू-जल के उचित मूल्य निर्धारण के अलावा सरकार को ऐसी नीतियों को बनाने की आवश्यकता है, जो कृषि में भी भू-जल के विवेकपूर्ण (Judicious) उपयोग को बढ़ावा दे। भू-जल निष्कर्षण को कम करने के लिए सरकार को नयी सिंचाई तकनीकों जैसे- ड्रिप और स्प्रिंकलर तकनीक को प्रोत्साहित करना चाहिए। जहाँ पारंपरिक तरीके से सिंचाई करने पर जल की काफी ज्यादा बर्बादी होती है, वहां ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई से लगभग 50 प्रतिशत पानी की बचत की जा सकती है।

स्वामीनाथन कमेटी ने भी इस प्रकार के तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया था। इसके अलावा समिति ने समुदाय आधारित भू-जल प्रबंधन को संस्थागत बनाने एवं अन्य पर्यावरण हितैषी उपायों को अपनाने पर जोर दिया था। स्थानीय भू-जल संसाधनों की स्थिति एवं उसकी समीक्षा, शिक्षा, जागरूकता के कार्यक्रमों में वृद्धि करने की आवश्यकता है जो कुशलतापूर्वक जल संसाधनों का प्रबंधन, रखरखाव और वितरण को सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त भू-जल के अतिदोहन के परिणामों को लेकर भी लोगों के बीच साक्षरता आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक राज्य सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि वे भू-जल का अवैध व्यापार करने वाले भू-जल माफियाओं पर कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

■

5. बंगाल की खाड़ी : अंतर्राष्ट्रीय संबंध और नीति निर्माण का उभरता क्षेत्र

चर्चा का कारण

हाल ही में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा कोलकाता में जापान के वाणिज्य दूतावास और कोलकाता विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर साउथ एवं साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज के सहयोग से 'बंगाल की खाड़ी का सामरिक महत्त्व भारत, जापान और दक्षिण-पूर्व एशिया' पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया।

परिचय

बंगाल की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है और हिन्द-महासागर का पूर्वोत्तर भाग है। यह एक त्रिभुजाकार खाड़ी है जो पश्चिमी ओर से अधिकांशतः भारत एवं श्रीलंका, उत्तर से बांग्लादेश एवं पूर्वी ओर से म्यांमार तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह से घिरी है। बंगाल की

खाड़ी का क्षेत्रफल 21,72,000 किमी.[2] है। प्राचीन हिन्दू ग्रन्थों के अनुसार इसे 'महोदद्दि' कहा जाता था। बंगाल की खाड़ी में भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा तथा उसकी सहायक नदी पद्मा, हुगली, ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदी जमुना, मेघना के अलावा अन्य नदियाँ जैसे इरावती, गोदावरी, महानदी आदि नदियाँ आकर मिलती हैं। इसमें स्थित मुख्य बंदरगाहों में चेन्नई, चटगाँव, कोलकाता, पारादीप और विशाखापट्टनम आदि हैं। इस खाड़ी क्षेत्र में बहुत से द्वीप एवं द्वीपसमूह हैं, जिनमें प्रमुख हैं भारत के अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीपसमूह एवं मेरगुई द्वीप। बंगाल की खाड़ी एक क्षारीय जल का सागर है और यह हिन्द महासागर का भाग है।

बंगाल की खाड़ी का सामरिक महत्त्व

बंगाल की खाड़ी मध्य-पूर्व से फिलीपींस सागर तक के क्षेत्र के बीचों-बीच स्थित है। वैमानिक सामरिक महत्त्व को देखें तो भी यह क्षेत्र के प्रमुख विश्व वायु मार्गों के बीच में स्थित है। यह खाड़ी दो आर्थिक समूहों सार्क (SAARC) और आसियान (ASEAN) के बीच आती है। इसके उत्तर में चीन का दक्षिणी भूमिबद्ध क्षेत्र होने के साथ-साथ भारत और बांग्लादेश के प्रमुख बंदरगाह भी बने हैं। गहरे सागर में आतंकवाद की रोकथाम करने के उद्देश्य से भारत, चीन और बांग्लादेश ने मलेशिया, थाईलैण्ड और इंडोनेशिया के साथ नौसैनिक सहयोग के लिए समझौते किए हैं।

भारत के लिए बंगाल की खाड़ी सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का प्रभाव क्षेत्र खाड़ी के प्राकृतिक विस्तार में ही आता है। दूसरे मुख्य भूमि से दूरस्थ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इसी खाड़ी द्वारा भारत से जुड़े हैं। तीसरे भारत के कई प्रमुख बंदरगाह जैसे कोलकाता, चेन्नई और विशाखापट्टनम आदि बंगाल की खाड़ी में ही स्थित हैं। हाल ही में चीन ने इस क्षेत्र में प्रभाव डालने की दृष्टि से म्यांमार एवं बांग्लादेश से गठजोड़ के भी प्रयास किए हैं। इस खाड़ी में अमेरिका, भारत, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैण्ड ने मिलकर अभ्यास भी किए हैं। बंगाल की खाड़ी में अब तक का सबसे बड़ा अभ्यास मालाबार अभ्यास है, जो अमेरिका, जापान, भारत (कभी-कभी आस्ट्रेलिया भी शामिल होता है) के द्वारा किया जाता है। इस क्षेत्र से पानी के जहाजों द्वारा कई बिलियन डॉलर का व्यापार होता है। इस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के बड़े भण्डारों की भी संभावना है। इसलिए यह क्षेत्र भारत के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।

भारत, जापान और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच निकटता

वर्तमान समय में हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र में स्थित देशों का भौगोलिक जुड़ाव एक नया स्वरूप ले रहा है, परिणामस्वरूप हिन्द प्रशांत के व्यापक क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी फिर से केन्द्रीय भूमिका में आने लगी है। इसके एक स्वाभाविक परिणाम के रूप में भारत, जापान और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के विचारों में अपेक्षाकृत अधिक निकटता दृष्टिगोचर हो रही है और इन देशों के बीच इसकी खासी जरूरत महसूस होने लगी है कि अब वे और ज्यादा प्रभावी तरीके से एक-दूसरे के साथ तालमेल और संपर्क बढ़ाएँ।

बंगाल की खाड़ी अब चीन की 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव', जापान की 'फ्री एंड ओपेन इंडो पैसिफिक', भारत की 'लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीति' तथा इंडोनेशिया की 'वैश्विक सामुदायिक आलम्ब' जैसी विविध नीतिगत पहलों का हिस्सा बन चुकी है। विशेष रूप से, जापान पूरी बंगाल की खाड़ी में अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ क्षेत्र के आर्थिक एकीकरण को सुदृढ़ बनाने के लिए दृढ़ संकल्प है। इसी के फलस्वरूप, बहु-क्षेत्रवार तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी, बिम्सटेक (BIMSTEC) के देशों के बीच फिर से महत्वपूर्ण हो गई है।

इस क्षेत्र में भारत की आर्थिक प्राथमिकताओं और संबंधों की बदलती रूपरेखा ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है और देश की 'लुक ईस्ट नीति और एक्ट ईस्ट नीति' ने नई व्यावसायिक गतिविधियों के द्वार खोल दिए हैं। आसियान देशों के साथ आर्थिक सहयोग की संभावनाओं, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी की प्रगति एवं जापान की 'बे ऑफ बंगाल इंडस्ट्रियल ग्रोथ बेल्ट' ने भारत को इस क्षेत्र के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ बनाने को प्रेरित किया है। वर्तमान में भारत के सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया के साथ मजबूत आर्थिक संबंध हैं। समुद्री अर्थव्यवस्था (ब्लू इकोनॉमी) जैसे प्रचलनों के साथ व्यापार युद्ध की आशंका भी, परस्पर व्यापक विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों को साझा करने वाले तटीय देशों के बीच बलवती हो रही है।

बंगाल की खाड़ी में मानवीय सहायता एवं आपदा प्रबंधन

आपदाएँ प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों ही वजहों से आती हैं, इनका खतरा सुनामी से लेकर समुद्र में तेल के फैलाव तक बना हुआ है। मानव निर्मित आपदाओं को तो संभवतः रोका जा सकता है, लेकिन इसके लिए बंगाल की खाड़ी से जुड़े सभी देशों द्वारा उपयुक्त रेगुलेशन एवं सख्त नियंत्रण की आवश्यकता है। दूसरी तरफ, प्राकृतिक आपदाओं को रोका नही जा सकता। इस प्रकार कुशल प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करना और अग्रिम रूप से इसके असर को प्रभावी तरीके से कम करने के लिए कदम उठाया जाना जरूरी है। इस संबंध में भौगोलिक निकटता एवं सामूहिक संवेदनशीलता को देखते हुए, विशेष रूप से, इंडोनेशिया द्वीपसमूह अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह को प्रतिक्रिया के प्रथम बिन्दु के रूप में विकसित किया जा सकता है। चूँकि बंगाल की खाड़ी का वर्तमान विक्षोभ जलवायु परिवर्तन के साथ और भी बढ़ जाता है। इस क्षेत्र के अधिक प्रभावशाली देशों के सहयोग से बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूहों ने पहले से ही द्वि पक्षीय और बहुपक्षीय आपदा प्रबंधन अभ्यासों का संचालन आरंभ कर दिया है। यह वांछनीय है कि आसियान और बिम्सटेक जैसे क्षेत्रीय मंच आपदा प्रबंधन में सहयोग करें। लेकिन मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अनिवार्य रूप से सभी अवसरों पर द्वीपसमूहों की संप्रभुता की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रभावित देशों की सहमति से उपलब्ध कराया जाना चाहिए। भारत शुरूआत से ही इस क्षेत्र में 'फ्री एंड ओपन नेवीगेशन' का प्रबल समर्थक रहा है।

बिम्सटेक (BIMSTEC)

6 जून 1997 को बैंकॉक में बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाइलैण्ड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन नाम से एक क्षेत्रीय समूह की स्थापना हुयी थी। तब इन देशों के पहले नाम के अक्षरों के आधार पर इसका नाम BIST-EC रखा गया था। मगर 22 दिसंबर 1997 को म्यांमार भी इसका पूर्णकालिक सदस्य बन गया। ऐसे में इसका नाम BIMSTEC कर दिया गया। बाद में साल 2004 में नेपाल और भूटान भी इसके सदस्य बन गए, ऐसे में 31 जुलाई 2004 को इसके नाम का अर्थ बदलते हुए 'बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन' कर दिया गया।

इसमें एक मुद्दा यह था कि सार्क जो एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में दक्षिण एशिया में है, इसके अंदर कुछ कठिनाइयाँ हैं, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच कई चीजों को लेकर विवाद है। दूसरी बात यह है कि भारत की लुक ईस्ट नीति 1991 के समय से शुरू हुयी थी। पूर्व की तरफ देखने की पहल के तहत भारत ने बंगाल की खाड़ी से सटे देशों के साथ बिम्सटेक

शुरू किया। आज इसमें सात देश हैं जिनकी पहुँच बंगाल की खाड़ी से है जैसे- श्रीलंका, थाइलैण्ड, भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान।

बिम्सटेक ने लगभग 14 एजेंडे तय किए हैं जो आपस में आर्थिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर आधारित है। बिम्सटेक के सदस्य देशों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (Free trade agreement) (मुफ्त व्यापार समझौता) का प्रस्ताव है ताकि आपस में व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। अभी इन समूह के कुछ देशों में ही व्यापक व्यापार है, जैसे- भारत और श्रीलंका, भारत और नेपाल, म्यांमार और थाइलैन्ड के बीच में। बिम्सटेक न केवल दक्षिण व दक्षिण-पूर्वी एशिया को जोड़ता है बल्कि हिमालय और बंगाल की खाड़ी की पारिस्थितिकी को भी शामिल करता है। एक दूसरे से जुड़े साझा मूल्यों, इतिहासों और जीवन के तरीकों के चलते बिम्सटेक शांति और विकास के लिये एक समान स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है।

वर्तमान वैश्वीकरण के युग में इसके अंतर्क्रियात्मक सहयोग को गति प्रदान करने की आवश्यकता है। 2014 में ढाका में बिम्सटेक के सचिवालय की स्थापना की गई है लेकिन इसकी पहुँच को सार्क, आसियान जैसे अन्य संगठनों की तरह बढ़ाने की आवश्यकता है। समूहों के बीच व्यापार और निवेश को भी बढ़ाने की आवश्यकता है।

बंगाल की खाड़ी में चुनौतियाँ

- पिछले कुछ सालों में चीन का प्रभाव इस क्षेत्र में लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन की पनडुब्बियों की गश्ती इस क्षेत्र में लगातार बढ़ती जा रही है जो भारत के लिए चिन्ता का विषय है।
- चीन ने भूटान और भारत को छोड़कर लगभग सभी बिम्सटेक देशों में भारी निवेश कर रखा है। ऐसे में हिन्द महासागर तक पहुँचने के लिए बंगाल की खाड़ी तक पहुँच बनाना चीन के लिए जरूरी होता जा रहा है, जो भारतीय दृष्टिकोण से बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
- चीन के द्वारा वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटीव के तहत इस क्षेत्र का सैन्यीकरण किया जा रहा है, जैसे- श्रीलंका ने अपना हंबनटोटा पोर्ट चीन को लीज पर दे दिया है। इससे भारत के ऊपर इस क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित करने का दबाव बढ़ गया है।
- इस क्षेत्र में मछुआरों को लेकर भी विवाद उभरते रहते हैं क्योंकि मछुआरों को अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का पता नहीं होता और वो दूसरे देश की सीमा में जाकर भी मछली पकड़ते हैं। कई बार मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और दो देशों के बीच मतभेद उभर आते हैं, जैसे- भारत और श्रीलंका के बीच तथा म्यांमार और श्रीलंका के बीच आदि।
- इस क्षेत्र में शरणार्थियों के प्रवासन से भी संबंधित मुद्दे उभरते हैं। जैसे- रोहिंग्या शरणार्थी म्यांमार से प्रवास करके बांग्लादेश और भारत में आ जाते हैं जिससे इन देशों के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है और देशों के बीच विवाद उत्पन्न होता है।
- बंगाल की खाड़ी चक्रवातों के लिए काफी सुभेद्द है। अभी हाल में आया पिथाई (Pethai) चक्रवात ने भारत के पूर्वी तटीय राज्यों में काफी तबाही मचाई जिससे काफी जान-माल का नुकसान हुआ। बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों की बारंबारता देखने को मिलती है।
- बंगाल की खाड़ी से जाने वाले मालवाहक जहाजों से कई बार तेल रिसाव (Oil Spill) होकर खाड़ी में फैल जाता है। जिससे इसकी पारिस्थितिकी को बहुत नुकसान पहुँचता है, जिससे अंततोगत्वा नुकसान इसके तटीय देशों को ही होता है।

आगे की राह

बंगाल की खाड़ी में वर्तमान में जारी घटनाक्रम का भारत-प्रशांत के परिदृश्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। कमजोर घरेलू संस्थानों एवं बुनियादी ढाँचों की कमी जैसे क्षेत्र की मौजूदा दुर्बलताओं पर ध्यान देना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बंगाल की खाड़ी में क्षेत्रीय सहयोग की संस्कृति विकसित करनी होगी। बहरहाल, ऐसा करने में दो महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा। पहली बात यह कि चूँकि बंगाल की खाड़ी प्रमुख शक्ति प्रतिस्पर्धा की पृष्ठभूमि में उभर रही है, इसके लिए एक स्थिर सुरक्षा संरचना की आवश्यकता है। इसलिए, नई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सुरक्षा साझेदारियाँ, बदलते सुरक्षा परिदृश्य का प्रत्युत्तर देने के लिए विकसित की जा रही है। दूसरी ओर पारंपरिक विचार से विपरीत बात यह है कि इस क्षेत्र के भविष्य के लिए हमें अमेरिका-चीन संबंधों से परे देखना होगा क्योंकि इस क्षेत्र का भविष्य अमेरिका-चीन संबंध निर्धारित नहीं करेंगे बल्कि इस क्षेत्र के देश जिस प्रकार आंतरिक और बाहरी रूप से गतिशील बन रहे हैं, इसका भविष्य उससे तय होगा। इसलिए, संपर्क (कनेक्टिविटी) बढ़ाने से संबंधित पहलों को विस्तारित कर उनमें अनिवार्य रूप से मानव संसाधन विकास और संस्थागत सुधार के पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।
- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

■

6. आयुष : रोग निदान का एक वैकल्पिक तरीका

चर्चा का कारण

हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस पर केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच) की ओर से नई दिल्ली के डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र में दो-दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है।

पृष्ठभूमि

विश्व होम्योपैथी दिवस प्रत्येक साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। यह होम्योपैथी के संस्थापक डॉ सैमुअल हनीमैन की जयंती के मौके पर मनाया जाता है। होम्योपैथी एक चिकित्सा पद्धति है जो औषधियों और उनके अनुप्रयोग पर आधारित है।

भारत में होम्योपैथी उस समय आरम्भ की गयी थी, जब कुछ जर्मन मिशनरियों और चिकित्सकों ने स्थानीय निवासियों के बीच होम्योपैथिक दवाओं का वितरण करना आरम्भ किया था। तथापि, होम्योपैथी ने भारत में 1839 में उस समय अपनी जड़ पकड़ी, जब डॉ. जॉन मार्टिन होनिगबर्गर ने स्वर-तंत्रों के पक्षाघात के लिए महाराजा रणजीत सिंह का सफलतापूर्वक इलाज किया। डॉ. होनिगबर्गर कोलकाता (तत्कालीन कलकत्ता) में बस गये और हैजा चिकित्सक के रूप में लोकप्रिय हो गये। वर्ष 1973 में संसद ने देश में होम्योपैथिक शिक्षा और प्रैक्टिस को विनियमित करने के लिए होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम पारित किया।

केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद

- सीसीआरएच आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त अनुसंधान संगठन है। यह संगठन होम्योपैथी में समन्वय, विकास, प्रसार एवं वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देती है।
- इसे औपचारिक रूप से 30 मार्च 1978 को आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन के रूप में गठित किया गया था।
- परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और पूरे भारत में परिषद् के 22 संस्थान/इकाइयों के नेटवर्क के माध्यम से बहु-केंद्रित अनुसंधान कार्य किये जाते हैं।

होम्योपैथी क्षेत्रों का मूल्यांकन

आज की भाग-दौड़ वाली जिंदगी में बीमारियों ने मनुष्य के शरीर में अपनी पैठ बना ली है, तो लोग भी उनका जड़ से इलाज चाहते हैं। इसके लिए वह होम्योपैथी का सहारा लेते हैं। यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें उपचार में तो समय लगता है लेकिन यह बीमारी को जड़ से मिटाती है। यही कारण है जिसके कारण यह पद्धति तेजी से लोकप्रिय हो रही है।

इसकी खासियत यह है कि यह आर्थराइटिस, डायबिटीज, थायरॉइड और अन्य तमाम गंभीर मानी जाने वाली बीमारियों का प्रभावी इलाज करती है और वह भी बिना किसी दुष्प्रभाव के। आमतौर पर यह धारणा है कि होम्योपैथी दवाईयों का असर बहुत देर से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल, यह पद्धति केवल पुरानी और गंभीर बीमारियों को पूरी तरह ठीक करने में थोड़ा समय लेती है, अन्यथा बुखार, सर्दी-खांसी या अन्य मौसमी या छोटी-मोटी बीमारियों में होम्योपैथिक दवाएँ उतनी ही तेजी से असर करती हैं, जितनी कि अन्य पद्धतियों की दवाएँ।

वाणिज्य संस्थान एचोसैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में होम्योपैथी का बाजार इस समय करीब 12.5 अरब रुपए का है। उम्मीद की जा रही है कि 2020 तक यह लगभग 26 अरब रुपए की हो जाएगी। होम्योपैथी का बाजार प्रतिवर्ष 25-30 प्रतिशत की गति से आगे बढ़ रहा है।

लोगों के बीच होम्योपैथिक चिकित्सा की जितनी माँग बढ़ रही है, उस अनुपात में भारत में पर्याप्त चिकित्सक नहीं हैं। भारत में एलोपैथी और आयुर्वेद के बाद होम्योपैथी तीसरी सर्वाधिक लोकप्रिय चिकित्सा पद्धति है। हालाँकि, आज यह सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है।

भारत में होम्योपैथी

होम्योपैथी भारत में लगभग दो सौ साल पहले आरंभ की गयी थी। आज यह भारत की बहुलवादी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत सरकार ने आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, और सिद्ध और होम्योपैथी जिसे सामूहिक रूप से 'आयुष' के नाम से जाना जाता है, जैसे अन्य पारंपरिक प्रणालियों के विकास एवं प्रगति के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण, केन्द्र और सभी राज्यों में होम्योपैथी का एक संस्थागत ढांचा स्थापित हुआ है।

आयुष सेवाओं को देश की स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदायगी प्रणाली में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सुरक्षा के सभी स्तरों पर शामिल किया गया है। भारत सरकार ने आयुष प्रणालियों को बढ़ावा देने और देश में स्वास्थ्य सुरक्षा के कार्यक्षेत्र में वृद्धि के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए हैं।

होम्योपैथी में स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाएं राज्य सरकारों और म्यूनिसिपल निकायों, श्रम मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा चलाये जाने वाले 235 अस्पतालों और 8117 औषधालयों द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार ने देश में मौलिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदायगी प्रणाली में आवश्यक संरचनात्मक सुधार करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) का शुभारंभ किया है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में इन प्रणालियों के जरिये स्वास्थ्य सुरक्षा को सुसाध्य बनाने के लिए भारतीय औषध प्रणालियों और होम्योपैथी को मुख्यधारा में लाया जाता है।

पिछले दो दशकों से शिक्षा, अनुसंधान और औषध विकास को उन्नत करने और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदायगी में तीव्रता लाने के लिए की गयी पहलों के साथ सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि करने पर निरंतर ध्यान केंद्रित किया गया है।

मौजूदा वैश्विक परिदृश्य

वर्तमान में होम्योपैथी को 80 से अधिक देशों में प्रयोग किया जाता है। इसे 42 देशों में अलग औषध-प्रणाली के रूप में कानूनी मान्यता प्राप्त है और 28 देशों में पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में मान्यता दी गयी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) होम्योपैथी को, पारंपरिक और पूरक औषधि के सबसे अधिक इस्तेमाल किये जाने वाली पद्धतियों में से एक पद्धति के रूप में मान्यता दी है।

अधिकांश यूरोपीय देश होम्योपैथी के बारे में जानते हैं और इनमें से 29 प्रतिशत अपने यहाँ के नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए होम्योपैथी का इस्तेमाल करते हैं। अध्ययनों से यह पता लगा है कि यूरोपीय देशों में बच्चों के लिए होम्योपैथी को पारंपरिक और पूरक चिकित्सा के रूप में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है।

> **ई-आयुष पोर्टल**
>
> इस पोर्टल का उद्देश्य आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी दवाओं के लाइसेंस में बढ़ती पारदर्शिता, बेहतर सूचना प्रबंधन सुविधा, बेहतर डेटा उपयोगिता और बेहतर जवाबदेही लाना है।
>
> प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर एसएमएस और ई-मेल स्टेटस अपडेट के साथ इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन के प्रसंस्करण के लिए समय-सीमा तय की जाएगी।
>
> यह पोर्टल लाइसेंसिंग अथॉरिटी, मैन्युफैक्चर्स और कंज्यूमर्स की सहायता करेगा, क्योंकि यह लाइसेंस प्राप्त मैन्युफैक्चर्स और उनके प्रोडक्ट्स, कैंसिल की गई और नकली दवाओं की रियल टाइम जानकारी, विशिष्ट शिकायतों के लिए संबंधित अथॉरिटी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स मुहैया कराएगा।

आयुष : एक संक्षिप्त विवरण

आयुष (AYUSH) का विस्तृत रूप इस प्रकार है-A = आयुर्वेद – Ayurveda, Y = योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा – Yoga & Naturopathy, U = यूनानी – Unani, S = सिद्ध – Siddha, H = होम्योपैथी –Homoeopathy। आयुष को एलोपैथिक की वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के रूप में देखा जाता है। यह चिकित्सा पद्धति एलोपैथ की तुलना में अत्यधिक कम लागत वाली है। इसी कारण इस पद्धति में यह क्षमता है कि यह बड़ी संख्या में देश के नागरिकों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा कर सकती है। भारत को आयुष (AYUSH- आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) चिकित्सा पद्धतियों की अतुलनीय विरासत प्राप्त है।

आयुर्वेदः आयुर्वेद भारतीय उपमहाद्वीप की एक प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है। आयुर्वेद दो संस्कृत शब्दों 'आयु' जिसका अर्थ 'जीवन' है तथा 'वेद' जिसका अर्थ 'विज्ञान' है, से मिलकर बना है' अतः इसका शाब्दिक अर्थ है 'जीवन का विज्ञान'। अन्य औषधीय प्रणालियों के विपरीत, आयुर्वेद रोगों के उपचार के बजाय स्वस्थ जीवनशैली पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर चार मूल तत्वों से निर्मित है - दोष (कफ, वात् और पित्त), धातु, मल और अग्नि। आयुर्वेद में शरीर की इन बुनियादी बातों का अत्यधिक महत्व है।

यूनानीः यूनानी प्रणाली ने ग्रीस में जन्म लिया। हिप्पोक्रेट्स द्वारा यूनानी प्रणाली की नींव रखी गई थी। इस प्रणाली के मौजूदा स्वरूप का श्रेय अरबों को जाता है, जिन्होंने ग्रीक साहित्य के

अधिकांश हिस्से को अनुवाद कर रोजमर्रा की दवा को समृद्ध बनाया। इस प्रक्रिया में उन्होंने भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, चिकित्सा और सर्जरी का व्यापक इस्तेमाल किया। आज भारत इसका उपयोग करने वाले अग्रणी देशों में से एक है। यहाँ यूनानी शैक्षिक, अनुसंधान और स्वास्थ्य देखभाल करने वाले संस्थानों की सबसे बड़ी संख्या है।

योग: योग संतुलित तरीके से एक व्यक्ति में निहित शक्ति में सुधार या उसका विकास करने का शास्त्र है। यह पूर्ण आत्मानुभूति पाने के लिए इच्छुक मनुष्यों के लिए साधन उपलब्ध कराता है। संस्कृत शब्द योग का शाब्दिक अर्थ 'योक' है। अत: योग को भगवान की सार्वभौमिक भावना के साथ व्यक्तिगत आत्मा को एकजुट करने के एक साधन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। महर्षि पतंजलि के अनुसार, योग मन के संशोधनों का दमन है।

प्राकृतिक चिकित्सा: यह एक ऐसी अनूठी प्रणाली है जिसमें जीवन के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक रचनात्मक सिद्धांतों के साथ व्यक्ति के सद्भाव का निर्माण होता है। इसमें स्वास्थ्य को प्रोत्साहन, रोग निवारक और उपचारात्मक के साथ-साथ मजबूती प्रदान करने की भी अपार संभावनाएँ हैं। ब्रिटिश नेचरोपैथिक एसोसिएशन के घोषणापत्र के अनुसार, प्राकृतिक चिकित्सा उपचार की एक ऐसी प्रणाली है जो शरीर के भीतर महत्वपूर्ण उपचारात्मक शक्ति के अस्तित्व को मान्यता देती है।

सिद्ध: सिद्ध प्रणाली भारत में दवा की सबसे पुरानी प्रणालियों में से एक है। 'सिद्ध' शब्द का अर्थ है उपलब्धियाँ और सिद्ध, संत पुरुष होते थे जो दवा में परिणाम हासिल करते थे। ऐसा कहा जाता है कि 18 सिद्धों ने इस चिकित्सा प्रणाली के विकास की दिशा में योगदान दिया। सिद्ध साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया है और यह भारत के तमिल भारत भाषी हिस्से में तथा विदेश में बड़े पैमाने पर प्रचलित है। सिद्ध प्रणाली काफी हद तक प्राकृतिक चिकित्सा में विश्वास रखती है।

होम्योपैथी: होम्योपैथी आज एक तेजी से बढ़ रही प्रणाली है और लगभग पूरी दुनियाभर में इसे व्यवहार में लाया जा रहा है। 'होम्योपैथी' दो ग्रीक शब्दों, होमोइस अर्थात समान और पैथोस अर्थात करुणा से बना है। इसे डॉ. सैम्युअल हैनिमैन (1755-1843) द्वारा 19 वीं सदी की शुरूआत में एक वैज्ञानिक आधार दिया गया था। हैनिमैन द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक सिद्धांत प्राकृतिक हैं और अच्छी तरह से साबित हुए हैं और आज भी सफलता के साथ उनका पालन किया जाना जारी है।

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) विधेयक, 2019

- यह बिल होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट, 1973 को रद्द करता है और ऐसी चिकित्सा शिक्षा प्रणाली का प्रावधान करता है जो निम्नलिखित बातो को सुनिश्चित करें: (i) उच्च स्तरीय होम्योपैथिक मेडिकल प्रोफेशनल्स पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों, (ii) होम्योपैथिक मेडिकल प्रोफेशनल्स नवीनतम चिकित्सा अनुसंधानों को अपनाएँ, (iii) मेडिकल संस्थानों का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाए और (iv) एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली मौजूद हो।
- **राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के कार्य:** एनसीएच के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) मेडिकल संस्थानों और होम्योपैथिक मेडिकल प्रोफेशनल्स को रेगुलेट करने के लिए नीतियाँ बनाना, (ii) स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित मानव संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी जरूरतों का मूल्यांकन करना, (iii) यह सुनिश्चित करना कि राज्य की होम्योपैथी आयुर्विज्ञान परिषदें बिल के रेगुलेशंस का पालन कर रही हैं, अथवा नहीं, (iv) बिल के अंतर्गत गठित स्वायत्त बोर्डो के बीच समन्वय स्थापित करना।

चुनौतियाँ

- आमतौर पर ये धारणा है कि होम्योपैथिक दवाएँ सबसे ज्यादा सुरक्षित और प्रभावशील होती हैं। काफी हद तक ये बात सही भी है। ये सही है कि एलोपैथ की तुलना में होम्यौपैथ बिना केमिकल का विकल्प है। इसके बावजूद ये भी सही है कि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। हर मायने में ये फायदेमंद भी नहीं होती, कभी-कभी ये नुकसानदायक भी हो सकती है।
- होम्योपैथ दवाओं का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि किसी आपातकाल स्थिति में ये दवाएँ किसी काम की नहीं होती हैं। इसका कारण साफ है कि ये दवाएँ धीरे-धीरे असर करती हैं। सर्जरी या अन्य किसी स्थिति में जिस समय मरीज को तुरंत इलाज की जरूरत होती है तो ये होम्योपैथ किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकती।
- पोषण संबंधी समस्या या पोषण की कमी होने की स्थिति में ये होम्योपैथिक दवा बिल्कुल भी असरकारी नहीं होती। उदाहरण के रूप में एनीमिया या आयरन की कमी या अन्य तत्वों की कमी होने पर ये दवाएँ बिल्कुल बेअसर साबित होती हैं।
- होम्योपैथ का साइड इफेक्ट ये भी है कि डॉक्टर की दी गई दवाओं का सेवन अगर निश्चित समय से ज्यादा सीमा तक किया जाए तो इसका ओवरडोज भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इस वजह से आपके पेट में इंफेक्शन व अन्य परेशानियाँ भी हो सकती हैं।
- हर किसी पर होम्योपैथिक दवाएँ उतनी असरकारी नहीं होती हैं। ये जरूरी नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को होम्योपैथिक दवाएँ फायदा करे तो दूसरे को भी करे।
- अकसर ऐसा होता है कि होम्योपैथ दवाओं का परामर्श आपके चिकित्सीय इतिहास व बीमारियों पर निर्भर करता है। ऐसा न होने की स्थिति में यह दवाएं आपको अपेक्षाकृत लाभ नहीं पहुंचा सकेंगी।
- होम्योपैथ में अब भी 20 रुपये में दवा सहित इलाज हो जाता है लेकिन, चिकित्सकों का कहना है कि यह इलाज दवाओं की गुणवत्ता के दृष्टिकोण से खतरनाक है। बाजार में ग्लोब्यूल्स (सफेद छोटी गोली) 30 से 40 रुपये डिब्बे में भी मिलती है और 150 रुपये के भी डिब्बे में भी, लेकिन दोनों की गुणवत्ता और स्वास्थ्यकर दृष्टिकोण में अंतर है। इसी तरह जिस प्लास्टिक के डिब्बे में तरल दवा दी जाती है उस डिब्बे की भी गुणवत्ता जरूरी है, क्योंकि तरल दवा और कम माइक्रो क्षमता वाले डब्बे से प्रतिक्रिया का होना भी संभव है।

होम्योपैथी के फायदे

- होम्योपैथी की लोकप्रियता आज तेजी से बढ रही है और प्रचलित एलोपैथ चिकित्सा पद्धति के बाद यह सबसे अधिक पसंद की जाने वाली और प्रयोग में लाई जाने वाली चिकित्सा पद्धति है।
- होम्योपैथ पाचन तंत्र को व्यवधान नहीं पहुंचाता और ना ही वह एंटीबायोटिक्स की तरह प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है। होम्योपैथिक दवाएं सुरक्षित होती हैं और एलोपैथ दवाओं के विपरीत, ये दवाएं

सामान्यत: साइड इफैक्ट रहित होती हैं एवं कोई ढाँचागत क्षति नहीं पहुंचाती। ऐसा इसलिए है, क्योंकि होम्योपैथिक दवाएं कोई रासायनिक क्रिया नहीं करती और शरीर के अपने प्रतिरक्षा प्रणाली एवं रोग निदान की शक्ति को उत्तेजित करती हैं।

- ये दवाएँ नवजात शिशु, बच्चों, गर्भवती स्त्रियों, दुग्धपान करानेवाली माताओं एवं वृद्ध लोगों के लिए सुरक्षित है और इनके खुराक की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- होम्योपैथिक दवाएँ एक्यूट और क्रॉनिक दोनों प्रकार के रोगों में प्रभावी होती हैं। इस पद्धति में कई ऐसी क्रॉनिक बीमारियों का इलाज होता है, जो दूसरी पद्धति में असाध्य मानी जाती हैं।
- विभिन्न एक्यूट और क्रॉनिक रोगों के अतिरिक्त यह कई एलर्जिक रोगों में भी प्रभावकारी है।
- एलोपैथिक और आयुर्वेदिक की तुलना में होम्योपैथिक दवाएँ सस्ती होती हैं। चूंकि इस पद्धति में डॉक्टर रोग की पहचान करने एवं दवा का चयन करने के लिए लक्षणों पर भरोसा करते हैं, रोग की पहचान की प्रक्रिया महँगी नहीं होती।
- वायरल डिजीज, चर्म रोग, किडनी और पित्त की थैली का स्टोन, हर प्रकार के अर्थराइटीज, दमा, पेट संबंधी बीमारियां, मानसिक बीमारी, बवासीर, रक्तचाप, साइनस, ट्यूमर आदि जैसे बिमारियों का सफल ईलाज (ट्रीटमेंट्स) होम्योपैथी चिकित्सा के माध्यम से किया जा सकता है।

आगे की राह

- आज भारत ही नहीं बल्कि विश्व में विभिन्न तरह की संक्रामक एवं गैर-संक्रामक बिमारियाँ कायम है। इसके निदान के लिए होम्योपैथिक दवाओं को सबसे ज्यादा सुरक्षित और प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता है ताकि विश्व के सभी लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान किया जा सके।
- होम्योपैथिक दवाओं के क्षेत्रों में और भी अनुसंधान की जरूरत है ताकि दवाओं को बीमारियों के अनुकूल तथा प्रभावकारी बनाया जा सके।
- भारत में राष्ट्रीय एवं ग्रामीण स्तर पर होम्योपैथिक दवाओं से संबंधित जागरूकता अभियान तथा प्रचार-प्रसार करना भी अतिआवश्यक है क्योंकि अभी भी ग्रामीण लोग इसके उपयोगिता को सही तरीके से नहीं जानते हैं।
- एलोपैथी की तुलना में इसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं है और ये सस्ते हैं। अत: इसकी उपलब्धता ग्रामीण स्तर पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- सरकार को भारत के सभी अस्पतालों में होम्योपैथिक दवा उपलब्ध कराना चाहिए और इससे संबंधित विभिन्न योजनाओं को आरंभ करना चाहिए ताकि गरीब जनता को उचित एवं सस्ते दामों पर होम्योपैथिक चिकित्सा मिल सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

■

7. भारतीय कृषि और यूरिया : समस्याएँ और समाधान

चर्चा का करण

हाल ही में भारत सरकार ने नई यूरिया नीति की समयावधि को अगले चार वित्त वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। इससे किसानों को सुगमता से यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। इसमें उन प्रावधानों को शामिल नहीं किया गया है, जिन्हें 28 मार्च, 2018 की अधिसूचना के जरिये पहले ही संशोधित किया जा चुका है।

यूरिया नीति, 2015 की समयावधि बढ़ाने का उद्देश्य

- स्वदेशी यूरिया उत्पादन एवं ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना ताकि सरकार पर सब्सिडी का बोझ कम हो।
- इससे कार्बन फुटप्रिंट कम होगा व ऊर्जा के क्षेत्र में बचत होगी साथ ही यह पर्यावरण अनुकूल होगी।
- सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाने और एक ही समय में अपने उत्पादन को अधिकतम करने के लिए यूरिया इकाइयों को प्रोत्साहित करना।
- यूरिया की देश के विभिन्न भागों में समय पर पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा हर महीने यूरिया आपूर्तिकर्ताओं के लिए दिशानिर्देश जारी करना।

परिचय

देश में साल दर साल बढ़ते कृषि उत्पादन और सतत् खाद्य सुरक्षा में फसलों के पोषण की अहम भूमिका होती है। संतुलित पोषण से ऊर्जावान खेत किसान को अधिकाधिक उपज प्रदान करते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश मुख्य पोषक तत्व हैं, जो अधिकांश खेतों में लगभग अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा सल्फर, जिंक और बोरोन कुछ महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जिन्हें भूमि की जरूरत के हिसाब से किसान खेतों में डालते हैं। इन सबके बीच यदि सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व की बात करें तो नाइट्रोजन का नाम सबसे ऊपर आता है। खेतों में नाइट्रोजन की आपूर्ति मुख्य रूप से यूरिया नामक उर्वरक द्वारा की जाती है। यूरिया में 46 प्रतिशत नाइट्रोजन मौजूद होती है, जिससे फसल की उत्पादकता बढ़ती है। भंडारण, परिवहन और उपयोग में आसान होने के कारण यूरिया न केवल अपने देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे लोकप्रिय नाइट्रोजन उर्वरक है।

यूरिया का चक्र

यूरिया नाइट्रोजन का सबसे बड़ा स्रोत है। यह पर्यावण में कई रूपों में मौजूद रहता है। मिट्टी, हवा और पानी में मिलकर सेहत और पारिस्थितिक तंत्र पर अपना प्रभाव डालता है।

किसान: किसान खेत में जो यूरिया डालता उसका 33 प्रतिशत फसल इस्तेमाल करती है और बाकी 67 प्रतिशत हवा, पानी और मिट्टी में चला जाता है।

भूमिगत जल: यूरिया नाइट्रेट के रूप में मिट्टी से भूमिगत जल में पहुँच जाता है और उसे प्रदूषित करता है।

नदी और झील: यूरिया जब नदी और झील में जाता है तो जलीय वनस्पति में वृद्धि करता है जिससे जलीय प्राणियों के लिए जरूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है।

वन: बारिश व नदियों के द्वारा यूरिया वनों में पहुँचकर उनके प्राकृतिक संतुलन और जैव विविधता पर असर डालता है।

यूरिया नीति, 2015 के विस्तार की विशेषताएँ

नई यूरिया नीति-2015 को विस्तार देते हुए सरकार ने स्वदेशी यूरिया उत्पादन व यूरिया इकाइयों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। इस नीति की विशेषताओं को निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत समझा जा सकता है-

- इस नीति के तहत पहली बार 1500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की बाजार विकास सहायता का प्रावधान किया गया है जिससे उत्पादन एवं उपभोग को बढ़ावा दिया जा सके।
- पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 17 लाख एमटी अतिरिक्त यूरिया का उत्पादन किए जाने का लक्ष्य है।
- इसके अतिरिक्त, उत्पादकता बढ़ाने तथा गैर कृषि उपयोग को रोकने के लिए शत-प्रतिशत यूरिया को अब नीमयुक्त कर दिया गया है।
- शहरी कचरे से बनने वाली खाद (City Compost) के संवर्द्धन पर यह नीति एक अहम पहल है जिसका उद्देश्य नगरों को स्वच्छ बनाना तथा नगरों के खाद के रूप में इस्तेमाल करना शामिल है।
- सिंगल सुपर फॉस्फेट (SSP) एक फॉस्फेटिक बहु-पोषक उर्वरक है जिसमें 16 प्रतिशत फॉस्फेट, 11 प्रतिशत सल्फर, 16 प्रतिशत कैल्सियम तथा कुछ अन्य अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व सन्निहित हैं। अपनी सरल उत्पादन तकनीक के कारण यह उपलब्ध उर्वरकों में सबसे सस्ता रासायनिक उर्वरक है। यह तिलहनों, दालों, बागवानी, सब्जियों, ईख आदि जैसी फसलों के लिए अधिक अनुकूल है।
- यूरिया पर देश में सरकारी नियंत्रण है और 5360 रुपये प्रति टन की रियायती दर पर यह किसानों को मिलती है। इसके खुदरा मूल्य और उत्पादन लागत के बीच के अंतर की राशि केंद्र सरकार यूरिया उत्पादक कंपनियों को अदा करती है।
- इस नीति से आगामी चार वर्षों में, ऊर्जा खपत के नये मानदंडों को अपनाने तथा आयात प्रतिस्थापन से 2618 करोड़ रुपये की सब्सिडी की प्रत्यक्ष बचत होगी साथ ही 2211 करोड़ रूपये की अप्रत्यक्ष बचत होगी। इसके अलावा इससे हर साल 20 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त उत्पादन होने का अनुमान भी है।
- यह नीति, किसानों को अधिकतम खुदरा मूल्य पर यूरिया की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ, सरकारी कोष पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करेगी। इससे यूरिया क्षेत्र में आयात की निर्भरता भी कम होगी।
- यूरिया इकाइयाँ दुनिया की बेहतरीन उपलब्ध तकनीक अपनायेंगी, जिससे विश्व स्तर पर और अधिक प्रतिस्पर्द्धा बढ़ेगी। इस प्रकार नई यूरिया नीति से किसान, यूरिया उद्योग और सरकार सभी लाभान्वित होंगे।
- सरकार ने नई नीति के तहत नीम लेपित यूरिया पर बल दिया है। दरअसल सामान्य यूरिया के मुकाबले नीम लेपित यूरिया से भूमिगत जल में होने वाला प्रदूषण कम होता है क्योंकि नीम लेपित यूरिया में उपस्थित नाइट्रोजन फसल को धीरे-धीरे मिलता है।
- यूरिया के सभी घरेलू उत्पादकों के लिए नीम के लेपन को आवश्यक बना दिया गया है। इसलिए रियायती यूरिया का गैर-कानूनी उपयोग संभव नहीं होगा।
- खादों को ढोने के लिए रेल भाड़े में दी जाने वाली सब्सिडी को एकमुश्त आधार पर देना तय किया गया है ताकि कंपनियों की परिवहन लागत किफायती हो।
- इससे किसानों को फायदा होगा और रेल नेटवर्क पर बोझ कम होगा। सरकार, देश के किसी भी हिस्से में जहां भी उर्वरकों की कमी हो रही हो, उर्वरकों की आपूर्ति के लिए खाद आपूर्तिकर्ताओं को कानूनी उपकरणों के जरिए निर्देशित करने के लिए स्वतंत्र होगी।
- यूरिया की देश के विभिन्न भागों में समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार हर महीने यूरिया आपूर्तिकर्ताओं के लिए दिशानिर्देश जारी करती रहेगी।
- उर्वरक मिलने के छह महीने के अंदर संबंधित राज्य सरकारों को उर्वरक की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र देना होगा। यदि गुणवत्ता सही नहीं पायी गयी तो आपूर्तिकर्ता को सब्सिडी का भुगतान नहीं किया जायेगा।

यूरिया का प्रभाव और चुनौती

भारत में पिछले कई दशकों से यूरिया का अत्यधिक इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे कृषि उत्पादकता में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। 1960-61 में कुल नाइट्रोजन उर्वरक में यूरिया का अंश 10 प्रतिशत था जो 2015-16 में बढ़कर 82 प्रतिशत हो गया। विदित हो कि वर्ष 2016-17 के दौरान 242.01 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन हुआ, जो वर्ष 2012-13 में उत्पादित 225.75 लाख मीट्रिक टन और वर्ष 2013-14 में उत्पादित 227.15 लाख मीट्रिक टन की तुलना में काफी अधिक था।

फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएआई) के आंकड़ों के अनुसार, भारत हर साल 148 लाख टन यूरिया की खपत करता है। विश्लेषकों के अनुसार, यूरिया के इस्तेमाल की वजह इसका सस्ता होना है। यूरिया के इस्तेमाल ने अब तक देश में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में योगदान दिया है लेकिन इसने भारत को उलझन भरी परिस्थितियों में भी डाल दिया है। इसके अत्यधिक इस्तेमाल से कई चुनौतियाँ भी खड़ी हो रही हैं, जिन्हें निम्न बिदुओं के अन्तर्गत देखा जा सकता है-

- अधिक मात्रा में डाले गये यूरिया से मौजूद नाइट्रोजन हवा में विलीन हो जाती है या रासायनिक क्रियाओं द्वारा उसका क्षय हो जाता है।
- कुछ यूरिया सिंचाई के पानी के साथ बहकर आस-पास के जलाशयों में पहुँच जाता है या रिसाव के द्वारा भू-जल को प्रभावित करता है। इस तरह भूमिगत जल नाइट्रोजन प्रदूषण का शिकार हो जाता है, जिसके कई नुकसान होते हैं। नतीजतन जैव विविधता प्रभावित होती है।
- अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में भू-जल को पेय जल के रूप में इस्तेमाल करने के कारण इससे ग्रामीण आबादी का स्वास्थ्य प्रभावित होता है।
- वैज्ञानिकों के अनुसार खेत में यूरिया की अधिक मात्रा जलवायु परिवर्तन जैसी विपदा को भी बढ़ावा देती है, जिसका पैदावार पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।
- यह भी देखा गया है कि खेत में यूरिया की अधिक मात्रा में मौजूदगी के कारण कुछ अन्य पोषक तत्व भूमि से बाहर निकल जाते हैं, जिसका खामियाजा भूमि की उर्वरता में लगातार गिरावट के रूप में झेलना पड़ता है।
- इसके अलावा यूरिया की अधिकता से फसल में नमी की मात्रा बढ़ जाती है, जो रोगों और कीटों को आमंत्रण देती है। इससे भी किसान को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है।

सरकारी प्रयास

सरकार की कोशिश है कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को उचित कीमत पर यूरिया तथा अन्य उर्वरक उपलब्ध होते रहें, ताकि खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इस संदर्भ में सरकार द्वारा किये गए प्रयास को निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है –

- सरकार ने वर्तमान में किसानों के लिए मिट्टी की जाँच की सुविधा सुलभ कर दी है। प्रधानमंत्री ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी लागू की है, जिससे किसानों को अपने खेत की मिट्टी की सेहत व पोषक तत्वों की जरूरत की जानकारी होगी। इसके साथ ही किसानों को उर्वरकों के उपयोग की वैज्ञानिक सलाह भी प्राप्त होगी।
- जहाँ तक यूरिया के उपयोग की बात है, वैज्ञानिकों ने पत्तियों के रंग के आधार पर फसल की नाइट्रोजन आवश्यकता को आँकने की तकनीक विकसित की है। इसे लीफ कलर चार्ट या एलसीसी कहते हैं। सभी मुख्य फसलों में खासतौर से चावल और गेहूं में एलसीसी तकनीक के आधार पर यूरिया का उपयोग करने को बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे यूरिया का कम और कुशल उपयोग सुनिश्चित हुआ है।
- मुख्य खाद्यान्न फसलों में यूरिया के उपयोग को कम करने के लिए सरकार ने फसल से पहले दलहनी फसलों को उगाने पर बल दिया है। इससे नाइट्रोजन की आवश्यकता 25 से 50 प्रतिशत तक कम हो जाती है। फसल प्रणाली और सिंचाई की सुविधा को देखते हुए उपयुक्त दलहनी फसल का चुनाव किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि कृषि उत्पादन में यूरिया की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए भारत सरकार द्वारा यूरिया के उत्पादन और किसानों तक इसकी पहुँच को आसान बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।
- यूरिया का उत्पादन बढ़ाने के लिए सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के उपक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्तमान में देश में 31 यूरिया निर्माण इकाइयाँ हैं जिनमें से 28 यूरिया इकाइयाँ प्राकृतिक गैस (रसोई गैस/LNG/CBM) और शेष तीन इकाइयाँ नैफ्था को फीडस्टॉक/ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं।
- सरकार ने यूरिया नीति के तहत किसानों और भारतीय कृषि के हित को ध्यान में रखते हुए बजट में उर्वरकों की सब्सिडी को बढ़ाया है।
- इस भारी-भरकम सब्सिडी का लक्ष्य यह है कि किसानों को यूरिया अपेक्षाकृत कम कीमत पर उपलब्ध होता रहे, जिससे वे इसका यथोचित उपयोग करके कृषि उत्पादन को बढ़ा सकें।
- केन्द्र में नई सरकार के गठन के साथ ही रसायन व उर्वरक मंत्रालय द्वारा यूरिया का उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों को तेज किया गया। मंत्रालय द्वारा देश के यूरिया उत्पादकों के साथ संपर्कों को गहन बनाया गया और उनकी समस्याओं को दूर करने के प्रयास किये गये हैं।
- मंत्रालय का दूरगामी लक्ष्य है कि यूरिया उत्पादन के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाया जाये। यूरिया उत्पादन के प्रयासों को गहन बनाने की कड़ी में देश के बाहर यूरिया कारखाने लगाने की भी योजना है।
- ज्ञातव्य है कि सरकार द्वारा ईरान में 5,000 करोड़ रुपये के निवेश से यूरिया उत्पादन प्लांट की स्थापना को मंजूरी दी गयी है और ईरान सरकार के सहयोग से इसे शीघ्र ही सक्रिय करने की योजना है।
- इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार ने उर्वरक उत्पादन के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कदम उठाएँ हैं। इसके अंतर्गत एक इंटरनेट आधारित ऑनलाइन उर्वरक निगरानी प्रणाली विकसित की गयी है, जिससे उर्वरकों की उपलब्धता पर लगातार निगाह रखी जा सकती है।
- इस प्रणाली में उर्वरकों के उत्पादन, वितरण, खरीद और बिक्री जैसे सभी प्रमुख पहलुओं पर लगातार अपडेट दर्ज किये जाते हैं।

आगे की राह

उपरोक्त विवरण के अनुसार कहा जा सकता है की यूरिया के इस्तेमाल ने अब तक देश में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में योगदान दिया है लेकिन इसके अत्यधिक इस्तेमाल ने पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया है जिसे नियंत्रित करने की जरूरत है। इस संबंध में यहाँ कुछ उपायों को अमल में लाया जा सकता है–

- भारत ऐसी नीतियाँ बनाए जिससे उसका एनयूई बढ़ सके। ऐसा करके पर्यावरण, मनुष्यों के स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर नाइट्रोजन प्रदूषण के असर को कम किया जा सकता है।
- यूरिया का उपयोग सदैव वैज्ञानिकों द्वारा सुझायी गयी मात्रा के अनुसार ही किया जाना चाहिए।
- यूरिया के इस्तेमाल को नियंत्रित किया जाए जिससे भारत सरकार की ओर से फर्टिलाइजरों पर दी जाने वाले सब्सिडी का भार कम हो सके।
- वर्तमान में जिस तरह फर्टिलाइजरों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, उस अनुपात में उत्पादन में इजाफा नहीं हो रहा। ऐसे में हमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस फर्टिलाइजरों के कम प्रयोग से फसल उगाने के तरीके सीखने चाहिए।
- यूरिया के उपयोग को संतुलित किया जाना चाहिए, इससे देश के लिए कुल यूरिया की मांग में कमी आयेगी, जिससे यूरिया का आयात की जाने वाली मात्रा को कम करना संभव होगा। इस तरह देश की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत करना भी संभव हो पाएगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली-उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार; बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी मुद्दे; प्रौद्योगिकी मिशन; पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र।

■

स्नातक विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

इन-विट्रो फर्टिलाइज़ेशन : कृत्रिम गर्भाधान की एक सफल तकनीक

प्र. आईवीएफ के बारे में विस्तृत वर्णन करते हुए बताएँ कि क्या इस तकनीक ने गर्भाधान में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की है?

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- कैसे होता है आईवीएफ
- आईवीएफ की सफलता दर
- आईवीएफ के लिए सरकार के दिशा-निर्देश
- आईवीएफ के विपक्ष में तर्क
- आईवीएफ का मूल्यांकन
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में डबलिन (आयरलैण्ड) से प्रकाशित बिजनेस वायर (Business Wire) नामक पत्रिका ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का वैश्विक बाजार 2026 तक 36.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा।

परिचय

- इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन को ही 'आईवीएफ' या कृत्रिम गर्भाधान के नाम से जाना जाता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) तकनीक दरअसल उन महिलाओं के लिए उपयोग में लाई जाती हैं जिनको सामान्य तौर पर माँ बनने में दिक्कतें आ रही हों। दरअसल जिन महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब खराब हो जाती है, वे माँ बनने में अक्षम होती हैं। ऐसे में आईवीएफ तकनीक के माध्यम से उनको माँ बनने में मदद मिलती हैं।

कैसे होता है आईवीएफ

- आईवीएफ प्रक्रिया में मानव शरीर के बाहर शुक्राणुओं द्वारा अंड कोशिकाओं का निषेचन कराया जाता है और मरीज को हार्मोन संबंधी इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि उसके शरीर में अंडकोशिकाएँ अधिक से अधिक बन सकें।

आईवीएफ की सफलता दर

- आईवीएफ की सफलता दर विशिष्ट प्रजनन समस्या और उम्र पर निर्भर करती है। उम्र जितनी कम होगी और भ्रूण (Embryo) जितने अधिक स्वस्थ होंगे, गर्भवती होने की संभावना भी उतनी ही अधिक होगी। अगर महिलाएँ पहले गर्भवती हो चुकी हैं या शिशु को जन्म दे चुकी हैं, तो सफलता की संभावना अधिक होती है।

आईवीएफ के लिए सरकार के दिशा-निर्देश

- आईवीएफ केंद्र जन्मे या अजन्मे शिशु का लिंग दर्शाता हुआ कोई भी विज्ञापन जारी, प्रकाशित या प्रसारित नहीं कर सकेगा। इस तरह के विज्ञापन इंटरनेट पर भी जारी नहीं किए जा सकेंगे।

आईवीएफ के विपक्ष में तर्क

- आईवीएफ तकनीक बहुत महंगा होता है साथ ही 100 प्रतिशत सफलता नहीं मिली है।
- आईवीएफ चक्रों को अल्ट्रासाउंड इमेजिंग और रक्त परीक्षणों के माध्यम से रोगी को निगरानी हेतु कई बार जाना पड़ता है।

आईवीएफ का मूल्यांकन

- आईवीएफ तकनीक से कंप्यूटर नियंत्रित प्रयोगशालाओं में बच्चे पैदा कराने की तकनीक न केवल संतानोत्पत्ति की प्राकृतिक दर के मुकाबले कई गुना बेहतर रिजल्ट दे सकती है, बल्कि इससे उन दंपत्तियों को भी सहूलियत हो सकती है, जिनके पास या तो इस काम के लिए समय का अभाव है या जो शारीरिक अक्षमता के कारण संतान सुख से वंचित हैं।

आगे की राह

- इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है ताकि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ एवं सुरक्षित रह सकें। ■

भीमराव अम्बेडकर : एक महान सामाजिक-राजनीतिक सुधारक

प्र. वर्तमान समय में भीमराव अंबेडकर के विचारों की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- भीमराव अम्बेडकर की वर्तमान में प्रासंगिकता
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में पूरे देश में संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 128वीं जयंती मनायी गयी।

परिचय

- भारत के संविधान निर्माता, चिंतक और समाज सुधारक डॉ. भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल, 1891 को हुआ था।

भीमराव अम्बेडकर की वर्तमान में प्रासंगिकता

- **राजनीतिक क्षेत्र:** डॉ. भीमराव अम्बेडकर भारत के आधुनिक निर्माताओं में से एक माने जाते हैं। उनके विचार व सिद्धांत भारतीय राजनीति के लिए हमेशा से प्रासंगिक रहे हैं।
- **समानता को लेकर विचार:** डॉ. अम्बेडकर समानता को लेकर काफी प्रतिबद्ध थे। उनका मानना था कि समानता का अधिकार धर्म और जाति से ऊपर होना चाहिए।
- **आर्थिक क्षेत्र:** The problem of the rupee : 15 origin and its solution नामक अपनी रचना में डॉ. अम्बेडकर ने 1800 से 1893 के दौरान, विनिमय के माध्यम के रूप में भारतीय मुद्रा (रुपये) के विकास का परीक्षण किया और उपयुक्त मौद्रिक व्यवस्था के चयन की समस्या की भी व्याख्या की।
- **सामाजिक क्षेत्र:** अम्बेडकर का सम्पूर्ण जीवन भारतीय समाज में सुधार के लिए समर्पित था। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रन्थों का विशद अध्ययन कर यह बताने की चेष्टा भी की कि भारतीय समाज में वर्ण-व्यवस्था, जाति-प्रथा तथा अस्पृश्यता का प्रचलन समाज में कालान्तर में आई विकृतियों के कारण उत्पन्न हुई है, न कि यह यहाँ के समाज में प्रारम्भ से ही विद्यमान थी।
- **महिलाओं से संबंधित विचार:** डॉ. अम्बेडकर भारतीय समाज में स्त्रियों की हीन दशा को लेकर काफी चिंतित थे। उनका मानना था कि स्त्रियों के सम्मानपूर्वक तथा स्वतंत्र जीवन के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है।
- **शिक्षा संबंधित विचार:** उनका विश्वास था कि शिक्षा ही व्यक्ति में यह समझ विकसित करती है कि वह अन्य से अलग नहीं है, उसके भी समान अधिकार हैं। उन्होंने एक ऐसे राज्य के निर्माण की बात रखी, जहाँ सम्पूर्ण समाज शिक्षित हो।
- **अधिकारों को लेकर विचार:** डॉ. अम्बेडकर अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों पर बल देते थे। उनका मानना था कि व्यक्ति को न सिर्फ अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए जागरूक होना चाहिए।
- **श्रमिक वर्ग के लिए कार्य:** बाबा साहेब सिर्फ अछूतों, महिलाओं के अधिकार के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज के पुनर्निर्माण के लिए भी प्रयासरत रहे। उन्होंने मजदूर वर्ग के कल्याण के लिए उल्लेखनीय कार्य किये।

आगे की राह

- इस प्रकार निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अम्बेडकर के सामाजिक चिन्तन में अस्पृश्यों, दलितों तथा शोषित वर्गों के उत्थान के लिए काफी संभावना झलकती है। वे उनके उत्थान के माध्यम से एक ऐसा आदर्श समाज स्थापित करना चाहते थे, जिसमें समानता, स्वतंत्रता तथा भ्रातृत्व के तत्व समाज के आधारभूत सिद्धांत हों। ■

चुनाव आयोग : लोकतंत्र की पवित्रता को बनाये रखने की जिम्मेदारी

प्र. विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है किन्तु इस संस्था को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। समीक्षा करें।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- भारतीय निर्वाचन आयोग की भूमिका
- चुनाव आयोग के कार्य और शक्तियाँ
- चुनाव आयोग के समक्ष चुनौतियाँ
- चुनावी प्रक्रिया संबंधी सुधार के प्रयास
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के वैल्लोर लोकसभा क्षेत्र में मतदान रद्द करने के चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा है।

परिचय

- भारत में निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जो भारत के संविधान में उल्लिखित नियमों और विनियमों के अनुसार भारत में चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। इसे 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था।

भारतीय निर्वाचन आयोग की भूमिका

- वर्तमान में बदलती परिस्थितियों के परिदृश्य में भारतीय चुनाव आयोग की भूमिका प्रभावी हुई है। कुछ वर्षों में विधायिका एवं कार्यपालिका का ह्रास हुआ, तो दूसरी ओर चुनाव आयोग एवं न्यायपालिका की भूमिका में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई।

चुनाव आयोग के कार्य और शक्तियाँ

- यह राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए प्रत्येक चुनाव से पहले आदर्श आचार-संहिता जारी करता है ताकि लोकतंत्र की शोभा बनी रहे।
- यह राजनीतिक दलों को नियंत्रित करता है और चुनाव लड़ने योग्य पार्टियों को पंजीकृत करता है।

चुनाव आयोग के समक्ष चुनौतियाँ

- संविधान ने चुनाव आयोग के सदस्यों के लिए किसी भी प्रकार की योग्यता (विधिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक अथवा न्यायिक) का निर्धारण नहीं किया है।

- चुनाव आयोग के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य शक्ति विभाजन के संबंध में कोई स्पष्टता नहीं है। इसके अलावा संविधान ने सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्त को सरकार द्वारा किसी और नियुक्ति से वंचित नहीं किया है।

चुनावी प्रक्रिया संबंधी सुधार के प्रयास

- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) ने अपनी चौथी रिपोर्ट 'शासन में नैतिकता' में कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक कॉलेजियम की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- वर्तमान में केवल एक सदस्य को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। इसमें संशोधन कर तीनों सदस्यों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

आगे की राह

- वर्षों से चुनाव आयोग ने लोकतंत्र को मजबूत करने और चुनाव की निष्पक्षता बढ़ाने के लिए कई प्रशंसनीय चुनावी सुधार किए हैं। ये सुधार काफी पर्याप्त और सराहनीय हैं। निस्संदेह, चुनाव आयोग के तत्वावधान में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव आयोजित कराए गए हैं। ■

जल संरक्षण शुल्क : जल के अनुचित दोहन से निजात का मार्ग

प्र. हाल ही में केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा 'जल संरक्षण' हेतु जल संरक्षण शुल्क लगाने के लिए नए दिशा-निर्देश दिये गए हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि इससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- प्रमुख दिशा-निर्देश
- इन दिशा-निर्देशों को लागू करने से होने वाले लाभ
- दिशा-निर्देशों की कमियाँ
- भारत में भू-जल की निकासी और उपयोग
- वर्तमान स्थिति चिंताजनक
- सरकारी प्रयास
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन आने वाले केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण ने जल संरक्षण (वाटर कंजर्वेशन) के संबंध में दिशा-निर्देश तैयार कर अधिसूचना जारी कर दी है, जो 1 जून 2019 से लागू हो जाएगी।

प्रमुख दिशा-निर्देश

- 1 इंच से अधिक व्यास वाली पाइप का उपयोग करने पर (भू-जल प्राप्त करने हेतु) जल संरक्षण शुल्क देना होगा।
- प्राधिकरण ने राज्य सरकार को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अतिरिक्त शर्तें लगाने की छूट दी है, जिसकी समीक्षा प्राधिकरण खुद करेगा।

इन दिशा-निर्देशों को लागू करने से होने वाले लाभ

- जल संरक्षण शुल्क के माध्यम से जो औद्योगिक इकाईयाँ पानी का दुरुपयोग करती हैं, उन्हें हतोत्साहित किया जा सकेगा।
- इस शुल्क से उन क्षेत्रों को भी सुरक्षित किया जा सकेगा, जहाँ जमीन से अत्यधिक मात्रा में पानी निकाला जा चुका है और सूखा प्रभावित क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में नये उद्योगों को लगाने से रोका जा सकेगा।

दिशा-निर्देशों की कमियाँ

- इसमें सिंचाई के पानी को किफायती और जरूरत के अनुसार इस्तेमाल सुनिश्चित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।
- जल संसाधन की स्थिति को लेकर कोई व्यापक नजरिया न होने के कारण यह माना जा सकता है कि नगर निकाय इसके वाणिज्यिक उपयोग को लेकर शिथिलता बरतेंगे।

भारत में भू-जल की निकासी और उपयोग

- विशेषज्ञों का मानना है कि भारत भू-जल के अत्यधिक उपयोग और संदूषण के संकट की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भू-जल का अत्यधिक उपयोग या अतिदोहन उस परिस्थिति को कहते हैं जब एक समयावधि के बाद जलभृतों की औसत निकासी दर, औसत पुनर्भरण की दर से अधिक होती है।

वर्तमान स्थिति चिंताजनक

- देश के कुल 6,584 भू-जल ब्लॉक में से 1,034 को पहले ही अत्यधिक दोहन वाला घोषित किया जा चुका है, शेष में से 253 ब्लॉक गम्भीर और 681 ब्लॉक अर्द्धगम्भीर स्थिति में पहुँच चुके हैं।
- करीब 96 ब्लॉकों में तो केवल खारा पानी है जिसका बहुत अधिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

सरकारी प्रयास

- अटल भू-जल योजना को 5 जून 2018 को लागू किया गया था। इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने 6000 करोड़ रुपये का बजट प्रदान किया है। केंद्र सरकार द्वारा लगातार घटते भूजल के संकट का सामना करने हेतु जल संरक्षण की महत्वाकांक्षी योजना 'अटल भू-जल योजना' (Atal Bhujal Yojana) तैयार की गई है इस योजना का उद्देश्य भूजल का पुनर्भरण करना और कृषि क्षेत्र के लिए पर्याप्त जल भंडारण करना है।

आगे की राह

- वर्तमान समय में भू-जल के उचित मूल्य निर्धारण के अलावा सरकार को ऐसी नीतियों को बनाने की आवश्यकता है, जो कृषि में भी भू-जल के विवेकपूर्ण (Judicious) उपयोग को बढ़ावा दे। भू-जल निष्कर्षण को कम करने के लिए सरकार को नयी सिंचाई तकनीकों जैसे- ड्रिप और स्प्रिंकलर तकनीक को प्रोत्साहित करना चाहिए। ■

बंगाल की खाड़ी : अंतर्राष्ट्रीय संबंध और नीति निर्माण का उभरता क्षेत्र

प्र. बंगाल की खाड़ी में बढ़ती चुनौतियों का सामना करने के लिए बंगाल की खाड़ी से सटे देशों के साथ भारत के सामूहिक प्रयासों की चर्चा कीजिए।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- बंगाल की खाड़ी का सामरिक महत्त्व
- भारत, जापान और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच निकटता
- बंगाल की खाड़ी में मानवीय सहायता एवं आपदा प्रबंधन
- बंगाल की खाड़ी में चुनौतियाँ
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- हाल ही में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा कोलकाता में जापान के वाणिज्य दूतावास और कोलकाता विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर साउथ एवं साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज के सहयोग से 'बंगाल की खाड़ी का सामरिक महत्त्व भारत, जापान और दक्षिण-पूर्व एशिया' पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया।

परिचय

- बंगाल की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है और हिन्द-महासागर का पूर्वोत्तर भाग है। यह एक त्रिभुजाकार खाड़ी है जो पश्चिमी ओर से अधिकांशतः भारत एवं श्रीलंका, उत्तर से बांग्लादेश एवं पूर्वी ओर से म्यांमार तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह से घिरी है।

बंगाल की खाड़ी का सामरिक महत्त्व

- बंगाल की खाड़ी मध्य-पूर्व से फिलीपींस सागर तक के क्षेत्र के बीचों-बीच स्थित है। यह खाड़ी दो आर्थिक समूहों सार्क (SAARC) और आसियान (ASEAN) के बीच आती है। इसके उत्तर में चीन का दक्षिणी भूमिबद्ध क्षेत्र होने के साथ-साथ भारत और बांग्लादेश के प्रमुख बंदरगाह भी बने हैं।
- भारत के लिए बंगाल की खाड़ी सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का प्रभाव क्षेत्र खाड़ी के प्राकृतिक विस्तार में ही आता है।

भारत, जापान और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच निकटता

- वर्तमान समय में हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र में स्थित देशों का भौगोलिक जुड़ाव एक नया स्वरूप ले रहा है, परिणामस्वरूप हिन्द प्रशांत के व्यापक क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी फिर से केन्द्रीय भूमिका में आने लगी है।
- बंगाल की खाड़ी अब चीन की 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव', जापान की 'फ्री एंड ओपेन इंडो पैसिफिक', भारत की 'लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीति' तथा इंडोनेशिया की 'वैश्विक सामुदायिक आलम्ब' जैसी विविध नीतिगत पहलों का हिस्सा बन चुकी है।

बंगाल की खाड़ी में मानवीय सहायता एवं आपदा प्रबंधन

- भौगोलिक निकटता एवं सामूहिक संवेदनशीलता को देखते हुए, विशेष रूप से, इंडोनेशिया द्वीपसमूह अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह को प्रतिक्रिया के प्रथम बिन्दु के रूप में विकसित किया जा सकता है।

बंगाल की खाड़ी में चुनौतियाँ

- पिछले कुछ सालों में चीन का प्रभाव इस क्षेत्र में लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन की पनडुब्बियों की गश्ती इस क्षेत्र में लगातार बढ़ती जा रही है जो भारत के लिए चिन्ता का विषय है।

निष्कर्ष

- बंगाल की खाड़ी में वर्तमान में जारी घटनाक्रम का भारत-प्रशांत के परिदृश्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। कमजोर घरेलू संस्थानों एवं बुनियादी ढाँचों की कमी जैसे क्षेत्र की मौजूदा दुर्बलताओं पर ध्यान देना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बंगाल की खाड़ी में क्षेत्रीय सहयोग की संस्कृति विकसित करनी होगी। ■

आयुष : रोग निदान का एक वैकल्पिक तरीका

प्र. भारत में होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों की चर्चा कीजिए।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद
- होम्योपैथी क्षेत्रों का मूल्यांकन
- भारत में होम्योपैथी
- राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) विधेयक, 2019
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस पर केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच) की ओर से नई दिल्ली के डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र में दो-दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है।

केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद

- सीसीआरएच आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त अनुसंधान संगठन है। यह संगठन होम्योपैथी में समन्वय, विकास, प्रसार एवं वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देती है।

होम्योपैथी क्षेत्रों का मूल्यांकन

- आज की भाग-दौड़ वाली जिंदगी में बीमारियों ने मनुष्य के शरीर में अपनी पैठ बना ली है, तो लोग भी उनका जड़ से इलाज चाहते हैं। इसके लिए वह होम्योपैथी का सहारा लेते हैं।

भारत में होम्योपैथी

- होम्योपैथी भारत में लगभग दो सौ साल पहले आरंभ की गयी थी। आज

यह भारत की बहुलवादी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत सरकार ने आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, और सिद्ध और होम्योपैथी जिसे सामूहिक रूप से 'आयुष' के नाम से जाना जाता है, जैसे अन्य पारंपरिक प्रणालियों के विकास एवं प्रगति के लिए निरंतर प्रयास किए हैं।

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) विधेयक, 2019

- यह बिल होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट, 1973 को रद्द करता है और ऐसी चिकित्सा शिक्षा प्रणाली का प्रावधान करता है जो निम्नलिखित बातो को सुनिश्चित करें: (i) उच्च स्तरीय होम्योपैथिक मेडिकल प्रोफेशनल्स पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों, (ii) होम्योपैथिक मेडिकल प्रोफेशनल्स नवीनतम चिकित्सा अनुसंधानों को अपनाएँ, (iii) मेडिकल संस्थानों का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाए और (iv) एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली मौजूद हो।

चुनौतियाँ

- आमतौर पर ये धारणा है कि होम्योपैथिक दवाएँ सबसे ज्यादा सुरक्षित और प्रभावशील होती हैं। काफी हद तक ये बात सही भी है। ये सही है कि एलोपैथ की तुलना में होम्यौपैथ बिना केमिकल का विकल्प है। इसके बावजूद ये भी सही है कि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। हर मायने में ये फायदेमंद भी नहीं होती, कभी-कभी ये नुकसानदायक भी हो सकती है।

आगे की राह

- आज भारत ही नहीं बल्कि विश्व में विभिन्न तरह की संक्रामक एवं गैर-संक्रामक बिमारियाँ कायम है। इसके निदान के लिए होम्योपैथिक दवाओं को सबसे ज्यादा सुरक्षित और प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता है ताकि विश्व के सभी लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान किया जा सके।
- होम्योपैथिक दवाओं के क्षेत्रों में और भी अनुसंधान की जरूरत है ताकि दवाओं को बीमारियों के अनुकूल तथा प्रभावकारी बनाया जा सके। ■

भारतीय कृषि और यूरिया : समस्याएँ और समाधान

प्र. क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि यूरिया के इस्तेमाल ने जहाँ खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया है वहीं इसने कई चुनौतियाँ भी खड़ी की हैं अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- यूरिया नीति, 2015 की समयावधि बढ़ाने का उद्देश्य
- यूरिया नीति, 2015 के विस्तार की विशेषताएँ
- यूरिया का प्रभाव और चुनौती
- सरकारी प्रयास
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत सरकार ने नई यूरिया नीति की समयावधि को अगले चार वित्त वर्षों के लिए बढ़ा दिया है।

यूरिया नीति, 2015 की समयावधि बढ़ाने का उद्देश्य

- स्वदेशी यूरिया उत्पादन एवं ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना ताकि सरकार पर सब्सिडी का बोझ कम हो।
- इससे कार्बन फुटप्रिंट कम होगा व ऊर्जा के क्षेत्र में बचत होगी साथ ही यह पर्यावरण अनुकूल होगी।

यूरिया नीति, 2015 के विस्तार की विशेषताएँ

- यूरिया इकाइयाँ दुनिया की बेहतरीन उपलब्ध तकनीक अपनायेंगी, जिससे विश्व स्तर पर और अधिक प्रतिस्पर्द्धा बढ़ेगी। इस प्रकार नई यूरिया नीति से किसान, यूरिया उद्योग और सरकार सभी लाभान्वित होंगे।
- सरकार ने नई नीति के तहत नीम लेपित यूरिया पर बल दिया है। दरअसल सामान्य यूरिया के मुकाबले नीम लेपित यूरिया से भूमिगत जल में होने वाला प्रदूषण कम होता है क्योंकि नीम लेपित यूरिया में उपस्थित नाइट्रोजन फसल को धीरे-धीरे मिलता है।

यूरिया का प्रभाव और चुनौती

- भारत में पिछले कई दशकों से यूरिया का अत्यधिक इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे कृषि उत्पादकता में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। 1960-61 में कुल नाइट्रोजन उवर्रक में यूरिया का अंश 10 प्रतिशत था जो 2015-16 में बढ़कर 82 प्रतिशत हो गया। विदित हो कि वर्ष 2016-17 के दौरान 242.01 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन हुआ, जो वर्ष 2012-13 में उत्पादित 225.75 लाख मीट्रिक टन और वर्ष 2013-14 में उत्पादित 227.15 लाख मीट्रिक टन की तुलना में काफी अधिक था।

सरकारी प्रयास

- सरकार ने वर्तमान में किसानों के लिए मिट्टी की जाँच की सुविधा सुलभ कर दी है। प्रधानमंत्री ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी लागू की है, जिससे किसानों को अपने खेत की मिट्टी की सेहत व पोषक तत्वों की जरूरत की जानकारी होगी। इसके साथ ही किसानों को उर्वरकों के उपयोग की वैज्ञानिक सलाह भी प्राप्त होगी।

आगे की राह

- भारत ऐसी नीतियाँ बनाए जिससे उसका एनयूई बढ़ सके। ऐसा करके पर्यावरण, मनुष्यों के स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर नाइट्रोजन प्रदूषण के असर को कम किया जा सकता है।
- यूरिया का उपयोग सदैव वैज्ञानिकों द्वारा सुझायी गयी मात्रा के अनुसार ही किया जाना चाहिए। ■

सात महत्वपूर्ण खबरें

1. विश्व पृथ्वी दिवस

पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय को दर्शाने के लिये तथा पर्यावरण सुरक्षा के बारे में लोगों के बीच जागरुकता बढ़ाने के लिये प्रत्येक वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस 2019 का विषय "हमारी प्रजातियों को बचाओ" (Protect Our Species) है।

पृथ्वी दिवस से सम्बन्धित मुख्य बातें:

- पृथ्वी दिवस दुनिया भर में सबसे बड़े स्तर पर मनाया जाने वाला नागरिक कार्यक्रम है।
- 22 अप्रैल 1970 को आयोजित सबसे पहले पृथ्वी दिवस में लगभग 20 मिलियन अमेरिकी लोगों ने हिस्सा लिया था। खास बात यह है कि इस आयोजन में भाग लेने के लिए हर समाज, वर्ग और क्षेत्र से लोग सामने आए थे।
- पहले पृथ्वी दिवस के दौरान 'यूनाइटेड स्टेट्स एनवॉयरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी' की स्थापना हुई।
- उल्लेखनीय है कि विश्वभर में जरूरी क्षेत्रों में नये पौधे को लगाने के आम कार्य के साथ पृथ्वी दिवस कार्यक्रम को मनाने की शुरुआत हुई।

पृष्टभूमि

पहली बार 22 अप्रैल, 1970 को पृथ्वी दिवस मनाया गया था। विश्व पृथ्वी दिवस की स्थापना 1970 में अमेरिकी सीनेटर (सांसद) गेलॉर्ड नेल्सन के द्वारा एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में की गयी थी। इसे 1990 से अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रुप में मनाया जाने लगा तथा वर्ष 2009 में संयुक्त राष्ट्र ने भी 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रुप में मनाने की घोषणा की थी। विश्व पृथ्वी दिवस

के कार्यक्रम की स्थापना के पीछे कैलिफोर्निया में तेल रिसाव की भारी बर्बादी की घटना थी। इसने हवा, पानी और मिट्टी के प्रदूषण के लिए जन चेतना बढ़ाने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण के उपायों को लागू करने की दिशा में गेलॉर्ड नेल्सन को नेतृत्व करने की प्रेरणा दी। ■

2. महाराष्ट्र में इंटरेक्टिव बर्ड पार्क लॉन्च किया गया

हाल ही में महाराष्ट्र के मुंबई के गोराई में एस्सेल वर्ल्ड ने एक इंटरेक्टिव बर्ड पार्क (स्वतंत्र पक्षी विहार) लॉन्च किया है। यह बर्ड पार्क अपनी तरह का पहला पक्षी विहार है जहां लोग पक्षियों को छू सकते हैं तथा उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं।

इस बर्ड पार्क में मौजूद मुख्य पक्षियों में अफ्रीकन ग्रे तोता, ब्लू गोल्ड मैकाओ, कॉकटेल, रेनबो लौराकीट, टोउकैन चौटरिंग लौरी, सन कौनुर, कैलिफोर्निया क्वेल, गोल्डन पीसेंट, ऑसट्रिच, ब्लैक स्वान, कैरोलिना वुड डक, क्राउन क्रेन आदि शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसा बर्ड पार्क स्थापित करना है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करता हो।

मुख्य विशेषताएँ

- लगभग 1.4 एकड़ क्षेत्र में फैला अपनी तरह का पहला वर्षावन-थीम वाला पार्क 60 से अधिक प्रजातियों के 500 से अधिक विदेशी पक्षियों का घर है।
- पक्षियों के लिये पीने के पानी की व्यवस्था

के साथ इसमें एक विशेष पक्षी-रसोई और स्वास्थ्य सेवा केंद्र भी है।

- पक्षियों के खानपान के लिए खास शेफ को रखा गया है। इसके साथ ही पक्षियों के लिए एक खास हेल्थ सेंटर बनाया गया है।
- पार्क में जलीय पक्षियों के लिये छोटे तालाब भी बनाए गए हैं तथा उनके प्रजनन की विशेष व्यवस्था की गई है।
- इस पार्क की खास बात यह भी है कि यहां सभी पक्षियों की जानकारी आपको उनके पैरों में मिलेगी। उलेखनीय है की सभी पक्षियों के पैरों में एक खास तरह का छल्ला पहनाया गया है, जिसमें उनसे संबंधित सभी जानकारी लिखी हुई है। जैसे पक्षी का नाम, कहां से आया है, आदि। ■

3. मानसिक रोगी को नहीं दी जा सकती फांसीः सुप्रीम कोर्ट

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा की मानसिक रोगी को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले से मौत की सजा सुनाए गए उन कैदियों के लिए नई उम्मीदें पैदा हो गयी हैं जो दोषसिद्धि के बाद गंभीर मानसिक बीमारियों से ग्रसित हो गए। जस्टिस एनवी रमन की अध्यक्षता वाली जस्टिस एम एम शांतानागौदर और इंदिरा बनर्जी की तीन जजों वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया।

विदित हो कि महाराष्ट्र में 1999 में एक मानसिक रोगी को अपनी दो नाबालिग चचेरी बहनों के साथ बर्बर दुष्कर्म और हत्या के अपराध में फांसी की सजा सुनाई गई थी। हालांकि पीठ ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषी को पूरी उम्र तक जेल में रखने और सरकार को उसके मानसिक स्वास्थ्य की उचित देखभाल का आदेश दिया।

महत्वपूर्ण बातें

- सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अपीलीय अदालतों के लिए कैदियों की मानसिक स्थिति फांसी की सजा नहीं सुनाने के लिए एक अहम पहलू होगी।
- पीठ ने दोषी ठहराए गए कैदी की फांसी की सजा से राहत दे दी क्योंकि अपनी मानसिक स्थिति के वजह से वह वारदात के अंजाम को जान नहीं सका।
- कोर्ट ने उपयुक्त मामलों में अदालत दोषियों की मानसिक बीमारी के दावे पर विशेषज्ञ रिपोर्ट के लिए एक पैनल का गठन कर सकती है।
- निर्देशों के दुरूपयोग को रोकने हेतु पीठ ने कहा कि यह भार आरोपी पर होगा कि वह स्पष्ट सबूतों के साथ यह साबित करे कि वह गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित है।
- पीठ ने कहा कि अभियुक्त अब आपराधिक अभियोजन से बचने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत 'विधिसम्मत पागलपन' की याचिका दे सकते हैं। साथ ही बचाव पक्ष अपराध के वक्त से इसे जोड़ सकते हैं। ■

4. ग्राफ्टिंग तकनीक

गौरतलब है कि हाल ही में बैंगन की उपज को बढ़ावा देने के लिये तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय द्वारा ग्राफ्टिंग तकनीक (Grafting Technology) विकसित की गई है। बैंगन का पौधा कीटों और रोगों के लिये अतिसंवेदनशील होता है इसलिये इस विधि को अपनाया गया है।

ग्राफ्टिंग तकनीक से सम्बन्धित महत्वपूर्ण बातें

भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने देश में पहली बार ग्राफ्टिंग तकनीक से ऐसी पौधा विकसित की है जिससे आलू के साथ टमाटर और बैगन का भी उत्पादन हो सकेगा। इन पौधों को पोमैटो और टोमटाटो नाम दिया गया है।

भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक देश के अलग-अलग इलाकों के मौसम के अनुसार अधिक पैदावार वाली सब्जियों की नई प्रजाति तैयार करते रहे हैं। पहली बार एक ही पौधे में दो तरह की सब्जीं उगाने में सफलता हासिल की है। टमाटर की पौध को अधिक जल और सूखे से बचाने की तकनीक भी संस्थान ने विकसित की है।

कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि ग्राफ्टिंग तकनीक में मदर प्लांट जंगली और तने में सब्जी के पौधे की ग्राफ्टिंग कर एक ही तने से कई तरह की सब्जियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। जंगली नस्ल की होने से इनकी प्रतिरोधक क्षमता खेत की सामान्य सब्जियों से कई गुना अधिक होती है। ज्ञातव्य है कि ग्राफ्टिंग किए गए पौधों में अन्य पौधों की तुलना में बीमारियां कम लगती हैं। इस विधि से लगाए पौधों में कीड़े-मकोड़े भी कम लगते हैं। इसका उत्पादन भी ज्यादा आता है।

क्या है ग्राफ्टिंग तकनीक

यह कलम बांधना (ग्राफ्टिंग) उद्यान की एक तकनीक है, जिसमें एक पौधे के ऊतक दूसरे पौधे के ऊतकों में प्रविष्ट कराए जाते हैं, जिससे दोनों के वाहिका ऊतक आपस में मिल जाते हैं। इस प्रकार इस विधि से अलैंगिक प्रजनन द्वारा नई नस्ल का पौधा पैदा कर दिया जाता है। ग्राफ्टिंग तकनीकि का प्रयोग सर्दियों के दिनों में ज्यादा असरदार होता है। ■

5. भारतीय नौसेना ने आईएनएस इम्फाल युद्धपोत लॉन्च किया

भारतीय नौसेना ने हाल ही में आईएनएस इम्फाल का समुद्र में जलावतरण किया। भारतीय नौसेना के लिए निर्मित आईएनएस इम्फाल गाइडेड मिसाइलों को ध्वस्त करने में माहिर है। इसके निर्माण की मुख्य बात यह है कि इसे भारत में ही डिजाइन किया व बनाया गया है। भारतीय नौसेना द्वारा आईएनएस इम्फाल का मुंबई के मंझगांव डॉक्स में जलावतरण किया गया।

आईएनएस इम्फाल की विशेषताएँ

- इस युद्धपोत का वजन फिलहाल 3,037 टन है, लेकिन आने वाले दिनों में इस पोत को अत्याधुनिक हथियारों और ताकतवर ब्रह्मोस सुपरसॉनिक क्रूज मिसाइलों से लैस किया जाएगा, तब इसका वजन 7,300 टन तक पहुंच सकता है।
- इसकी लंबाई 163 मीटर और चौड़ाई 17.4 मीटर है।
- चार गैस टरबाइन से चलने वाला यह पोत 30 नॉट की गति से आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा एक साथ इस पर दो हेलिकॉप्टरों को तैनाती हो सकती है।
- आईएनएस इम्फाल न सिर्फ गाइडेड मिसाइलों को ध्वस्त कर सकता है बल्कि उन्हें चकमा भी दे सकता है।
- भारतीय नौसेना के पास फिलहाल 140 युद्धपोत तथा 220 एयरक्राफ्ट हैं और 32 युद्धपोतों का अभी निर्माण चल रहा है।
- आईएनएस इंफाल दुनिया के दूसरे देशों में निर्मित अपनी श्रेणी के युद्धपोतों को हर मामले में टक्कर देने में सक्षम है। ■

6. मार्स बेस 1

हाल ही में चीन के गोबी रेगिस्तान की गांसु प्रांत स्थित रेगिस्तानी पहाड़ियों में मंगल ग्रह के आकार की प्रतिकृति तैयार की गई है। इस जगह को इसलिए चुना गया है, क्योंकि इस पूरे इलाके में मंगल ग्रह जैसी पर्यावरणीय स्थितियाँ मौजूद हैं। यानी इसकी सतह मंगल ग्रह जैसी बंजर और पथरीली है।

विदित हो कि 2022 तक क्रू स्पेस स्टेशन स्थापित किये जाने की उम्मीद के साथ चीन अपने सैन्य-संचालित अंतरिक्ष कार्यक्रम में अरबों रुपए का निवेश कर चुका है। जिसका उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिये किया जाएगा परन्तु भविष्य में इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में भी विस्तारित किया जाएगा। जहाँ आने वाले सैलानी लाल ग्रह का अनुभव लेने के साथ ही उसके बारे में जानकारी भी हासिल कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि यह किंघई के कैदाम बेसिन में पिछले महीने खोले गए 'मंगल गाँव' का अनुसरण करता है। किंघई का कैदाम बेसिन एक बेहद गर्म और शुष्क क्षेत्र है। यह दुनिया का सबसे ऊँचा मरुस्थल है।

प्रमुख बिंदु

- गोबी एक मंगोलियाई शब्द है जिसका अर्थ है 'पानी रहित स्थान'। गोबी रेगिस्तान में बने इस नकली मंगल ग्रह पर विस्तार से बताया गया है कि वहां का जीवन कैसा हो सकता है।
- गोबी रेगिस्तान उत्तर में अल्ताई पर्वत और मंगोलिया के घास के मैदान और दक्षिण-पश्चिम में तिब्बती पठार और दक्षिण-पूर्व में उत्तर चीन के मैदान से घिरा है।
- भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिये सी-स्पेस नामक एक चीनी कंपनी ने "मार्स बेस 1" खोला है। ■

7. विदेश मंत्रालय ने हिन्द-प्रशांत खंड की स्थापना की

विदेश मंत्रालय ने विदेश कार्यालय में हिन्द-प्रशांत नामक नए खंड की स्थापना की है। इसका उद्देश्य 2018 में शांगरी-ला वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रस्तुत की गयी हिन्द-प्रशांत नीति को आगे बढ़ाना है।

हिन्द प्रशांत खंड

- हिन्द प्रशांत खंड सरकार द्वारा उठाया गया बहुत बड़ा कदम है, इससे हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में नीति निर्माण को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
- हिन्द-प्रशांत खंड इंडियन ओशन रिम

एसोसिएशन (IORA), आसियान तथा क्वाड को समेकित करता है।

- भारत ने निरंतर आसियान को हिन्द-प्रशांत कूटनीति के केन्द्र में रखा है। हाल ही में अमेरिका ने प्रशांत कमांड का नाम बदलकर हिन्द-प्रशांत कमांड रखा है।

शांगरी-ला डायलॉग क्या है?

शांगरी-ला डायलॉग (SLD) एक अंतर-सरकारी सुरक्षा फोरम है, जो सिंगापुर के एक स्वतंत्र थिंक, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। शांगरी-ला डायलाग इन दिनों एशिया-प्रशांत क्षेत्र की एक प्रमुख रणनीतिक सभा के रूप में विकसित हुआ है। इसमें रक्षा मंत्री, उनके मंत्रालयों के स्थायी प्रमुख और एशिया-प्रशांत राज्यों के सैन्य प्रमुख भाग लेते हैं।

उल्लेखनीय है कि पूर्वी एशिया को जोड़ने वाले दक्षिण चीन सागर पर चीन लगातार अपना दावा मजबूत करता जा रहा है। यह समुद्री मार्ग दुनिया का प्रमुख व्यापारिक रास्ता है। अगर इससे होकर आवागमन रूका तो उसमें व्यापक हित प्रभावित होगें। भारत इसी चिंता को आगे रखकर अपनी भूमिका बढ़ाने की बात करता है। हिन्द-प्रशांत महासागर क्षेत्र में भारत की सक्रियता किसी देश के विरूद्ध नहीं है, वह इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता के बड़े उद्देश्य को लेकर कार्य कर रहा है।

विदित है कि अमेरिका इस क्षेत्र में भारत की बड़ी भूमिका को ध्यान में रखकर कार्य कर रहा है। वह हिन्द प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत को क्षेत्रीय शक्ति के रूप में बढ़ावा दे रहा है। ■

स्मार्ट ब्रेन बूस्टर्स

द फेस ऑफ डिजास्टर्स 2019 रिपोर्ट

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी (एसईईडीएस) द्वारा द फेस ऑफ डिजास्टर्स 2019 रिपोर्ट प्रकाशित की गई है।

1.1 एसईईडीएस द्वारा अपनी 25 वीं वर्षगांठ के अवसर पर जारी की गई रिपोर्ट में अतीत के तथ्यों का विश्लेषण करते हुए आपदा से संबंधित विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है।

प्रमुख बिन्दु

2.1 जल और आपदा जोखिम की बदलती प्रकृति: वर्षा जल का बदलता स्वरूप नई चुनौतियां ला रहा है, कहीं पर वर्षा अधिक हो रही है तो कहीं पर कम हो रही है। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा का असामान्य वितरण बढ़ता जा रहा है।

2.2 कोई भी आपदा 'प्राकृतिक' नहीं है: तकनीकी ज्ञान और विशेषज्ञता के अभाव के कारण कोई भी आपदा प्राकृतिक आपदा के समान भयावह हो सकती है जबकि उचित तकनीक का प्रयोग कर प्राकृतिक आपदा के खतरों को कम किया जा सकता है।

2.3 ऐसी आपदाएँ जिन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और उनकी अनदेखी की जा रही है, वे लोगों को भी अधिक जोखिम में डाल देती हैं।

2.4 समुद्र तट पर परिवर्तन पहले से ही आजीविका स्रोतों को प्रभावित कर रहे हैं और भविष्य में इस परिवर्तन से पारिस्थितिकी तंत्र का प्रभावित होना निश्चित है।

2.5 **आपदा प्रभाव की जटिलता:** आपदा के कारण पीड़ित समुदाय पर दीर्घकालिक और अल्पकालिक प्रभाव पड़ता है जिसके कारण उनका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है।

2.6 **शहरी अनिवार्यता:** शहरीकरण के कारण आपदा के खतरे बढ़ते जा रहे हैं और समाज का कोई भी वर्ग इससे अछूता नहीं है।

2.7 तीसरे ध्रुव में रूपांतरण: हिमालयी ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे सभी क्षेत्रों पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ रहा है।

2.8 आपदाओं की सूचना तकनीक नाकाफी भूकंप, सुनामी आदि जैसी आपदाओं के लिए तकनीकी तो विकसित की जा रही है लेकिन पूर्वानुमान में सफलता कम मिल रही है अर्थात् इसके लिए लगाये गये रडार भी इसे सही से पकड़ नहीं पा रहे हैं।

चुनौतियाँ

3.1 2019 में बाढ़ असामान्य रूप से देखने को मिलेगी, जबकि हीटवेव और सूखा की स्थिति पहले से ही विद्यमान है।

3.2 एक बड़ी आपदा विकास के लाभ को मिटा सकती है और दबाव ग्रस्त कमजोर परिवारों के गरीबी के दुष्चक्र को बढ़ा सकती है।

3.3 जबकि ऐसी बहुसंख्यक आपदाएँ प्रत्येक वर्ष आती है केवल कुछ ही आपदा वास्तव में जनता का ध्यान आकर्षित करती हैं। इस प्रकार आपदा के दूसरे प्रकार के खतरे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं।

एसईईडीएस (SEEDS) के बारे में

4.1 सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी की स्थापना 1994 में की गयी थी।

4.2 एसईईडीएस, एक गैर लाभकारी स्वैच्छिक संगठन है, जो विकास से संबंधित क्षेत्रों में युवा पेशेवरों का एक सामूहिक प्रयास है।

4.3 इसका एक उद्देश्य आपदाओं के सम्पर्क में आने वाले लोगों के जीवन और आजीविका की रक्षा करना है।

प्रमुख कार्य

5.1 यह सामुदायिक विकास, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण योजना, परिवहन योजना और शहरी व क्षेत्रीय योजनाओं के अनुसंधान गतिविधियों में शामिल है।

5.2 इसके द्वारा सरकारी, अर्ध-सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसियों की ओर से आपदा न्यूनीकरण के कार्य किये जाते हैं।

आगे की राह

6.1 आपदाओं की जटिलता के लिए आज एक सक्रिय और बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

6.2 वर्तमान समय में इस बात की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए कि आपदाओं के कई पहलू और जटिलताएँ हैं।

6.3 जोखिमों की व्यापक समझ और अति-स्थानीयकृत योजनाओं तथा संसाधनों के उचित आवंटन से आपदा के बाद के जोखिम को कम किया जा सकता है।

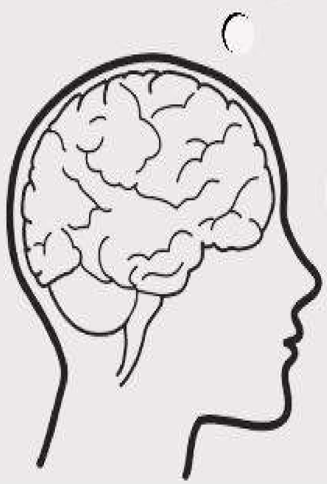

विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, 2019

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में मीडिया की आजादी से संबंधित 'रिपोर्टर्स विदआउट बॉर्डर्स' (Reporters Without Borders) की सालाना रिपोर्ट के अनुसार प्रेस की आजादी के मामले में भारत दो पायदान खिसक गया है।

भारत के सन्दर्भ में रिपोर्ट

2.1 इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग पिछले वर्ष की तुलना में दो स्थान गिरकर 140वें स्थान पर पहुंच गई है।

2.2 इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनियाभर के पत्रकारों के प्रति दुश्मनी की भावना बढ़ी है तथा इसका असर भारत में भी हुआ है।

2.3 सूचकांक में कहा गया है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की मौजूदा स्थिति खराब है जिसके कारणों में शामिल है, पत्रकारों के खिलाफ हिंसा, पुलिस की हिंसा, नक्सलियों के हमले तथ अपराधी समूहों या भ्रष्ट राजनीतिज्ञों का प्रतिशोध।

2.4 2018 में अपने काम की वजह से भारत में कम से कम छः पत्रकारों की जान गई है। इसमें कहा गया है कि ये हत्याएँ बताती हैं कि भारतीय पत्रकार कई खतरों का सामना करते हैं, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में गैर अंग्रेजी भाषी मीडिया के लिए काम करने वाले पत्रकार।

2.5 2019 के सूचकांक में संगठन ने पाया कि पत्रकारों के खिलाफ घृणा हिंसा में बदल गई है, जिससे दुनियाभर में डर बढ़ा है।

2.6 रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में हिंदुत्व को नाराज करने वाले विषयों पर बोलने या लिखने वाले पत्रकारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर घृणित अभियानों पर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब महिलाओं को निशाना बनाया जाता है तो यह अभियान ज्यादा उग्र हो जाता है।

2.7 2018 में भारत में मीडिया में 'मी टू' अभियान के शुरू होने से महिला संवाददाताओं के संबंध में उत्पीड़न और यौन हमले के कई मामलों से पर्दा हटा था।

2.8 रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन क्षेत्रों को प्रशासन संवेदनशील मानता है वहाँ रिपोर्टिंग करना बहुत मुश्किल है, जैसे कश्मीर।

वैश्विक संदर्भ में रिपोर्ट

3.1 नॉर्वे लगातार तीसरे साल पहले पायदान पर है जबकि फिनलैंड दूसरे स्थान पर है।

3.2 सबसे निचली रैंकिंग तुर्कमेनिस्तान की है जो 180वें स्थान पर है वहीं उत्तर कोरिया 179वें स्थान पर है।

3.3 रिपोर्ट में कहा गया है कि यूरोप में पहले की तुलना में पत्रकारों पर हमले बढ़े हैं जो प्रेस की स्वतंत्रता के लिए चिंता का विषय है।

3.4 यूरोप में पत्रकारों के खिलाफ राजनेताओं के मौखिक हमलों में बढ़ोतरी को भी स्वीकारा गया है।

3.5 दक्षिण एशिया में प्रेस की आजादी के मामले में पाकिस्तान तीन पायदान लुढ़कर 142वें स्थान पर है, जबकि बांग्लादेश चार पायदान लुढ़कर 150वें स्थान पर है।

रिपोर्टर्स विदआउट बॉर्डर्स के बारे में

4.1 यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-लाभकारी तथा गैर-सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1985 में रोबर्ट मेनार्ड, रेमी लौरी, जैक मोलेनाट तथा एमिलियन जुबिनाक ने 1985 में की थी।

4.2 इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है।

4.3 यह संगठन खतरनाक क्षेत्रों में कार्य करने वाले पत्रकारों को वित्तीय तथा अन्य सहायता प्रदान करता है। यह पत्रकारों की स्वतंत्रता पर होने वाले आक्रमणों की मॉनिटरिंग करता है।

4.4 यह संगठन विभिन्न देशों में सरकारों के साथ मिलकर उन देशों में प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कार्य करती है।

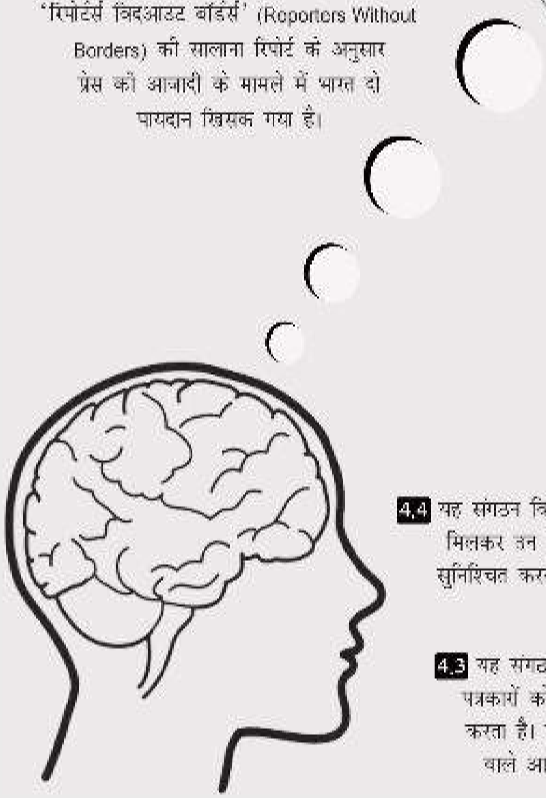

डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में डब्ल्यूएचओ (WHO) ने लोगों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी पर विशेष बल दिया है। इसके लिए डब्ल्यूएचओ ने 10 दिशा निर्देश जारी किए हैं।

डब्ल्यूएचओ के प्रमुख दिशानिर्देश

2.1 लोग डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर सकते हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य और आवश्यक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मोबाइल फोन, टैबलेट और कम्प्यूटर के माध्यम से सुलभ हैं। इसे सामान्य भाषा में टेली मेडिसिन भी कहते हैं।

2.2 डब्ल्यूएचओ के अनुसार डिजिटल प्रौद्योगिकी की मदद से दुनिया को सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएँ मुहैया करायी जा सकती हैं।

2.3 गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल और शिशु के जन्म संबंधी सूचनाओं के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी अपनाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

2.4 प्रौद्योगिकी के माध्यम से लोगों को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके संवेदनशील स्वास्थ्य विषयों जैसे यौन और प्रजनन जैसे मुद्दों की जानकारी गोपनीय रखी जा सकती है।

2.5 डब्ल्यूएचओ कमजोर व दुर्बल आबादी तक स्वास्थ्य कवरेज के पहुँच पर बल देता है और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करता है कि डिजिटल स्वास्थ्य उन्हें किसी संकट में न डाले।

2.6 स्वास्थ्य कार्यकताओं को स्वास्थ्य से जुड़ी शिक्षा पर लगातार अभ्यास करने की आवश्यकता है, ताकि वे टेलीमेडीसीन के माध्यम से उपचार को सफल बना सकें।

2.7 डब्ल्यूएचओ के अनुसार सहायक वातावरण प्रदान करने अस्थिर बुनियादी ढाँचे से निपटने के साथ-साथ नीतियों और स्वास्थ्य उपकरणों में मूर्त परिवर्तन लाने की आवश्यकता है।

टेलीमेडिसीन क्या है

3.1 टेलीमेडिसीन के अंतर्गत अस्पतालों में ई-सेंटर स्थापित किये जाते हैं, जहाँ स्वास्थ्य कर्मचारी मरीजों की जाँच करते हैं।

3.2 जाँच की रिपोर्ट तुरंत इंटरनेट पर अपलोड की जाती है, इंटरनेट से मिली रिपोर्ट का विशेज्ञ डॉक्टर अध्ययन करते हैं और इलाज की सलाह देते हैं।

दिशानिर्देश जारी करने के कारण

4.1 डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी पूरे विश्व में तेजी से लोकप्रिय हो रही है। इसके अलावा दुनिया की अधिकांश आबादी वर्तमान में स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रही है, जो टेलीमेडिसीन में सहायक हो सकता है।

4.2 डिजिटल स्वास्थ्य से दुर्गम स्थानों में भी स्वास्थ्य सेवाएँ मुहैया करायी जा सकती हैं, जिससे समय की काफी बचत होगी साथ ही गंभीर रूप से पीड़ित मरीज की जान बचायी जा सकेगी।

चुनौती

5.1 डिजिटल स्वास्थ्य का नकारात्मक पहलू यह है कि कई बार स्वास्थ्य कर्मचारी अपर्याप्त प्रशिक्षित होते हैं साथ ही मशीनों का खराब प्रबंधन, उपकरणों का खराब होना, अवसंरचनात्मक सीमाएँ आदि कारक भी हैं जो टेलीमेडिसीन की आपूर्ति में बाधक हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन

6.1 डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल, 1948 को हुई थी इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में है। डब्ल्यूएचओ की स्थापना के समय इसके संविधान पर 61 देशों ने हस्ताक्षर किए थे।

6.2 विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह एक अंतर-सरकारी संगठन है जो आमतौर पर सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के जरिए उनके साथ मिलकर काम करता है।

6.3 अपनी स्थापना के बाद से डब्ल्यूएचओ ने स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियों को खत्म करने में बड़ी भूमिका निभाई है। फिलहाल डब्ल्यूएचओ एड्स, इबोला और टीबी जैसी खतरनाक बीमारियों की रोकथाम पर काम कर रहा है।

6.4 डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट को जारी करता है, जिसमें पूरी दुनिया से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का एक सर्वे होता है।

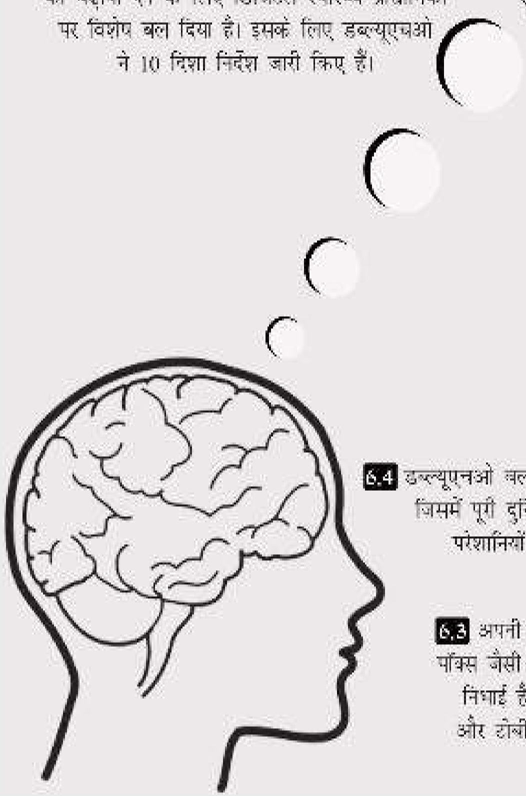

जीनोम का अनुक्रमण

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) द्वारा एक परियोजना के अंतर्गत भारत के युवा छात्रों के जीनोम का अनुक्रमण किये जाने की योजना तैयार की गई है।

पृष्ठभूमि

2.1 अमेरिका के ऊर्जा विभाग (यूएसडीई) तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (एनआईएच) की भागीदारी से, वर्ष 1988 में मानव जीनोम परियोजना प्रारंभ हुई थी।

2.2 इसका औपचारिक शुभारंभ 1990 में हुआ था। बाद में इसने विश्वव्यापी रूप धारण कर लिया। मौजूदा समय में 18 देशों की लगभग 250 प्रयोगशालाएँ इसमें सम्मिलित हैं।

उद्देश्य

3.1 इस परियोजना का उद्देश्य जीनोमिक्स की उपयोगिता के बारे में छात्रों की अगली पीढ़ी को शिक्षित करना है।

3.2 जीनोम परियोजना वह वैज्ञानिक परियोजना है, जिसका लक्ष्य किसी प्राणी के संपूर्ण जीनोम अनुक्रम का पता करना है।

परियोजना के प्रमुख बिंदु

4.1 जीनोम अनुक्रमण से संबंधित चलाई जा रही परियोजना के अंतर्गत लगभग 10,000 भारतीय लोगों के जीनोम को अनुक्रमित किया जाना तय किया गया है, यह परियोजना इसी क्रम का हिस्सा होगी।

4.2 साथ ही सीएसआईआर द्वारा आरंभ इस परियोजना के तहत लगभग 1,000 ग्रामीण युवाओं का जीनोम सैम्पल एकत्र करके स्वदेशी जेनेटिक मैपिंग द्वारा इनके जीनोम का अनुक्रमण किया जाएगा।

4.3 आमतौर पर जीनोम-सैम्पल का संग्रह देश की जनसंख्या विविधता के प्रतिनिधियों का किया जाता था लेकिन इस बार ऐसे लोगों का सैम्पल लिया जा रहा है, जो कॉलेज के छात्र (पुरुष और महिला दोनों) तथा जैविक विज्ञान या जीव विज्ञान के छात्र हैं।

4.4 सीएसआईआर द्वारा किये जा रहे जीनोम अनुक्रमण को रक्त के नमूने के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसके लिए विभिन्न राज्यों में विभिन्न शिविर आयोजित किये जाएँगे।

4.5 जिन लोगों के द्वारा जीनोम अनुक्रमण शिविर में भाग लिया जाता है उन्हें एक रिपोर्ट दी जाएगी। इसके अतिरिक्त उन्हें उनके जीन की संवेदनशीलता की जानकारी भी प्रदान की जाएगी।

जीनोम क्या है?

5.1 आणविक जीव विज्ञान के अनुसार जीन वह आनुवंशिक पदार्थ है, जिसके माध्यम से जीवों के गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँचते हैं।

5.2 किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम (Genome) कहलाता है।

5.3 मानव जीनोम में अनुमानतः 80,000-1,00,000 तक जीन होते हैं। जीनोम के अध्ययन को जीनोमिक्स कहा जाता है।

भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संसोधन मसौदा

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय वन अधिनियम, 1927 में पहले व्यापक संशोधन मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है।

प्रमुख मसौदे

2.1 यह मसौदा मंत्रालय द्वारा गठित एक कोर समिति के इनपुट के आधार पर तैयार किया गया है।

2.2 इस मामले में वन महानिदेशक (वन नीति) नोयल थॉमस ने 7 मार्च को सभी राज्यों को पत्र भेजकर उनकी राय मांगी थी।

2.3 सभी राज्यों को अपने सभी हितधारकों जैसे गैर लाभकारी संगठन और सिविल सोसायटी के सदस्यों के साथ परामर्श करना है और 7 जून तक मंत्रालय को प्रतिक्रियाएं भेजनी हैं।

2.4 संशोधित मसौदा समुदाय को जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति में भेदभाव किए बिना एक विशिष्ट इलाके में रहने वाले और संसाधनों के संयुक्त स्वामित्व के आधार पर व्यक्तियों के एक समूह के रूप में परिभाषित करता है।

मसौदे में वन की परिभाषा

3.1 संशोधित मसौदे में वन को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि यह वह भूमि है, जो सरकारी या निजी या संस्थागत भूमि के रूप में दर्ज की गई है अथवा वन भूमि के रूप में किसी भी सरकारी दस्तावेज में अधिसूचित है।

3.2 साथ ही जो भूमि सरकार अथवा समुदाय द्वारा वन और मैंग्रोव के रूप में प्रबंधित है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है वह भी वन भूमि में शामिल है जिसे राज्य या केंद्र सरकार अधिनियम के तहत वन भूमि घोषित करती है।

3.3 भारतीय वन अधिनियम 1927 की प्रस्तावना में कहा गया है कि अधिनियम वन उपज को ढोने और उस पर लगने वाले कर से संबंधित कानूनों पर केंद्रित है।

3.4 संशोधन ने वन संसाधनों के संरक्षण, संवर्द्धन और टिकाऊ प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया है। साथ ही जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के मद्देनजर वनों की पारिस्थितिक सेवाओं को महत्व दिया गया है।

3.5 संशोधनों में कहा गया है कि अगर राज्य सरकार, केंद्र सरकार के साथ परामर्श करने के बाद महसूस करती है कि एफआरए के तहत प्राप्त अधिकारों से वनों के संरक्षण के प्रयासों में बाधा आएगी, तो राज्य ऐसे व्यक्तियों को बदले में धन का भुगतान या अन्य तरीकों से अनुदान में भूमि दे सकती है ताकि वनों पर निर्भर लोगों के हितों की रक्षा की जा सके।

3.6 संशोधन में वनों की एक नई श्रेणी भी शामिल की गई जिसे उत्पादक वन कहा गया है। इनमें वे वन शामिल हैं जो एक निर्दिष्ट अवधि के लिए देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए लकड़ी, लुगदी, जलाऊ लकड़ी, गैर-लकड़ी वन उपज तथा औषधीय पौधों या देश में उत्पादन बढ़ाने के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होंगे।

वन अधिकार अधिनियम, 2006

4.1 संसद ने 18 दिसम्बर, 2006 को सर्वसम्मति से अनुसूचित जाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) कानून, 2006 पारित किया था।

4.2 यह कानून न तो किसी को भूमि प्रदान करता है और न भूमि का अधिकार देता है।

4.3 इस कानून से पहले तक सदियों से जंगल और वन्य जीवों के साथ साहचर्य के साथ रहते आए आदिवासियों और अन्य आबादी को 'अतिक्रमणकारियों' के रूप में देखा जाने लगा था।

4.4 इस कानून के माध्यम से इस तथ्य को फिर से सामूहिक स्मृति में लाया गया कि जंगलों, वन्य जीवों और मनुष्य का एक आपसी रिश्ता रहा है और यह रिश्ता आपसी टकराहट का कम, दोस्ती का ज्यादा रहा है। इसे 'अन्योन्याश्रित संबंध' की तरह देखा जा सकता है, जहाँ किसी एक के बिना दूसरे का वजूद संभव न हो।

4.5 संविधान की पांचवीं और छठवीं अनुसूची के क्षेत्रों में बसे नागरिकों की स्वायत्त और परंपरागत जीवन शैली को अक्षुण्ण रखना था जो मूलतः जंगल बहुल क्षेत्र में जंगलों के इर्द-गिर्द हैं।

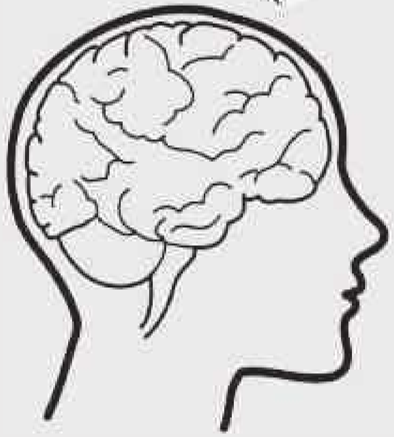

विचाराधीन कैदी और अपराधी का मताधिकार

चर्चा का कारण

1.1 वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 62(5) की वैधानिकता पर सुनवाई कर रहा है।

भारत में स्थिति

2.1 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62(5) के तहत यदि कोई व्यक्ति पुलिस की वैध हिरासत में है या दोष सिद्ध होने के बाद कारावास की सजा काट रहा हो तो वह मतदान नहीं कर सकता है।

2.2 ऐसे व्यक्ति जिन पर मुकदमा चल रहा हो वो भी मतदान नहीं कर सकते हैं भले ही उनका नाम मतदाता सूची में शामिल हो।

2.3 ऐसे व्यक्ति जिन्हे निवारक विरोध कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है वे डाक के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट का पूर्व का निर्णय

3.1 सुप्रीम कोर्ट के अनुसार भारत में वोट देने का अधिकार न तो मूल अधिकार की श्रेणी में आता है और न ही इसे संविधान द्वारा शक्ति प्राप्त है। वर्तमान में वोट देने का अधिकार सांविधिक अधिकार है।

3.2 सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जेल में है तो वहाँ वह अपने आचरण के कारण है, ऐसी परिस्थिति में वो समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) का दावा नहीं कर सकता है।

मानवाधिकार कार्यकताओं के तर्क

4.1 मानवाधिकार कार्यकता सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की इस आधार पर आलोचना करते हैं कि यह विचाराधीन कैदियों, अपराधियों और कानूनी रूप से पुलिस की हिरासत में रखे गए व्यक्ति के बीच कोई अंतर नहीं करता है।

4.2 याचिका में दलील दी गई है कि कैदियों को वोट देने के अधिकार पर पूर्ण प्रतिबंध संविधान में निहित मूल भावना तथा समानता के मूलभूत सिद्धांत का उल्लंघन है।

4.3 मानवाधिकार कार्यकताओं का तर्क है कि बहुत से लोग जो मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे हैं तथा जिन्होंने अपने कथित अपराध के कारण वास्तविक समय से ज्यादा जेल में समय बिताया हो उनकी संख्या दोषियों की तुलना में बहुत बड़ी है।

4.4 विश्लेषकों का तर्क है कि भारत में विभिन्न प्रकार के दंड हैं जैसे सुधारात्मक, दण्डात्मक, उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए दिए जाने वाले दण्ड इत्यादि। इसलिए इस मुद्दे पर एक तार्किक बहस की आवश्यकता है ताकि किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सके।

4.5 भारतीय न्यायप्रणाली के अनुसार निर्दोष साबित होने तक किसी भी व्यक्ति को अपराधी नहीं घोषित किया जा सकता है। इस संदर्भ में कैदी मतदान, पुनर्वास और न्याय का एक प्रमुख घटक साबित हो सकता है और समय के साथ इन लोगों को मुख्य धारा में लाया जा सकता है।

वैश्विक स्थिति

5.1 यूरोप, स्विट्जरलैण्ड, फिनलैंड, नार्वे, डेनमार्क, आयरलैण्ड, तथा बाल्कन राज्यों और स्पेन ने अपने यहाँ के चुनावों में पहले से ही कैदियों द्वारा किये गए मतदान को अनुमति दी है।

5.2 रोमानिया, आइसलैण्ड, नीदरलैण्ड, स्लोवाकिया, लक्जमबर्ग, साइप्रस और जर्मनी जैसे देशों ने कुछ शर्तों के अधीन जैसे दण्ड की मात्रा व उसके प्रकारों के आधार पर मतदान में छूट प्रदान की है।

5.3 बुल्गारिया में वही कैदी व्यक्ति मतदान कर सकता है जिसे 10 वर्ष से कम की सजा हुई हो। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया में यह सीमा 5 वर्ष है।

5.4 ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रूस, आर्मेनिया जैसे देशों ने विचाराधीन कैदियों के वोट डालने पर प्रतिबंध लगा रखा है।

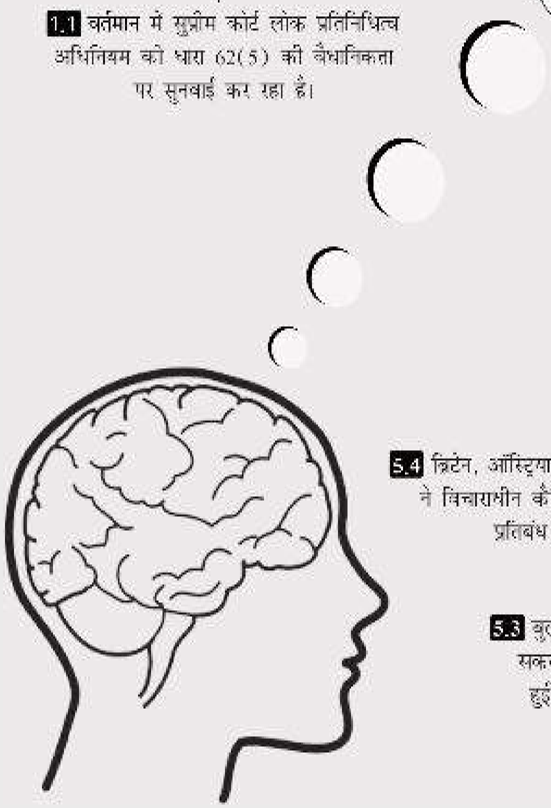

द फेस ऑफ डिजास्टर्स 2019 रिपोर्ट

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी (एसईईडीएस) द्वारा द फेस ऑफ डिजास्टर्स 2019 रिपोर्ट प्रकाशित की गई है।

1.1 एसईईडीएस द्वारा अपनी 25 वीं वर्षगांठ के अवसर पर जारी की गई रिपोर्ट में अतीत के तथ्यों का विश्लेषण करते हुए आपदा से संबंधित विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है।

प्रमुख बिन्दु

2.1 जल और आपदा जोखिम की बदलती प्रकृति; वर्षा जल का बदलता स्वरूप नई चुनौतियां ला रहा है, कहीं पर वर्षा अधिक हो रही है तो कहीं पर कम हो रही है। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा का असामान्य वितरण बढ़ता जा रहा है।

2.2 कोई भी आपदा 'प्राकृतिक' नहीं है: तकनीकी ज्ञान और विशेषज्ञता के अभाव के कारण कोई भी आपदा प्राकृतिक आपदा के समान भयावह हो सकती है जबकि उचित तकनीक का प्रयोग कर प्राकृतिक आपदा के खतरों को कम किया जा सकता है।

2.3 ऐसी आपदाएँ जिन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और उनकी अनदेखी की जा रही हैं, वे लोगों को भी अधिक जोखिम में डाल देती हैं।

2.4 समुद्र तट पर परिवर्तन पहले से ही आजीविका स्रोतों को प्रभावित कर रहे हैं और भविष्य में इस परिवर्तन से पारिस्थितिकी तंत्र का प्रभावित होना निश्चित है।

2.5 **आपदा प्रभाव की जटिलता:** आपदा के कारण पीड़ित समुदाय पर दीर्घकालिक और अल्पकालिक प्रभाव पड़ता है जिसके कारण उनका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है।

2.6 **शहरी अनिवार्यता:** शहरीकरण के कारण आपदा के खतरे बढ़ते जा रहे हैं और समाज का कोई भी वर्ग इससे अछूता नहीं है।

2.7 तीसरे ध्रुव में रूपांतरण: हिमालयी ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे सभी क्षेत्रों पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ रहा है।

2.8 आपदाओं की सूचना तकनीक नाकाफी भूकंप, सुनामी आदि जैसी आपदाओं के लिए तकनीकी तो विकसित की जा रही है लेकिन पूर्वानुमान में सफलता कम मिल रही है अर्थात् इसके लिए लगाये गये रडार भी इसे सही से पकड़ नहीं पा रहे हैं।

चुनौतियाँ

3.1 2019 में बाढ़ असामान्य रूप में देखने को मिलेगी, जबकि हीटवेव और सूखा की स्थिति पहले से ही विद्यमान हैं।

3.2 एक बड़ी आपदा विकास के लाभ को मिटा सकती है और दबाव ग्रस्त कमजोर परिवारों के गरीबी के दुष्चक्र को बढ़ा सकती है।

3.3 जबकि ऐसी बहुसंख्यक आपदाएँ प्रत्येक वर्ष आती है केवल कुछ ही आपदा वास्तव में जनता का ध्यान आकर्षित करती है। इस प्रकार आपदा के दूसरे प्रकार के खतरे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं।

एसईईडीएस (SEEDS) के बारे में

4.1 सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी की स्थापना 1994 में की गयी थी।

4.2 एसईईडीएस, एक गैर लाभकारी स्वैच्छिक संगठन है, जो विकास से संबंधित क्षेत्रों में युवा पेशेवरों का एक सामूहिक प्रयास है।

4.3 इसका एक उद्देश्य आपदाओं के सम्पर्क में आने वाले लोगों के जीवन और आजीविका की रक्षा करना है।

प्रमुख कार्य

5.1 यह सामुदायिक विकास, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण योजना, परिवहन योजना और शहरी व क्षेत्रीय योजनाओं के अनुसंधान गतिविधियों में शामिल है।

5.2 इसके द्वारा सरकारी, अर्ध-सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसियों की ओर से आपदा न्यूनीकरण के कार्य किये जाते हैं।

आगे की राह

6.1 आपदाओं की जटिलता के लिए आज एक सक्रिय और बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

6.2 वर्तमान समय में इस बात की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए कि आपदाओं के कई पहलू और जटिलताएँ हैं।

6.3 जोखिमों की व्यापक समझ और अति-स्थानीयकृत योजनाओं तथा संसाधनों के उचित आवंटन से आपदा के बाद के जोखिम को कम किया जा सकता है।

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक

प्र. वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत दो पायदान चढ़कर 115 देशों की सूची में 76वें स्थान पर काबिज हो गया है।
2. यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है।
3. ब्रिक्स देशों में सूचकांक में भारत से बेहतर सिर्फ ब्राजील की स्थिति है, जिसे 46वाँ स्थान मिला है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1
(c) केवल 3 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तरः (d)

व्याख्याः वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में हुई, इसका मुख्यालय जिनेवा में है, यह एक गैर-लाभकारी संस्था है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 6 पैरामीटर शामिल हैं- पूँजी और निवेश, विनियमन और राजनीतिक प्रतिबद्धता, संस्थान और शासन, संस्थान अभिनव, व्यावसायिक वातावरण, मानव पूंजी और उपभोक्ता भागीदारी तथा ऊर्जा प्रणाली संरचना। इस प्रकार दिए सभी कथन सही हैं। ■

2. विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, 2019

प्र. विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को 'रिपोर्टर्स विदाआउट बॉर्डर्स (Reporters without Borders) द्वारा जारी किया जाता है।
2. इस रिपोर्ट में भारत की रैकिंग पिछले वर्ष की तुलना में दो स्थान गिरकर 145वें स्थान पर पहुँच गई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (a)

व्याख्याः विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्रत्येक वर्ष 'रिपोर्टर्स विदआउट बॉर्डर्स' द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्टर्स विदआउट बॉर्डर्स का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-लाभकारी तथा गैर-सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक-2019 में भारत की स्थिति दो स्थान गिरकर 140वें स्थान पर पहुच गई है। इस प्रकार दिये गए कथनों में कथन 1 सही है, जबकि कथन 2 गलत है। ■

3. डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी

प्र. डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से डब्ल्यूएचओ ने 10 दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
2. डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैण्ड के जिनेवा शहर में है।
3. डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट का प्रकाशन करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 2 और 3 (b) केवल 2
(c) केवल 1 और 2 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तरः (d)

व्याख्याः हाल ही में डब्ल्यूएचओ (WHO) ने लोगों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी पर विशेष बल दिया है, इसके लिए डब्ल्यूएचओ ने 10 दिशा-निर्देश जारी किए हैं जैसे- लोग डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर सकते हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य और आवश्यक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मोबाइल फोन, टैबलेट और कम्प्यूटर के माध्यम से सुलभ हैं। इसे सामान्य भाषा में टेली मेडिसीन भी कहते हैं। इस प्रकार दिए गए सभी कथन सही हैं। ■

4. जीनोम का अनुक्रमण

प्र. जीनोम का अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. अमेरिका के ऊर्जा विभाग (यूएसडीई) तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (एनआईएच) की भागीदारी से वर्ष 1988 में मानव जीनोम परियोजना प्रारम्भ हुई।
2. जीनोम परियोजना वह वैज्ञानिक परियोजना है, जिसका लक्ष्य किसी प्राणी के सम्पूर्ण जिनोम अनुक्रम का पता लगाना है।
3. किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम (Genome) नहीं कहलाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3 (d) केवल 3

उत्तरः (a)

व्याख्याः हाल ही में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा एक परियोजना के अन्तर्गत भारत के युवा छात्रों के जीनोम का अनुक्रमण किये जाने की योजना तैयार की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य जीनोमिक्स की उपयोगिता के बारे में छात्रों की अगली पीढ़ी को शिक्षित करना है। किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता हैं। मानव जीनोम में अनुमानतः 80,000-1,00,000 तक जीन होते हैं। जीनोम के अध्ययन को जिनोमिक्स कहा जाता है। इस प्रकार दिए गए कथनों में से कथन 1 और 2 सही हैं जबकि कथन 3 गलत है। ■

5. भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन मसौदा

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने भारतीय वन अधिनियम, 1927 में पहले व्यापक संशोधन मसौदे को अभी अंतिम रूप नहीं दिया है।
2. संशोधित मसौदा समुदाय को जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति में भेदभाव किए बिना एक विशिष्ट इलाके में रहने वाले और संसाधनों को संयुक्त स्वामित्व के आधार पर व्यक्तियों के समूह के रूप में परिभाषित करता है।
3. संसद ने 18 दिसम्बर, 2006 को सर्वसम्मति से अनुसूचित जाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) कानून, 2006 पारित किया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 2 और 3 (b) केवल 3
(c) केवल 1 (d) केवल 2

उत्तरः (a)

व्याख्याः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने भारतीय वन अधिनियम, 1927 में पहले व्यापक संशोधन मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है। मसौदे में वन को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि यह वह भूमि है जो सरकारी या निजी या संस्थागत भूमि के रूप में दर्ज की गई है अथवा वन भूमि के रूप में किसी भी सरकारी दस्तावेज में अधिसूचित है। यह कानून न तो किसी को भूमि प्रदान करता है और न ही भूमि का अधिकार देता है। भारतीय वन अधिनियम 1927 की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह अधिनियम वन उपज को ढोने और उस पर लगने वाले कर से संबंधित कानूनों पर केन्द्रित है। इस प्रकार दिए गए कथनों में कथन 2 और 3 सही हैं जबकि कथन 1 गलत है। ■

6. विचाराधीन कैदी और अपराधी का मताधिकार

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62(5) के तहत यदि कोई व्यक्ति पुलिस की वैध हिरासत में है या दोष सिद्ध होने के बाद कारावास की सजा काट रहा हो तो वह मतदान कर सकता है।
2. वोट देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (d)

व्याख्याः जन प्रतिनिधत्व अधिनियम, 1951 की धारा 62(5) के तहत यदि कोई व्यक्ति पुलिस की वैध हिरासत में हो, दोष सिद्ध होने के बाद कारावास की सजा हो गयी हो तो वह व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता है। वोट देने का अधिकार सांविधिक अधिकार है। इस प्रकार दिए गए दोनों कथन सही नहीं हैं। ■

7. द फेस ऑफ डिजास्टर्स, 2019 रिपोर्ट

प्र. द फेस ऑफ डिजास्टर्स रिपोर्ट, 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित के कथनों पर विचार कीजिए-

1. इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेषज्ञ संस्था, SEEDS (एसईईडीएस) द्वारा जारी किया गया है।
2. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में बाढ़ का खतरा कम देखने को मिलेगा और हीटवेव तथा सूखे की स्थिति पहले से भी भयावह होगी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (d)

व्याख्याः SEEDS (एसईईडीएस), एक गैर-लाभकारी स्वैच्छिक संगठन है, जो विकास से संबंधित क्षेत्रों में युवा पेशेवरों का एक सामूहिक प्रयास है। इसमें कहा गया है कि 2019 में बाढ़ का खतरा असामान्य रूप से देखने को मिलेगी, जबकि हीटवेव और सूख की स्थिति पहले जैसी ही समान रहेगी। इस प्रकार दिये गए दोनों कथन सही नहीं हैं। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. वह अफ्रीकी देश जिसने हाल ही में अपना नाम बदलकर 'द किंगडम ऑफ इस्वातिनी' रखने की घोषणा की।

-स्वाजीलैंड

2. वह देश जिसने अपना पहला उपग्रह नेपालीसेट-1 सफलतापूर्वक लाँच कर दिया है।

-नेपाल

3. वह देश जिसने हाल ही में चांगी एयरपोर्ट पर बने दुनिया के सबसे ऊँचे इंडोर वाटरफॉल (131 फीट ऊँचा) को आम जनता के लिए खोल दिया है।

-सिंगापुर

4. वह स्थान जहां एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 23वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है।

-दोहा

5. वह अफ्रीकी देश जो मलेरिया वैक्सीन के लिये बड़े पैमाने पर पायलट परीक्षण करेगा।

-मलावी

6. वह शहर जिसे यूनेस्को द्वारा वर्ष 2020 के लिए विश्व की पहली आर्किटेक्चर राजधानी घोषित किया गया है।

-रियो डी जेनेरियो

7. वह देश जहाँ विश्व का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन आयोजित किया जायेगा।

-यूएई

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी

1. अर्थव्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता

- हाल ही में उपराष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि जब तक महिलाओं को हर क्षेत्र में समान हितधारकों के रूप में शामिल नहीं किया जायेगा तब तक राष्ट्र की प्रगति में तेजी नहीं आ सकती।
- राज्य एवं केंद्र सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों और मुख्य सिविल सोसायटी से वित्तीय प्रबंधन पर महिलाओं को शिक्षित करने की दिशा में सामूहिक रूप से काम करने का आग्रह किया जाना चाहिए।
- वित्तीय साक्षरता के जरिये महिलाओं का सशक्तिकरण तथा महिलाओं को प्रगति में समान साझेदार बनाने की जरूरत है, ताकि वे आर्थिक मसलों से निपटने में सक्षम हो सके।
- भारत तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, जिसके बारे में विश्व मुद्रा कोष ने इस वित्त वर्ष के दौरान 7.3 प्रतिशत और 2020 तक 7.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है और कहा है कि इसका अगले 5 वर्षों में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना तय है। अत: इस प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से महिलाओं को समान साझीदार बनाना आज की जरूरत बन गई है।
- अर्थव्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता के बिना सामाजिक गतिशीलता को हम नहीं बदल सकते।
- वित्तीय अधिकारों, जिम्मेदारियों एवं आय सृजन के अवसरों के बारे में महिलाओं की समझ को बेहतर बनाने की आवश्यकता है, यह विशेष रूप से भारत जैसे देश के लिए महत्वपूर्ण है जहाँ तेज आर्थिक और सामाजिक रूपांतरण हो रहा है।
- वित्तीय सेवाओं के बारे में महिलाओं और लड़कियों को शिक्षित करना, उनमें आरंभ से ही वित्तीय निवेश के अनुशासन की भावना का संचार करना न केवल उन्हें बेहतर ढंग से घर चलाने में सक्षम बनायेगा, बल्कि इससे हमारे देश के भाग्य में बदलाव लाने में भी मदद मिलेगी।
- वित्तीय साक्षरता के जरिये महिलाओं को सशक्त बनाना न केवल लैंगिक अंतर को पाटने में सहायक होगा, बल्कि यह महिलाओं के लिए अधिक खुशहाल भविष्य भी सुनिश्चित करेगा। इसके साथ-साथ आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है।
- यह देखते हुए कि वित्तीय रूप से साक्षर महिलाएँ निवेशों और बचतों के जरिये बेहतर वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। उत्पादों को बढ़ावा देने, बेचने एवं उनकी आय का समुचित निवेश सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग में ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया जाना चाहिए।
- वित्तीय समावेश महिलाओं द्वारा आर्थिक भागीदारी के सर्वाधिक प्रभावी माध्यमों में से एक है तथा महिलाओं के बीच वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए प्रोग्राम एवं मॉड्यूल सृजित करने की आवश्यकता है।

2. भगवान महावीर का जीवन समकालीन दुनिया के लिए महत्वपूर्ण सीख है

- हाल ही में हैदराबाद में जैन सेवा संघ की ओर से महावीर जयंती पर आयोजित भगवान महावीर जन्म कल्याण महोत्सव के दौरान सभा को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे समय के गंभीर सवालों के कुछ जवाब भगवान महावीर के दर्शन, सिद्धांतों और शिक्षाओं से प्राप्त हो सकते हैं।
- भगवान महावीर के जीवन और जैन धर्म के दर्शन में समकालीन दुनिया के लिए कई महत्वपूर्ण सीख हैं। भगवान महावीर के अहिंसा, सत्य और सार्वभौमिक करुणा के संदेशों ने सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग प्रशस्त किया।

- भगवान महावीर के उपदेशों की आध्यात्मिक रोशनी और नैतिक गुण सभी लोगों को शांति, सद्भाव और मानवता के लिए प्रगति के प्रयास के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान महावीर पृथ्वी के सबसे उत्कृष्ट और प्रतिष्ठित आध्यात्मिक गुरुओं में से एक थे।
- गौरतलब है कि जैन धर्म ने भारत के आध्यात्मिक विकास में बहुत योगदान दिया है और सत्य, अहिंसा व शांति के आदर्शों के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता को मजबूत करने में मदद की है।
- भारत की गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के संदर्भ में भारत कई प्रकार से दुनिया में अग्रणी देश था। भारत दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी था, जो प्रेम, शांति, सहिष्णुता और भाईचारे के उच्चतम मानवीय मूल्यों, ज्ञान का स्रोत और दुनिया के लिए विश्वगुरु था।
- आज लोग ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ दुनिया एक तरफ आतंकवाद, उग्रवाद और गृहयुद्धों जैसे कई रूपों में हिंसात्मक लड़ाई लड़ रही है वहीं दूसरी ओर दुनिया संसाधनों के अनियंत्रित दोहन, असंतुलित और निम्न ढंग से बनाई गई विकास योजनाओं के दुष्परिणामों से जूझ रही है। इस संदर्भ में हमें या तो अपने जीने के तरीके को बदलना होगा या अपने कार्यों के अपरिहार्य परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा।
- कुछ लोग देश और दुनिया के सामाजिक ताने-बाने को कमजोर करने के लिए आतंकवाद में लिप्त हैं। सभी देश एकजुट होकर आतंकवाद के खतरे से लड़ें। शांति का प्रचार करने और अभ्यास करने का आग्रह किया जाये क्योंकि यह प्रगति के लिए एक पूर्व शर्त है। शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व आज समय की आवश्यकता है।
- सामाजिक व्यवस्था और प्राकृतिक संसाधनों के मामले में हमें जो कुछ भी विरासत में मिला है, हम केवल उसके संरक्षक हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें सर्वश्रेष्ठ परिस्थितियों में अपनी संतति को सौंपें, जिससे कि जीवन की निरंतरता बाधित न हो।
- प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण चिंता का विषय है। हमें प्रकृति के प्रचुर संसाधनों के अंधाधुंध दोहन को रोकना चाहिए तथा अपने जीवन जीने के तरीके में संयम लाना चाहिए।
- आज अत्यावश्यक मुद्दों के समाधान के लिए लोगों को आत्मनिरीक्षण करने और प्राचीन मूल्यों पर फिर से विचार करने का समय है।

3. अभ्यास सी विजिल

- भारतीय नौसेना द्वारा 22-23 जनवरी 2019 को पहली राष्ट्रीय स्तर की तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल का संचालन किया गया।
- इस अभ्यास में देश भर में केंद्र और सभी 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित समुद्री हितधारकों को शामिल करने वाले तटीय सुरक्षा तंत्र की सक्रियता देखी गई।
- अभ्यास सी विजिल संबंधी पूछताछ का आयोजन 16 अप्रैल, 2019 को किया गया था। विभिन्न राज्यों में प्रक्षेत्र इकाइयों की सभी संबंधित एजेंसियों ने टेली-काँफ्रेंस के माध्यम से इसमें भाग लिया।
- चेयरपर्सन ने अभ्यास के दौरान हासिल महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और तटीय रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में पिछले एक दशक में हुई प्रगति के लिए सभी हितधारकों की सराहना की।
- पूछताछ आयोजन से निकले मुख्य बिन्दुओं पर विचार किया और आगे की कार्रवाई/अनुवर्ती कार्रवाई के लिए इसे प्रचारित किया गया।
- अभ्यास और विचार-विमर्श से प्राप्त प्रतिक्रिया राष्ट्रीय समुद्री और तटीय सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय समिति (एनसीएसएससीएस) की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।

4. होम एक्सपो इंडिया-2019

- इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा में हाल ही में होम एक्सपो इंडिया-2019 का शुभारंभ हुआ।
- इस तीन दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच) द्वारा किया गया है।
- इस वर्ष की होम एक्सपो प्रदर्शनी में चुनिंदा प्रदर्शक, सर्वोत्तम उत्पाद और आमंत्रित क्रेता मुख्य आकर्षण का केन्द्र रहा है।
- अमेरिका, यूरोप, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, कोलम्बिया, संयुक्त अरब अमीरात, लेबनान, ईरान, नाइजीरिया, घाना, दक्षिण अफ्रीका, वियतनाम और रोमानिया सहित 50 से ज्यादा देशों के खरीददारों ने होम एक्सपो का अवलोकन किया।
- होम एक्सपो इंडिया गृहसज्जा, फर्नीशिंग, फर्नीचर, फ्लोरिंग और वस्त्र में अधिकतम प्रेरक शक्ति और वृद्धि की अपार संभावनाओं वाले क्षेत्रों को कवर करती है।
- होम एक्सपो इंडिया के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र और अन्य कारीगरों का थीमैटिक प्रदर्शन भी आगंतुकों को आकृष्ट किया।

- पिछले साल फर्नीचर और सामान के निर्यात में 27.13%, घरेलू सामान और सजावटी वस्तुओं के निर्यात में 15.19%, गृहसज्जा, फ्लोरिंग और होम टेक्सटाइल में 6.3% की वृद्धि हुई।
- वर्ष 2018-19 के दौरान हस्तशिल्प निर्यात 26,590.25 करोड़ [अनंतिम] रुपये था जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 15.46% वृद्धि दर्ज की गई।
- भारत में हस्तशिल्प के लिए नोडल निर्यात संवर्धन निकाय ईपीसीएच हस्तशिल्प के व्यापार को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और विश्व बाजार में भारत की छवि एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में भी प्रस्तुत करती है।

5. अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू

- आईएन जहाज कोलकाता और शक्ति पीएलए (नौसेना) के 70वें वर्षगांठ समारोहों के एक हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग लेने के लिए 21 अप्रैल 2019 को चीन के किंगदाओ में पहुँचने का कार्यक्रम है।
- अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू (आईएफआर) नौसेना जहाजों, विमानों एवं पनडुब्बियों की एक परेड है और इसका आयोजन राष्ट्रों द्वारा सद्भावना को बढ़ावा देने, सहयोग को मजबूत बनाने और उनकी संगठनात्मक क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है।
- आईएफआर विश्व की नौसेनाओं के लिए उनकी क्षमता और स्वदेशी जहाज डिजाइन तथा जहाज निर्माण क्षमताओं को एक वैश्विक/अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रदर्शित करने के एक आदर्श मंच का भी काम करती है।
- भारत द्वारा फरवरी 2016 में विशाखापट्टनम में आयोजित दूसरे आईएफआर में लगभग 100 जंगी जहाजों के साथ 50 नौसेनाओं की शानदार भागीदारी देखी गई थी।
- किंगदाओ में आईएफआर में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व स्वदेशी रूप से निर्मित स्टेलथ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक आईएनएस कोलकाता और फ्लीट स्पोर्ट जहाज आईएनएस शक्ति द्वारा किया जायेगा।
- आईएनएस कोलकाता नौसेना युद्ध के सभी आयामों में खतरों से निपटने के लिए अत्याधुनिक हथियारों और संवेदकों से लैस है।
- आईएनएस शक्ति एक पुन:पूर्ति जहाज है जो 27000 टन से अधिक डिसप्लेस करने वाले सबसे बड़े टैंकरों में से एक है और यह 15 हजार टन तरल माल तथा खाद्यानों एवं गोला बारूद सहित 500 टन से अधिक ठोस माल ढो सकता है।
- भारतीय नौसेना के सबसे शक्तिशाली विध्वंसक एवं बहुमुखी फ्लीट स्पोर्ट जहाज की यात्रा भारत की शक्ति, पहुँच और स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमता के अतिरिक्त निरन्तरता को भी प्रदर्शित करती है।

6. चिकित्सा क्षेत्र में जागरूकता

- हाल ही में हैदराबाद में स्वर्ण भारत ट्रस्ट में एक नि:शुल्क चिकित्सा शिविर का उद्घाटन करने के बाद श्री नायडू ने गैर-संचारी रोगों की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए लोगों से गतिहीन जीवन शैली और अस्वास्थ्यकर आहार आदतों से दूर रहने की अपील की।
- युवाओं से जंक फूड से दूर रहने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि पारंपरिक भारतीय भोजन मौसम के अनुरूप और भारतीय जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल है।
- स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, गैर-संचारी रोगों का प्रसार, स्वास्थ्य सेवा के लिए असमान पहुंच और बढ़ती लागत, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियाँ हैं।
- स्थिति का अनुमान लगाने के लिए ठोस प्रयास किए जाने की जरूरत है।
- गैर-सरकारी संगठनों, सरकारी एजेंसियों, अस्पतालों और चिकित्सकों सहित सभी हितधारकों को इस संबंध में सामुदायिक स्तर पर साथ मिलकर काम करना चाहिए।
- बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शहरी-ग्रामीण दूरी को कम करने की भी आवश्यकता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की दिशा में सरकार के प्रयासों के पूरक के रूप में निजी क्षेत्र को आगे आना चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल, बुनियादी ढाँचे और मानव संसाधन जैसी कमियों को दूर करने के लिए मेडिकल कॉलेज से उत्तीर्ण होने वाले युवा चिकित्सकों को अनिवार्य रूप से ग्रामीण सेवा प्रदान करनी चाहिए।

7. लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

- हाल ही में उपराष्ट्रपति ने भारतीय विश्वविद्यालयों की निराशाजनक वैश्विक रैंकिंग पर चिंता जताई और उच्च शिक्षण प्रणाली में व्यापक सुधार करने का आह्वान किया।
- लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए युवाओं

एवं विद्यार्थियों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ-साथ अपने विवेक का इस्तेमाल करने की जरूरत है।

- विद्यार्थियों को पूरी ईमानदारी, अनुशासन और कड़ी मेहनत से नये मानक तय करने और उन्हें हासिल करते हुए उन्हें संतुष्ट होकर न बैठ जाने तथा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अधिकतम प्रयास करने की जरूरत है।
- विश्वविद्यालयों और उत्कृष्ट संस्थानों जैसे कि आईआईटी, आईएसबी, आईआईएम और आईआईटी को विद्यार्थियों में नेतृत्व गुण पैदा करने के लिए शिक्षण की पद्धतियों में व्यापक बदलाव लाने की जरूरत है, ताकि विद्यार्थियों में सीखने की इच्छा पैदा हो सके।
- विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धतियों और अनुसंधान रणनीतियों में प्रासंगिक बदलाव लाना होगा, ताकि भारत को वैश्विक शिक्षण का केन्द्र (हब) बनाया जा सके।
- शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य क्षेत्रों में शहरों और गाँवों के बीच बढ़ती खाई को पाटने पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- समस्त तकनीकी एवं मानव संसाधनों वाले शैक्षणिक संस्थानों को अपने-अपने विद्यार्थियों को स्थानीय समाज के साथ मिलकर काम करने और उनके समक्ष मौजूद समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
- शैक्षणिक संस्थानों को उद्योग जगत एवं सरकार के साथ नियमित रूप से समुचित तालमेल बनाये रखना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार किया जा सके।
- भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर चालू वित्त वर्ष में 7.3 प्रतिशत और वर्ष 2020 में 7.5 प्रतिशत रहने की आशा है।

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से

1. भरतनाट्यम

महत्वपूर्ण तथ्य

- भरतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध नृत्य है। इसका उद्भव तमिलनाडु में हुआ था। यह भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र पर आधारित है। इसका उल्लेख प्राचीन तमिल महाकाव्य सिलप्पादिकारम में भी मिलता है।
- परंपरागत रूप से, यह एकल नृत्य है जो विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है, परन्तु कालांतर में यह पुरुष नर्तकों और समूह कलाकारों के मध्य भी लोकप्रिय हुआ। यह दक्षिण भारतीय धार्मिक विषय एवं आध्यात्मिक विचारों को विशेष रूप में व्यक्त करता है।
- इस नृत्य में गायन के साथ अभिनय भी सम्मिलित होता है जो आमतौर पर प्रभु की आराधना पर आधारित होता है। इसमें नृत्य और भावनाओं को वर्णात्मक स्वरूप में ताल एवं राग के साथ प्रस्तुत किया जाता है।
- भरतनाट्यम को प्राय: 'अग्नि नृत्य' के नाम से भी जाना जाता है, चूंकि यह मानव शरीर में अग्नि की अभिव्यक्ति करता है। भरतनाट्यम में अधिकांश मुद्राएँ लहराती हुई आग की लपटों से सादृश्य रखती हैं।
- इस नृत्य की मुद्राओं में सर्वप्रमुख मुद्रा वह है जिसमें तीन उंगलियों को जोड़कर 'ऊँ' के प्रतीक को प्रदर्शित किया जाता है।
- इस नृत्य के दौरान नर्तक अपने दोनों घुटनों को इस प्रकार मोड़ते हैं जिससे उनका भार समान रूप से उनके दोनों पैरों के मध्य विभाजित हो सके।
- इसे 'एकचर्य लास्यम' शैली से भी पहचाना जाता है जिसमें एक ही नर्तक बहुत-सी अलग-अलग भूमिकाओं को निभाता है।
- **प्रसिद्ध कलाकार:** यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्मा सुब्रह्मण्यम, मृणालिनी साराभाई इत्यादि।

2. कथकली

महत्वपूर्ण तथ्य

- कथकली नृत्य केरल राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है।
- अधिकांश कथकली प्रस्तुतियाँ अच्छाई तथा बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष का शानदार निरूपण होती हैं। इसकी विषय-वस्तु महाकाव्यों तथा पुराणों से ली गयी कहानियों पर आधारित होती है। इसे 'पूर्व का गाथा गीत' भी कहा जाता है।
- कथकली की अनोखी विशेषता है आँखों तथा भृकुटियों की गति के माध्यम से रसों का निरूपण।
- कथकली प्रस्तुति में रंगमंचीय सामग्री का न्यूनतम प्रयोग होता है तथापि, विभिन्न चरित्रों के लिए मुकुट के साथ-साथ चेहरे के विस्तृत श्रृंगार का प्रयोग किया जाता है।
- कथकली की प्रस्तुतियां सामान्यत: मुक्ताकाश रंगमंचों पर या मंदिर परिसरों में मोटी चटाइयां बिछा कर दी जाती हैं।
- **प्रसिद्ध कलाकार:** रीता गांगुली, गोपी नाथ, गुरु कुंछु कुरूप, इत्यादि।

3. कथक

महत्वपूर्ण तथ्य

- कथक उत्तर प्रदेश की एक परम्परागत नृत्य विधा है। कथक का नाम 'कथिका' अर्थात् कथावाचक शब्द से लिया गया है।
- कथक नृत्य पर फारसी वेश-भूषा तथा नृत्य शैली का भी प्रभाव पड़ा है। कथक की शास्त्रीय शैली को बीसवीं शताब्दी में 'लेडी लीला सोखे' के द्वारा पुनर्जीवित किया गया।
- अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के समय में यह कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई और इसमें गजल और ठुमरी के समायोजन का भी प्रयास हुआ।
- इस नृत्य परंपरा के दो प्रमुख घराने लखनऊ और जयपुर हैं। इसके अलावा राजा चक्रधर सिंह (रायगढ़) के संरक्षण में भी यह विकसित हुआ।
- कथक नृत्य विधा को जटिल पद-चालनों तथा चक्करों के प्रयोग से पहचाना जाता है।
- कथक की जुगलबंदी सामान्य तौर पर ध्रुपद संगीत के साथ होती है।
- **प्रसिद्ध कलाकार:** बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, दमयंती जोशी, इत्यादि।

4. मणिपुरी

महत्वपूर्ण तथ्य

- मणिपुरी नृत्य की उत्पत्ति भारत के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित राज्य मणिपुर से मानी जाती है।
- मणिपुर नृत्य में मुद्राओं का सीमित प्रयोग होता है। इसमें मुख्यतः हाथ तथा घुटने के स्थानों की मन्द तथा लालित्यपूर्ण गति पर बल दिया जाता है।
- मणिपुरी नृत्य में भक्ति पर बल दिया जाता है। रासलीला मणिपुरी नृत्य प्रस्तुति का एक पुनरावर्ती केन्द्रीय भाव है।
- इस नृत्य में तांडव तथा लास्य दोनों का समावेशन होता है किन्तु अधिक बल लास्य पर ही दिया जाता है।
- नागाभन्दा मुद्रा में शरीर को 8 की आकृति में बने वक्रों के माध्यम से संयोजित किया जाता है। यह मणिपुरी नृत्य विधा में एक महत्वपूर्ण मुद्रा है।
- इस नृत्य में जयदेव तथा चंडीदास की रचनाओं का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है।
- इस नृत्य में ढोल इत्यादि की सहायता से संगीत का भी समावेशन किया जाता है।
- **प्रसिद्ध कलाकारः** रंजना, नयना, स्वर्णा, गुरु विपिन सिंह, इत्यादि।

5. ओडिसी नृत्य

महत्वपूर्ण तथ्य

- ओडिसी नृत्य, भारतीय शास्त्रीय नृत्य के कई रुपों में से एक है।
- ओडिसी नृत्य दिव्य और मानव, उत्कृष्ठ और सांसारिकता पर, छू लेने वाले प्रेम और जुनून का नृत्य है।
- इस नृत्य का प्रधान भाग लास्य और अल्प भाग तांडव से जुड़ा हुआ है। इसी कारण से इस नृत्य में भरतनाट्यम और कथक का स्वरूप देखने को मिलता है।
- ओडिसी नृत्य पारम्परिक रूप से नृत्य-नाटिका की शैली है। इसकी दो प्रमुख स्थितियाँ हैं- चौक और त्रिभंग।
- चौक मुद्रा में नर्तकी अपने शरीर को थोड़ा सा झुकाती है और घुटने थोड़ा सा मोड़ लेती है यह पुरुषोचित मुद्रा कहलाती है।
- त्रिभंग मुद्रा अर्थात् शरीर की तीन स्थानों में वक्रित मुद्रा, ओडिसी नृत्य विधा में अंतर्जात है। यह स्त्रियोचित मुद्रा कहलाती है।
- **प्रसिद्ध कलाकारः** सोनल मानसिंह, पंकज चरणदास, इत्यादि।

6. कुचिपुड़ी

महत्वपूर्ण तथ्य

- कुचिपुड़ी आंध्रप्रदेश की एक स्वदेशी नृत्य शैली है जो कुचेलापुरम से जन्मी और विकसित हुई।
- प्राचीन मान्यताओं के अनुसार आंध्रप्रदेश के कुचिपुड़ी गाँव में योगी सिद्धेन्द्र जो भगवान कृष्ण के भक्त थे, ने इस नृत्य को तैयार किया।
- परंपरा के अनुसार कुचिपुड़ी नृत्य मूलतः केवल पुरुषों द्वारा किया जाता था किन्तु यह विधा महिला नर्तकों के बीच भी लोकप्रिय हो गई है।
- कुचिपुड़ी की अधिकांश प्रस्तुतियाँ भागवत पुराण की कहानियों पर आधारित हैं। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है।
- कुचिपुड़ी में कर्नाटक संगीत की जुगलबंदी की जाती है। मृदंगम् और वायलिन इसमें बजाये जाने वाले सामान्य संगीत वाद्य हैं।
- कुचिपुड़ी नृत्य शैली के अंतर्गत मानव शरीर में पार्थिव तत्वों का प्रकटन किया जाता है।
- कुचिपुड़ी नृत्य विधा में लास्य तथा तांडव दोनों ही महत्वपूर्ण तत्त्व होते हैं।
- **प्रसिद्ध कलाकार:** यामिनी कृष्णमूर्ति, राजा रेड्डी, इंद्राणी रहमान, इत्यादि।

7. मोहिनीअट्टम

महत्वपूर्ण तथ्य

- मोहिनीअट्टम केरल की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला अर्द्ध शास्त्रीय नृत्य है जिसे त्रावणकोर के शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ।
- मोहिनीअट्टम का अर्थ है ''जादूगरनी का नृत्य''।
- मोहिनीअट्टम की विषय वस्तु प्रेम तथा भगवान के प्रति समर्पण है। इसमें विष्णु के नारी सुलभ नृत्य की कहानी कही जाती है।
- इस शास्त्रीय नृत्य में दक्षिण की दो अत्यंत सुंदर नृत्य शैली भरतनाट्यम और कथकली का सुंदर संगम देखने को मिलता है।
- मोहिनीअट्टम में पोशाक का विशेष महत्त्व होता है। इसमें मुख्य रूप से श्वेत तथा श्वेताभ रंगों का प्रयोग किया जाता है।
- यह अनिवार्यतः एकल नृत्य है किन्तु वर्तमान समय में इसे समूहों में भी किया जाता है।
- इस नृत्य की प्रस्तुति से वायु तत्व को निरूपित किया जाता है।
- **प्रसिद्ध कलाकार:** जयप्रभा मेनन, सुनंदा नायर, इत्यादि।

DHYEYA IAS®
most trusted since 2003
LEGACY OF SUCCESS CONTINUES...
After achieving a phenomenal success with 120+ selections in CSE 2017, DHYEYA IAS has once again reached a new zenith of success with 122+ selection
KANISHAK KATARIA AIR 1
JUNAID AHMED AIR 3
We salute the spirit of our selected candidates and wish them a successful and bright future ahead
ANURAJ JAIN AIR-24
DEEPAK KUMAR DUBEY AIR-46
RENJINA MARY VARGHESE AIR-49
RANGASHREE AIR-50
GIRDHAR AIR-61
AYUSHI SINGH AIR-86
SAWAN KUMAR AIR-89
VEER PRATAP SINGH AIR-92
BRIJESH JYOTI UPADHYAY AIR-112
RANJEETA SHARMA AIR-130
CHITTYREDDY SRIPAL AIR-131
SHIV NARAYAN SHARMA AIR-149
SHAKTI MOHAN AVASTHY AIR-154
SIDDHARTH GOYAL AIR-163
GUNDALA REDDY RAGHAVENDRA AIR-180
GAUTAM GOYAL AIR-223
SHIVAM SHARMA AIR-251
INDERVEER SINGH AIR-259
GAURAV GUNJAN AIR-262
MD JAWED HUSSAIN AIR-280
DEEPTI BAGGA AIR-297
ARPIT GUPTA AIR-300
HIMANSHU GUPTA AIR-304
POORVI GARG AIR-317
NAVEEN KUMAR AIR-324
ADITYA KUMAR JHA AIR-339
SACHIN BANSAL AIR-349
CHIRAG JAIN AIR-355
LAKSHMAN KUMAR AIR-362
SAHIL GARG AIR-376
YOGITA AIR-384
ANIMESH GARG AIR-387
KIRTI PANDEY AIR-389
KUMAR BISWARANJAN AIR-391
GARIMA AIR-394
and many more...

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTINAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR – PATNA, **CHANDIGARH, DELHI & NCR** – FARIDABAD, **GUJRAT** – AHMEDABAD, **HARYANA** – HISAR, KURUKSHETRA , **MADHYA PRADESH** – GWALIOR , JABALPUR , REWA , **MAHARASHTRA** – MUMBAI, **PUNJAB** – JALANDHAR, PATIALA, LUDHIANA, **RAJASTHAN** – JODHPUR, **UTTARAKHAND** – HALDWANI, **UTTAR PRADESH** – ALIGARH, AZAMGARH, BAHRAICH, BARELLY, GORAKHPUR, KANPUR, LUCKNOW (ALAMBAGH , LUCKNOW (GOMTI NAGAR), MORADABAD, VARANASI

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

ध्येय IAS अब व्हाट्सएप पर
Dhyeya IAS Now on Whatsapp

ध्येय IAS **के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए 9205336069 पर "Hi Dhyeya IAS" लिख कर मैसेज करें**

आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी जुड सकते हैं

www.dhyeyaias.com
www.dhyeyaias.in

ध्येय IAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400